प्रासंगिकता के बारे में बताया। कार्यक्रम में लैंगिक समानता के मुद्दों पर श्री पी. अमिताभ खुंटिआ, श्री बी. एस. रावत, श्रीमती मंजू सिंह, श्रीमती निधि अग्रवाल और डॉ. एलीना सामंतराय द्वारा कविता पाठ भी किया गया। धन्यवाद ज्ञापन डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो द्वारा दिया गया। इस कार्यशाला का समन्वय डॉ. एलीना सामंतराय और श्री बी. एस. रावत ने किया।

- श्रीलंकाई प्रतिनिधियों के लिए उनके अध्ययन यात्रा के हिस्से के रूप में संस्थान में सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए एक रूपरेखा की ओर पर वीवीजीएनएलआई – आईएलओ कार्यशाला का आयोजन 13–15 मार्च 2024 को

किया गया। श्री सतोशी सासाकी, उप निदेशक, आईएलओ डिसेंट वर्क टीम फॉर साउथ एशिया और कंट्री ऑफिस फॉर इंडिया तथा डॉ. अरविंद महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई ने कार्यशाला का उद्घाटन किया। कार्यशाला में श्रीलंका से सरकार, उद्योग जगत, यूनियनों और आईएलओ के आठ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम, फेलो पाठ्यक्रम निदेशक थे।

- संस्थान ने 15 मार्च 2024 को घर से काम: लचीले कार्य समय की नीति तैयार करना पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की, जिसमें सभी हितधारकों ने भविष्य में लचीले कार्य समय नीतियों को तैयार करने के लिए विस्तृत समावेशी अनुसंधान करने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर

व्यापक रूप से चर्चा की: (i) बेहतर जीवन संतुष्टि के लिए काम के अधिकतम दैनिक घंटे और वैधानिक आराम अवधि पर कार्य–समय कानून और विनियम; (ii) कोविड–19 संकट के दौरान कार्य समय और लचीलेपन का अनुभव; और (iii) महिला श्रम बल की भागीदारी, स्वस्थ कार्य–जीवन संतुलन, उत्पादकता और पुरुषों को अवैतनिक देखभाल कार्य में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन पर प्रभाव की जांच की जा सकती है। कार्यशाला में एनजीओ, विश्वविद्यालय के छात्रों, सरकारी कार्यालयों, नियोक्ता संगठनों और ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों सहित 41 प्रतिभागियों ने भाग लिया। डॉ. अरविंद, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और डॉ. शिखा आनंद, निदेशक (रोजगार), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कार्यशाला का उद्घाटन किया। कार्यशाला का समन्वय डॉ. शशि बाला, सीनियर फेलो ने किया।

- वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई) ने डॉ. बी. आर. अंबेडकर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (डीबीआरएएनएलयू), सोनीपत के सहयोग से 20 मार्च 2024 को उनके परिसर, सोनीपत, हरियाणा में भारत में श्रम कानून

सुधार और नई श्रम संहिताएंः मुद्दे और चुनौतियां विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया। इस सेमिनार का उद्घाटन माननीय कुलपति और मुख्य संरक्षक प्रो. (डॉ.) अर्चना मिश्रा ने किया। इस अवसर पर

महानिदेशक श्री वेद प्रकाश यजुर्वेदी थे। उद्घाटन सत्र में अतिथि वक्ता के रूप में भारतीय मजदूर संघ के जोनल प्रमुख (उत्तरी क्षेत्र) श्री पवन कुमार, दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्री राहुल शर्मा और एनएलयू के रजिस्ट्रार डॉ. रामफूल थे। धन्यवाद ज्ञापन डॉ. बलविंदर कौर, निदेशक, श्रम अध्ययन केंद्र, डीबीआरएएनएलयू ने दिया। सेमिनार में विभिन्न तकनीकी सत्रों की अध्यक्षता वीवीजीएनएलआई के डॉ. संजय उपाध्याय, सीनियर फेलो, डॉ. एलीना सामंतराय फेलो और डॉ. मनोज जाटव, फेलो ने की। सेमिनार में विश्वविद्यालय के अध्येताओं, व्यावसायिकों, कानूनी विशेषज्ञों आदि द्वारा 64 शोधपत्र प्रस्तुत किए गए। गणमान्य व्यक्तियों द्वारा एक सार पुस्तक का विमोचन किया गया। पुस्तक के प्रधान संपादक डॉ. बलविंदर कौर और डॉ. एलीना सामंतराय थे। कार्यक्रम का समन्वय वीवीजीएनएलआई की डॉ. एलीना सामंतराय और डीबीआरएएनएलयू की डॉ. बलविंदर कौर ने किया।

- वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली के सहयोग से 27 मार्च 2024 को राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली में गिग वर्कर्स के लिए समान अवसरः कानून और नीतिगत विमर्श विषय पर कार्यशाला आयोजित की, जिसमें शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं, ट्रेड यूनियनों, नियोक्ताओं और अनुसंधान अध्येताओं ने भाग लिया और अपने समृद्ध एवं व्यावहारिक विचार–विमर्श के साथ योगदान दिया। कार्यशाला का समन्वय डॉ. रूमा घोष, सीनियर फेलो, वीवीजीएनएलआई और डॉ. सोफी के.जे., एनएलयूडी ने किया।

- संस्थान ने 04 मई 2024 को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली के सामाजिक विज्ञान स्कूल,

के विद्यार्थियों के लिए कार्य की दुनिया में परिवर्तन पर एक अभिविन्यास कार्यशाला सह अध्ययन यात्रा का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को कार्य की गतिशीलता, तकनीकी विकास और इसके प्रभाव और श्रम संहिताओं के संदर्भ में नीति/विधायी पहलों से परिचित कराना था। महिलाओं के संदर्भ में सामाजिक संरक्षण, सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए नीति/विधायी पहल पर एक पैनल चर्चा आयोजित की गई। पाठ्यक्रम निदेशक द्वारा संचालित इस कार्यक्रम में संस्थान से डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो एवं डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम फेलो पैनलिस्ट थे और डॉ. संजय उपाध्याय, सीनियर फेलो चर्चाकर्ता थे। वीवीजीएनएलआई, नौएडा में आयोजित इस कार्यशाला में प्रोफेसर मनोज कुमार जेना के साथ 22 मास्टर डिग्री और पीएचडी छात्रों ने भाग लिया। डॉ. अरविंद, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई ने प्रतिभागियों से बातचीत की और समापन भाषण दिया। श्री पी. अमिताभ खुंटिआ, एसोसिएट फेलो, वीवीजीएनएलआई पाठ्यक्रम निदेशक थे।

- वीवीजीएनएलआई ने 10 मई 2024 को संस्थान में **कौशल अंतर को संबोधित करना** पर एक पैनल चर्चा आयोजित की। इस चर्चा का उद्देश्य प्रतिभागियों को महिलाओं के सतत कौशल विकास में उभरते मुद्दों और सरोकारों से अवगत कराना था। इस कार्यक्रम में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, कौशल विकास संस्थानों और गैर सरकारी संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले 18 प्रतिभागियों ने भाग लिया। डॉ. शशि बाला, सीनियर फेलो पाठ्यक्रम निदेशक थीं।

- वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने 16 मई 2024 को विज़न/2047: **श्रम सुधारों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता** निर्माण पर कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला की अध्यक्षता श्रीमती सुमिता डावरा, सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने की, जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, श्रम कल्याण महानिदेशालय, श्रम ब्यूरो, कार्यालय मुख्य श्रम आयुक्त, कारखाना सलाह सेवा महानिदेशालय और श्रम संस्थान, वीवीजीएनएलआई, श्रमिक शिक्षा डीटीएनबीडब्ल्यूईडी, खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) के 70 वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला का समन्वय डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो ने किया।

- वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने 03 जुलाई 2024 को अपने परिसर में **रोजगार का भविष्यः चुनौतियाँ और अवसर** विषय पर एक विशेष व्याख्यान आयोजित किया। मुख्य भाषण दिल्ली

स्कूल ऑफ सोशल वर्क के प्रोफेसर संजय भट्ट ने दिया। व्याख्यान के बाद एक आकर्षक चर्चा हुई जिसमें प्रोफेसर ओंकार मल, डॉ. शशि बाला, श्री अश्विनी कुमार और सुश्री दीपिका जाजोरिया सहित विशेषज्ञों के एक प्रतिष्ठित पैनल ने भाग लिया। डॉ. अरविंद, महानिदेशक, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और एक अंतर्दृष्टिपूर्ण संबोधन दिया। उन्होंने समकालीन दुनिया में बढ़ती अस्थिरता, अनिश्चितता, जटिलता और अस्पष्टता को रेखांकित किया और इन चुनौतियों के बीच काम करने के अधिक स्मार्ट और अधिक कुशल तरीकों को सक्षम करने में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला।

- 01 अगस्त, 2024 को **आंतरिक प्रवासन और अनुसंधान** पर एक नीति कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें उन अनुसंधान अध्ययनों पर चर्चा की गई, जो प्रवासन–समावेशी बुनियादी ढांचे और संस्थानों की सुविधा प्रदान करेंगे। ये विभिन्न राज्यों के बीच मौजूदा तंत्र में कनेक्टिविटी को सक्षम करेंगे, जिससे प्रवासी श्रमिकों के श्रम अधिकारों की रक्षा होगी और समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा। कार्यशाला में शिक्षाविदों, अनुसंधान अध्येताओं और सरकारी अधिकारियों सहित 38 प्रतिभागियों ने भाग लिया। डॉ. रूमा घोष, सीनियर फेलो पाठ्यक्रम निदेशक थीं।

- **सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ – भविष्य निधि और नई पेंशन योजनाएँ** पर 08 अगस्त 2024 को एक कार्यशाला आयोजित की गई जिसका उद्देश्य संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विभिन्न पेंशन योजनाओं पर प्रतिभागियों की समझ को मजबूत करना था। कार्यशाला में वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के 20 कर्मचारियों ने भाग लिया। डॉ. रूमा घोष, सीनियर फेलो पाठ्यक्रम निदेशक थीं।

- भारतीय डाक सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए 09 अगस्त 2024 को **श्रमिक मुद्दे, श्रम कानून और श्रम संहिताएँ** पर एक अभिविन्यास कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला का उद्देश्य भारतीय डाक सेवा के परिवीक्षार्थियों को श्रम मुद्दों, श्रम कानूनों और श्रम संहिताओं के बारे में समझ और अभिविन्यास प्रदान करना था। इस कार्यक्रम में रफी अहमद किदवई राष्ट्रीय डाक अकादमी, गाजियाबाद में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे भारतीय डाक सेवा के 09 अधिकारियों ने भाग लिया। डॉ. संजय उपाध्याय, सीनियर फेलो पाठ्यक्रम निदेशक थे।

- वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान को वर्ष 2023–24 के दौरान राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (कार्यालय), नौएडा द्वारा दिनाँक 23 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय होटल प्रबंध एवं केटरिंग टेक्नोलॉजी परिषद, सैक्टर–62, नौएडा में आयोजित नराकास (कार्यालय), नौएडा की 47वीं बैठक में **द्वितीय पुरस्कार** से सम्मानित किया गया।

- संस्थान ने 20 सितंबर 2024 को एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) के

सहयोग से **प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम, 2017**: प्रावधान, नीतियां और प्रथाएं पर एक वेबिनार का आयोजन किया। वेबिनार में प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम, 2017 को लागू करने में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की गई और आगे के रास्ते सुझाए गए। वेबिनार

में महिलाओं की कार्यबल भागीदारी पर अधिनियम के सकारात्मक प्रभाव पर जोर दिया गया, साथ ही चल रहेकार्यान्वयन के मुद्दों को हल करने के लिए बेहतर जागरूकता और लक्षित प्रशिक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। डॉ. राजन वर्मा, डॉ. रोहित मणि तिवारी, श्री मनोज कुमार शर्मा, डॉ. एलीना सामंतराय, डॉ. अनादि एन सिन्हा, सुश्री पूजा रामचंदानी और श्री बासुदेव मुखर्जी ने वेबिनार में व्याख्यान दिए। वेबिनार में 61 प्रतिभागियों ने भाग लिया। वेबिनार का समन्वय एसोचैम के निदेशक श्री संतोष पाराशर और डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो, वीवीजीएनएलआई ने संयुक्त रूप से किया।

अध्ययन दौरे

- वीवीजीएनएलआई ने 22 अप्रैल 2024 को एमएबी इंस्टीट्यूट ऑफ ज्यूडिशियल साइंस, डोमकल, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल के छात्रों के लिए एक अध्ययन यात्रा का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में संस्थान का दौरा करने वाले पांच–वर्षीय बीएएलएलबी पाठ्यक्रम के 22 छात्रों और शिक्षकों ने भाग लिया। श्री पी. अमिताभ खुंटिआ, एसोसिएट फेलो ने इस यात्रा का समन्वय किया।
- 20 सितंबर 2024 को श्रम अध्ययनों पर जागरूकता कार्यशालाआयोजित की गई, जिसका उद्देश्य प्रतिभागियों को श्रम अध्ययन में प्रमुख अवधारणाओं और प्रवृत्तियों के बारे में शिक्षित करना, श्रम बाजार और इसकी गतिशीलता की गहरी समझ को बढ़ावा देना था। कार्यशाला में तमिलनाडु इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर स्टडीज (टीआईएलएस), तमिलनाडु के मास्टर्स डिग्री के 40 छात्रों ने भाग लिया। डॉ. धन्या एमबी, फेलो पाठ्यक्रम निदेशक थीं।

- टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर एक कार्यशाला 25 नवंबर 2024 को आयोजित की गई थी, जिसका उद्देश्य यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए कानूनी ढांचे और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए आवश्यक रणनीतियों पर चर्चा करना था।

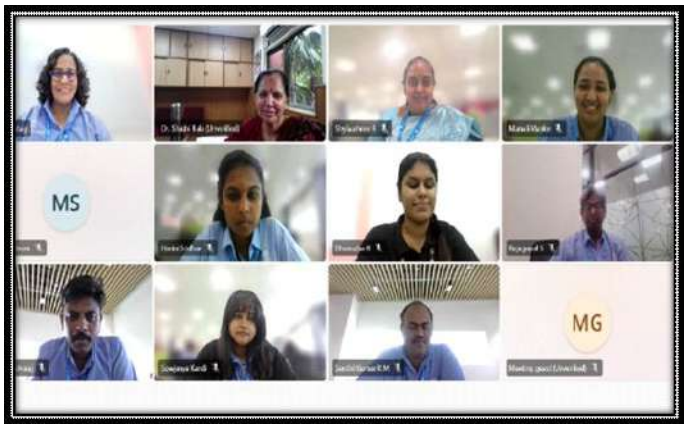

- 12 दिसंबर 2024 को नौसेना भवन, दिल्ली कैंट, दिल्ली में भारतीय नौसेना के अधिकारियों के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य लैंगिक संवेदीकरण के महत्व और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए कानूनी ढांचे को समझना था।

आयोजन

- वीवीजीएनएलआई की महापरिषद की 52वीं बैठक 29 जनवरी 2024 को श्री भूपेंद्र यादव, माननीय केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री और अध्यक्ष, महापरिषद की अध्यक्षता में आयोजित की गई। सुश्री आरती आहूजा, सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और उपाध्यक्ष, महापरिषद; श्री रमेश कृष्णमूर्ति, अपर सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय; सुश्री जी मधुमिता दास, संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय; श्री कमल किशोर सोन, संयुक्त सचिव; सुश्री अमरजीत कौर, महासचिव, एआईटीयूसी; श्री मुकेश कुमार जैन,

श्री भूपेन्द्र यादव, माननीय केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्री महापरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए।

अखिल भारतीय निर्माता संगठन; और डॉ. अरूप मित्रा, प्रोफेसर, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी ने बैठक में भाग लिया। इसका समन्वय डॉ. अरविंद, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई और सदस्य सचिव, महापरिषद, वीवीजीएनएलआई ने किया।

- वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान और भारतीय नौसेना के बीच 29 अप्रैल 2024 को वीवीजीएनएलआई परिसर में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता ज्ञापन रक्षा और श्रम क्षेत्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने में

एक ऐतिहासिक क्षण का प्रतीक है, जो कार्यबल विकास और क्षमता निर्माण में सहक्रियात्मक प्रयासों का मार्ग प्रशस्त करेगा।

- वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएन एलआई) ने 16 दिसंबर 2024 को ग्रेटर नोएडा के बेनेट विश्वविद्यालय में बेनेट विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। बेनेट

विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ लॉ के डीन प्रोफेसर (डॉ.) प्रदीप कुलश्रेष्ठ ने स्वागत भाषण दिया। समझौता ज्ञापन पर डॉ. अरविंद, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई और प्रोफेसर (डॉ.) अजित अब्राहम, कुलपति, बेनेट विश्वविद्यालय ने हस्ताक्षर किए। इस कार्यक्रम में बेनेट यूनिवर्सिटी के मुख्य परिचालन अधिकारी श्री सेंथिल कुमार भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का समन्वय एलीना सामंतराय, फेलो, वीवीजीएनएलआई और डॉ. प्रियंका चटर्जी, सहायक प्रोफेसर, बेनेट विश्वविद्यालय ने किया। कार्यक्रम में डॉ. संजय उपाध्याय, सीनियर फेलो, वीवीजीएनएलआई षामिल हुए। सुश्री नूपुर कुमारी, सहायक प्रोफेसर, बेनेट यूनिवर्सिटी ने धन्यवाद ज्ञापन दिया।

डॉ. अरविंद महानिदेशक वी वी जी एन एल आई, नोएडा और भारतीय नौसेना केरियर एडमिरल आदित्य द्वारा, ए सी ओ पी (एसी) फाइलों का आदान–प्रदान करते हुए।

*****

अध्याय-19

सूचना प्रौधोगिकी (आईटी) / मीडिया सबंधी पहल/ई-गवर्नेंस

19.1 राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) कार्यों की सूची, निविदाओं, एनईजीपी के संबंध में पूरे देश में ई–गवर्नेंस प्रणालियों को जोड़ने और सरकारी सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदायगी के लिए एक राष्ट्र व्यापी नेटवर्क का निर्माण करने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई एक पहल है। राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) की परिकल्पना "आम आदमी को उसके इलाके में ही सामान्य सेवा प्रदायगी केंद्रों के माध्यम से सभी सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना और आम आदमी की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, इन सेवाओं की किफायती मूल्यों पर दक्षता, पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित करने" के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर ई–गवर्नेंस संबंधी पहलों पर बल देने के उद्देश्य से की गई थी।

19.2 इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), भारत सरकार ने साइबर हमलों को रोकने और साइबर संबंधित घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने में संगठनों का मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से विभिन्न तंत्र/प्रणाली स्थापित किए हैं। ये दिशानिर्देश विभिन्न सुरक्षा डोमेन जैसे नेटवर्क सुरक्षा, अनुप्रयोग सुरक्षा, डेटा सुरक्षा, लेखा परीक्षा, थर्ड पार्टी आउटसोर्सिंग आदि पर केन्द्रित हैं।

19.3 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने एक वरिष्ठ अधिकारी को मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) को नामित किया है, साथ ही अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालयों के लिए अलग–अलग सीआईएसओ भी नियुक्त किए हैं। उचित कदम उठाने के लिए सीआईएसओ के अधीन अधिकारियों की एक टीम भी बनाई गई है।

19.4 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 3 वर्ष की अवधि के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के विभिन्न वेब अनुप्रयोगों/पोर्टलों की सुरक्षा ऑडिट के लिए जेम पोर्टल द्वारा सीईआरटी–इन पैनलबद्ध एजेंसी का चयन किया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की वेबसाइट/पोर्टल का सुरक्षा ऑडिटर द्वारा नियमित ऑडिट किया जा रहा है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीनस्थ/ संबद्ध कार्यालय भी अपनी आईटी टीम द्वारा पैनलबद्ध संगठनों में सीईआरटी द्वारा साइबर सुरक्षा ऑडिट करते हैं। जहां भी आवश्यकता होती है, साइबर सुरक्षा ऑडिट करने हेतु आवश्यक कार्रवाई पहले ही पूरी कर ली गई है।

19.5 राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना के महत्व को ध्यान में रखते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा इसके अधीन विभिन्न संगठनों द्वारा निम्नलिखित कार्यकलाप संचालित किए गए हैं:

क. मंत्रालय में किए गए कार्यकलाप:

I. मंत्रालय में कई आईटी पहल की गई हैं उदाहरण के लिए मंत्रालय के आंतरिक डैशबोर्ड का विकास, आधिकारिक वेबसाइट पर मंत्रालय के डैशबोर्ड का उन्नयन, मंत्रालय के श्रम सुविधा पोर्टल के साथ इन्वेस्ट इंडिया पोर्टल का एकीकरण।

ii. मंत्रालय के समाधान (निगरानी और निपटान, संभावित / मौजूदा औद्योगिक विवाद के निपटान के लिए सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग) पोर्टल संबंधी कार्यों को सुदृढ़ किया गया।

iii. डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) के रूप में ई–आफिस का क्रियान्वयन किया जा रहा है। सरकारी लेनदेन में ई–ऑफिस के उपयोग से पारदर्शिता लाने, जिम्मेदारी तय करने और अधिनिर्णयन में तेजी लाने में सहायता मिलती है। रियल टाइम ट्रेकिंग, लोकेशन एगनॉस्टिक डिस्पोजल, यूनिवर्सल सर्च–एबीलिटी, फाइलों को पुनः प्राप्त करना जैसे ई–ऑफिस से कुछ अन्य लाभ हैं।

iv. **बाल श्रम निषेध को प्रभावी ढ़ंग से लागू करने के लिए मंच (पीईएनसीआईएल)**– संशोधित बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 और राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) स्कीम के उपबंधों का प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए बेहतर निगरानी एवं रिपोर्टिंग प्रणाली के लिए पेंसिल (बाल श्रम निषेध के कारगर प्रवर्तन हेतु प्लेटफार्म) पोर्टल आरंभ किया गया है। पेंसिल पोर्टल के पांच घटक हैं, नामतः (i) कम्प्लेन्ट कॉर्नर, (ii) जिला नोडल अधिकारी (डीएनओ), (iii) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) स्कीम, (iv) राज्य सरकार और (v) केंद्र सरकार।

एनसीएलपी योजना को दिनांक 01 अप्रैल 2021 के बाद चरणबद्ध तरीके से शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की समग्र शिक्षा अभियान योजना के साथ अपनाया गया है।

v. मंत्रालय द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2017 को जारी अधिसूचना से श्रम विधानों के अनुपालन में सहजता के लिए केंद्रीय श्रम विधानों/नियम के अंतर्गत अनुरक्षण हेतु यथाउपबंधित 56 रजिस्टरों के स्थान पर इनकी संख्या को घटाकर मात्र 5 किया गया है। प्रतिष्ठानों दवारा अनुपालन को और सुविधाजनक बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है, जो प्रतिष्ठानों द्वारा इन रजिस्टरों के अनुरक्षण के लिए उपयोग में लायी जाती है और इसे मंत्रालय के बेवसाइट https://labour.gov.in/मत्महपेजमत से निःशुल्क अपलोड किया जा सकता है।

ख रोजगार महानिदेशालय (डीजीई) ने राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल (www.ncs.gov.in) के माध्यम से नियोक्ताओं, प्रशिक्षकों और नौकरी चाहने वालों को एक मंच पर लाने की पहल का शुभारंभ किया है। 31 दिसंबर, 2024 तक एनसीएस प्लेटफॉर्म पर 5.17 करोड़ नौकरी चाहने वाले, 38.64 लाख नियोक्ता पंजीकृत हो चुके हैं और पोर्टल के माध्यम से 4.1 करोड़ से अधिक रिक्तियां जुटाई गई हैं। औसतन, एनसीएस पोर्टल पर लगभग दस लाख सक्रिय रिक्तियां उपलब्ध थीं।

एनसीएस पोर्टल को ई–श्रम पोर्टल, उद्यम पोर्टल और स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच) सहित कई सरकारी प्लेटफार्मों के साथ एकीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त, इसके माध्यम से 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के रोजगार पोर्टलों के साथ भागीदारी की गयी है, जबकि 7 राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों नौकरी चाहने वालों के पंजीकरण के लिए सीधे ही इस मंच का उपयोग करते हैं।यह पोर्टल प्रमुख निजी जॉब पोर्टल्स जैसे क्विकर जॉब्स, फाउंडिट (पूर्व में मॉन्स्टर डॉट कॉम), फ्रेशर्स वर्ल्ड, कैसियस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, हाइरमी, टीसीएस आईओएन, टीएमआई आदि के साथ भी सहयोग करता है। इन एकीकरणों से निजी नियोक्ताओं से बड़ी संख्या में रिक्तियों को जुटाने में मदद की है। एनसीएस पोर्टल एक अंतर्राष्ट्रीय नौकरी मॉड्यूल भी प्रदान करता है, जो एमईए–पंजीकृत एजेंटों को अंतर्राष्ट्रीय नौकरी के अवसरों को पोस्ट करने में सक्षम बनाता है।

प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध रोजगार योग्यता मूल्यांकन उपकरण नौकरी चाहने वालों को उनके कौशल और रोजगार के लिए तत्परता का आकलन करने में मदद करता है। इसके अलावा, डिजीसक्षम कार्यक्रम एक्सेल, एज़्योर और सिक्योरिटी फंडामेंटल्स जैसे क्षेत्रों में मुफ़्त डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, "करियर कौशल प्रशिक्षण" (एनसीएस) अनुभाग नौकरी चाहने वालों को आवश्यक सॉफ्ट स्किल्स से लैस करता है।इन सभी कार्यक्रमों का आयोजन उद्योग भागीदारों के सहयोग से किए जाते हैं।

ग **डीजीएमएस ने वर्ष 2024 के दौरान कई आईटी पहल की शुरुआत हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:**

(I) डीजीएमएस की वेबसाइट को विभिन्न हितधारकों के लिए बेहतर यूजर इंटरफेस और पारदर्शिता प्रदान करने के

लिए पुनः डिजाइन और अनुकूलित किया गया है। दिनांक 28.02.2023 को डीजीएमएस वेबसाइट का सफलतापूर्वक सुरक्षा ऑडिट किया गया और दिनांक 13.07.2023 को एसटीक्यूसी वेबसाइट गुणवत्ता प्रमाणन जारी किया गया जो 12.07.2026 तक वैध है।

(ii) डिजिटल इंडिया पहल के अनुरूप, सॉफ्टवेयर मॉड्यूल अर्थात् "अनुमोदन प्रणाली", अनुमति/छूट/रियायत/"प्रणाली" को उपयोगकर्ता उद्योग द्वारा उपयोग के लिए विकसित और सक्रिय किया गया है। दिनांक 31.12.2024 तक, अनुमति/छूट/ रियायत के लिए 32807 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किये गये और तदनुसार 31807 का समाधान किया गया था। कैलेंडर वर्ष के दौरान, अनुमति/छूट/ रियायत के लिए 7876 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए और 7993 (2023 में प्राप्तआवेदनों सहित) तदनुसार निपटाए गए। दिनांक 31.12.2023 तक अनुमोदन के लिए कुल 1778 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं और 1699 को तदनुसार निपटान कर लिया गया है। कैलेंडर वर्ष के दौरान अनुमोदन के लिए कुल 337 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं और 325 को तदनुसार निपटान कर लिया गया है।

(iii) एनएसए (खान) के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने, डेटा का मूल्यांकन और सत्यापन तथा पुरस्कार विजेताओं की सूची तैयार करने के लिए "राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खान) प्रणाली" सॉफ्टवेयर मॉड्यूल को लाइव कर दिया गया है। इससे सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही आई है। प्रतियोगिता वर्ष 2021 और 2022 के लिए क्रमशः 619 और 498 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं।

(iv) "दुर्घटना एवं सांख्यिकी प्रणाली" सॉफ्टवेयर मॉड्यूल विकसित किया गया है और दिनांक 01.08.2020 को इसे लाइव कर दिया गया है। इस प्रणाली ने खदान/खान उपयोगकर्ता द्वारा दुर्घटना की सूचना ऑनलाइन भेजने, डीजीएमएस के निरीक्षण अधिकारियों द्वारा दुर्घटना जांच रिपोर्ट दाखिल करने, दुर्घटना रिपोर्टों का पालन करने, कार्रवाई को अंतिम रूप देने और सुरक्षा मानकों में सुधार के लिए खनन उद्योग को प्रासंगिक जानकारी और अलर्ट भेजने की सुविधा प्रदान की है। इसके अतिरिक्त, यह प्रणाली खदान उपयोगकर्ताओं द्वारा सांख्यिकीय विवरण ऑनलाइन दाखिल करने के लिए मंच प्रदान करती है। जब से प्रणाली को ऑनलाइन सक्षम किया गया है, तब से 31.12.2024 तक वेब पोर्टल पर कुल 460 घातक दुर्घटनाएँ, 851 गंभीर दुर्घटनाएँ और 184 खतरनाक घटनाएँ संबंधी रिपोर्ट की प्राप्ति हुई हैं।

(v) निरीक्षण, पूछताछ, अनुवर्ती कार्रवाई, दैनिक आधार पर की गई प्रचार पहलों का विवरण तैयार करने के लिए अधिकारियों द्वारा दैनिक गतिविधियों की ऑनलाइन लॉगिंग के लिए मॉड्यूल विकसित किया गया है। इससे अधिकारियों द्वारा मासिक सारांश कार्य की ऑनलाइन पीढ़ी और रिपोर्टिंग और डीजीएमएस वेबसाइट पर डैशबोर्ड को वास्तविक समय में अपडेट करने की सुविधा होगी।

(vi) निरीक्षण के लिए ऑनलाइन जनरेशन के लिए, कोयला खदानों के लिए "जोखिम आधारित निरीक्षण प्रणाली" के कार्य–प्रणाली/नियमों को विकसित किया गया है और श्रम सुविधा पोर्टल (एसएसपी) में शामिल किया गया है। खान सुरक्षा के सभी निदेशकों (क्षेत्रों में तैनात खनन, जोनों में तैनात इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल) को भी एसएसपी के माध्यम से 100% निरीक्षण करने के लिए, दिनांक 03.12.2024 से सिस्टम में शामिल किया गया है।

(vii) कोयला खान विनियमन, 2017 और धातुयुक्त खान विनियमन, 1961 के अंतर्गत सभी वैधानिक परीक्षाएँ कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सी बी टी) मोड पर आयोजित की जा रही हैं। कोयला खान विनियमन, 2017 और धातुयुक्त खान विनियमन, 1961 के अंतर्गत प्रबंधक, ओवरमैन, फोरमैन, सर्वेयर, सिरदार, मेट, ब्लास्टर और गैस परीक्षण योग्यता परीक्षा के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सी बी टी) दिसंबर 2024 के महीने में पूरे भारत में आयोजित की गई थी। उपरोक्त परीक्षाओं में कुल 17070 अभ्यर्थी शामिल हुए। 2024 की मुख्य विशेषताओं में छह क्षेत्रीय भाषाओं में बहुभाषी सीबीटी, 14 शहरों (चेन्नई, वाराणसी और बिलासपुर में नए केंद्रों सहित) में आयोजित परीक्षाएं, ऑनलाइन

प्रमाणपत्र सत्यापन और 11,500 से अधिक योग्यता प्रमाणपत्र जारी करना, प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और पहुंच को और आसान बनाना शामिल है।

(viii) ई–ऑफिस और ई–स्पेरो का कार्यान्वयन– ई–ऑफिस और ई–स्पेरो के कार्यान्वयन के संबंध में एक बैठक का आयोजन दिनांक 04.11.2024 को संयुक्त सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय की अध्यक्षता में की गई, जिसमें कर्मचारियों का नए डेटा वांछित प्रारूप में प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, जो पहले ही शुक्रवार दिनांक 01.11.2024 को प्रस्तुत किया जा चुका है।

,(ix) ग्रुप ए अधिकारियों के वार्षिक सामान्य स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल सितंबर 2022 से सक्रिय बना दिया गया है और वर्ष 2023 में सभी ग्रुप ए अधिकारियों के स्थानांतरण पोर्टल के माध्यम से किए गए थे। वर्तमान में भी यह प्रक्रिया जारी है।

(x) डीजीएमएस ओएचएस उपायों पर हितधारकों तक सूचना और जागरूकता के प्रसार के लिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (496.7 हजार फ़ॉलोअर्स) हैंडल https://twitter.com/DGMS1902 और यूट्यूब चैनल https://www. youtube.com/ DGMSINDIA (127 वीडियो, 96,540 व्यूज) का सक्रिय रूप से उपयोग किया जा रहा है।

सुरक्षा चेतावनियाँ और अद्यतन जानकारी नियमित रूप से साझा की जाती है, जिससे पारदर्शिता और जागरूकता बढ़ती है।

घ. डीजीफासली ने वर्ष 2024 के दौरान कई आईटी पहल की शुरुआत की हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

I. ई–ऑफिस का क्रियान्वयन किया जा चुका है और यह सभी डीजीएफएएसएलआई कार्यालयों में पूर्णतः कार्यात्मक है।

ii. डीजीफासली के सभी ग्रुप क, ख और ग कर्मचारियों की एपीएआर फाइलिंग के लिए ई–स्पैरो प्रणाली लागू की गई है।

iii. डीजीफासली स्थानांतरण पोर्टल क्रियान्वित किया जा चुका है और कार्यात्मक है।

iv. डीजीफासली की आधिकारिक वेबसाइट को अद्यतन किया गया है और इसका नियमित रखरखाव किया जाता है।

v. डीजीफासली के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल (फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स) सृजित किए गए हैं और उनका नियमित रूप से रखरखाव किया जाता है।

ङ. ईपीएफओ में आईटी पहलें

- **सदस्य पोर्टल पर ऑनलाइन सदस्य प्रोफाइल सुधार सुविधा उपलब्धः** सदस्य की प्रोफाइल को सही करने और दावा फॉर्म की अस्वीकृति को कम करने के लिए, मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार आवश्यक संयुक्त घोषणा आरंभ करने के लिए सदस्यों को 25 फरवरी 2024 को उनके सदस्य पोर्टल लॉगिन में एक उपयोगकर्ता अनुकूल सुविधा प्रदान की गई है।

  यह सुविधा प्रक्रिया आरंभ करने और प्रोफाइल सुधार की प्रगति पर नज़र रखने के लिए सदस्य की अपने नियोक्ता पर निर्भरता को कम करेगी और ईपीएफओ को प्रोफाइल सुधार से संबंधित समस्याओं को कम करने और उनकी निगरानी करने में मदद करेगी।

- **प्रतिष्ठानों की ई–रिपोर्टः** यूएएन के साथ मैप किए गए सदस्यों की संख्या, छूटे हुए यूएएन की संख्या, स्वीकृत किए जाने वाले लंबित केवाईसी, कुल पीएफ अंशदान, किसी विशेष महीने के लिए कुल पेंशन अंशदान आदि जैसे विभिन्न ब्योरा,सभी हितधारकों के लिए खुले डोमेन में उपलब्ध कराने के लिए। इससे पारदर्शिता और जीवनयापन में आसानी होगी।

➢ 7क्यू और 14बी सूचनाएं ऑनलाइन भेजने और नियोक्ताओं द्वारा प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने की सुविधा विकसित की गई।

➢ **एमआईएस 3.0** – ईपीएफओ प्रबंधन को कुशल और प्रासंगिक डैशबोर्ड प्रदान करने के लिए एमआईएस का नया संस्करण यानी एमआईएस 3.0 का शुभारंभ किया गया है। प्रस्तावित कुछ उपयोगी परिणाम जिनमें बेहतर यूजर इंटरफ़ेस अनुभव, बेहतर नेविगेशन, स्व–अनुकूलन योग्य रिपोर्ट, उपयोगकर्ता–उन्मुख रिपोर्ट निष्कर्षण और डाउनलोड, एक नज़र में जानकारी, सुविधाजनक रिपोर्ट खोज सुविधा आदि शामिल हैं।

➢ **ईडीएलआई:** ईडीएलआई छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के लिए ऑनलाइन रिटर्न दर्ज करने की सुविधा।

➢ **छूट समर्पण और पिछले संचय के हस्तांतरण के लिए ऑनलाइन प्रणाली की स्थापना** : छूट के समर्पण और सदस्यों की पिछली जमाराशि के हस्तांतरण से संबंधित एक नई ऑनलाइन प्रणाली का शुभारंभ किया गया है। इस प्रणाली को एकीकृत पोर्टल के नियोक्ता लॉगिन के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। इसे छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के नियोक्ताओं के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि वे अपने आवेदन और आवश्यक दस्तावेज़ ऑनलाइन दर्ज कर सकें, इसको बाद में क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा संसाधित किया जाएगा।

➢ **अन्य आईटी सुधार**

- जहां सदस्य के पास यूएएन आधारित लॉगिन नहीं है, वहां प्रोफाइल/सेवा सुधार के लिए संयुक्त घोषणा प्रस्तुत करने हेतु नियोक्ताओं को सुविधा।
- क्षेत्रीय कार्यालयों को यूएएन/ एमआईएस/ स्थापना को फ्रीज करने/डी–फ्रीज करने की सुविधा प्रदान करने के लिए ईपीएफओ सॉफ्टवेयर में कार्यक्षमता की स्थापना ।
- मृत्यु के मामलों में आधार मैचिंग के प्राथमिक अस्वीकृति कारण को समाप्त कर दिया गया है।
- वर्ष 2023–24 के लिए वार्षिक सदस्य खातों को 31.5 करोड़ (99.60%) सदस्य खातों (31.12.2024 तक) के लिए अद्यतन किया गया है।

➢ **सॉफ्टवेयर मॉड्यूल विकास:**

i. छूट समर्पण मॉड्यूल विकसित किया गया है और लाइव कर दिया गया है।

ii. जम्मू, श्रीनगर और करनाल के 49,000 से अधिक ईपीएस पेंशनभोगियों को अक्टूबर 2024 के लिए 11 करोड़ रुपये की पेंशन प्रदान करने के साथ सीपीपीएस का सफलतापूर्वक पायलट परीक्षण किया गया है। दिसंबर, 2024 में सभी आरओ में सीपीपीएस का राष्ट्रव्यापी रोलआउट किया गया और 68 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को पेंशन के रूप में 1,572 करोड़ रुपये वितरित किए गए।

iii. यूजर प्रबंधन मॉड्यूल विकसित किया गया है।

iv. पुनः अभियांत्रिकीकृत ईसीआर रिटर्न मॉड्यूल विकसित किया गया है।

v. अन्य सभी मॉड्यूलों का विकास कार्य प्रगति पर है।

➢ **व्यापार करने में आसानी:**

अपने सदस्यों के लिए काम को आसान बनाने के लिए, ईपीएफओ ने नौकरी बदलने पर पीएफ खाते के हस्तांतरण की प्रक्रिया को सरल बना दिया है, जिसमें अधिकांश मामलों में पिछले या वर्तमान नियोक्ता के माध्यम से ऑनलाइन हस्तांतरण क्लेम को रूट करने की आवश्यकता को हटा दिया गया है। संशोधित प्रक्रिया की शुरुआत के साथ, यह आशा की जाती है कि भविष्य में कुल 1.

30 करोड़ हस्तांतरण क्लेम में से 1.20 करोड़ से अधिक अर्थात कुल दावें का 94% नियोक्ता के हस्तक्षेप की आवश्यकता के बिना सीधे ईपीएफओ को भेज दिया जाएगा। वर्तमान में, कुछ स्थितियों में स्थानांतरण दावों के लिए नियोक्ता से किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है, जब कोई सदस्य किसी रोजगार को छोड़कर किसी अन्य प्रतिष्ठान में शामिल होता है। 1 अप्रैल 2024 से अब तक, ईपीएफओ को ऑनलाइन मोड में लगभग 1.30 करोड़ स्थानांतरण दावे प्राप्त हुए हैं, जिनमें से लगभग 45 लाख दावे ऑटो–जेनरेटेड स्थानांतरण दावे हैं, जो कुल स्थानांतरण दावों का 34.5% है। इस सरलीकृत प्रक्रिया के परिणामस्वरूप सदस्यों द्वारा प्रस्तुत दावे के रूप में टर्नअराउंड समय में काफी कमी आएगी। इससे सदस्यों की शिकायतों में भी काफी कमी आएगी (वर्तमान में कुल शिकायतों का 17% स्थानांतरण संबंधी मुद्दों से संबंधित है) और संबंधित अस्वीकृतियों में भी कमी आएगी। बड़े नियोक्ता जिनके पास ऐसे मामलों को अनुमति देने का बड़ा कार्यभार है, उनके लिए व्यापार करने में आसानी में महत्वपूर्ण सुधार होगा।

- **सीआईटीईएस 2.0:** स्टेजिंग के लिए आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण सेटअप अब पूरी तरह चालू है। सभी सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्क घटक वितरित और कॉन्फ़िगर किए गए हैं। अधिकांश सुरक्षा घटक भी वितरित किए गए हैं और कॉन्फ़िगर किया जा चुका हैं।

- **परियोजना 3.0:** ईपीएफओ 3.0 'एएस–आईएस' कार्यशाला 12 दिसंबर 2024 को आयोजित की गई थी।कार्यशाला का उद्देश्य ईपीएफओ इकोसिस्टम की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करना था, जिसमें मौजूदा वर्कफ़्लो, व्यावसायिक प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकी के भीतर चुनौतियों और अक्षमताओं की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

च. ईएसआईसी में आईटी पहलें

1. पंचदीप 1.0: ईएसआईसी की ई–गवर्नेंस परियोजना

'प्रोजेक्ट पंचदीप' भारत में सबसे बड़ी ई–गवर्नेंस पहलों में से एक है, जिसे नियोक्ताओं, बीमित व्यक्तियों, ईएसआईसी कर्मचारियों, अन्य –पक्ष सेवा प्रदाताओं, सरकारी एजेंसियों और आपूर्तिकर्ताओं सहित हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए व्यापक ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस परियोजना द्वारा नियोक्ता और लाभार्थी पंजीकरण, अंशदान जमा, नकद लाभ प्रदायगी, चिकित्सा सेवाओं का दस्तावेज़ीकरण, परिसंपत्तियों और सूची का प्रबंधन आदि जैसे महत्वपूर्ण ईएसआईसी कार्यों की सुविधा प्रदान की जा रही है।

ईएसआईसी की आईसीटी पहलों ने प्रमुख प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया है, जिससे बीमित व्यक्तियों, नियोक्ताओं और कर्मचारियों सहित सभी हितधारकों के लिए कागजी कार्रवाई और प्रशासनिक बोझ कम हुआ है। ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन की शुरुआत ने लाभार्थियों को उनके लाभ और स्वास्थ्य सेवा से संबंधित जानकारी तक आसानी से पहुंचने में सक्षम बनाया है, जिससे पारदर्शिता और पहुंच को बढ़ावा मिला है। प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए ईएसआईसी की प्रतिबद्धता के परिणामस्वरूप डेटा एनालिटिक्स क्षमताओं में भी सुधार हुआ है, जिससे योजना और ई–गवर्नेंस के प्रावधानों की प्रभावशीलता और स्थिरता को बढ़ाने के लिए डेटा–संचालित निर्णय लेने में सक्षम हुआ है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने हाल ही में अपनी प्रमुख आईटी प्रणाली, **प्रोजेक्ट पंचदीप** को सफलतापूर्वक अपग्रेड किया है। इस महत्वपूर्ण अपग्रेड में हार्डवेयर, मिडलवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क सिस्टम सहित संपूर्ण आईटी अवसंरचना में सुधार शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप ईएसआईसी के सभी हितधारकों के लिए एक तेज़, अधिक सुरक्षित और यूजर फ़्रेंडली प्लेटफ़ॉर्म तैयार हुआ है।

उन्नत प्रणाली बिना किसी बाधा के पंजीकरण और अंशदान जमा प्रक्रिया सुनिश्चित करती है, जिससे नियोक्ताओं और बीमित व्यक्तियों के लिए व्यवसाय करना आसान हो जाता है। परिचालन दक्षता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए, ईएसआईसी द्वारा बेहतर कनेक्टिविटी, मजबूत सुरक्षा उपायों और उन्नत डेटाबेस सर्वर के साथ

एक नए वातावरण का सृजन किया है।

धन्वंतरि अनुप्रयोग/मॉड्यूल में सुधार के उपाय

धन्वंतरि मॉड्यूल (स्वास्थ्य सूचना प्रणाली अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर) में अस्पताल, डिस्पेंसरी, ओपीडी, आईपीडी, प्रयोगशालाएं, इमेजिंग सेवाओं से संबंधित सभी सेवाएं शामिल हैं। यह पिछले केस हिस्ट्री सहित रोगी रिकॉर्ड तक पहुंच में सुधार करके अस्पतालों और डिस्पेंसरियों को बेहतर बनाया है, जिससे अधिक कुशल रोगी प्रबंधन की सुविधा मिलती है। अब इसका उपयोग ईएसआईसी अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में अधिक व्यापक रूप से किया जा रहा है, वर्ष 2024 की शुरुआत से इसे अपनाने/प्रयोग में 50% की वृद्धि हुई है और यह रैखिक वृद्धि पर है।

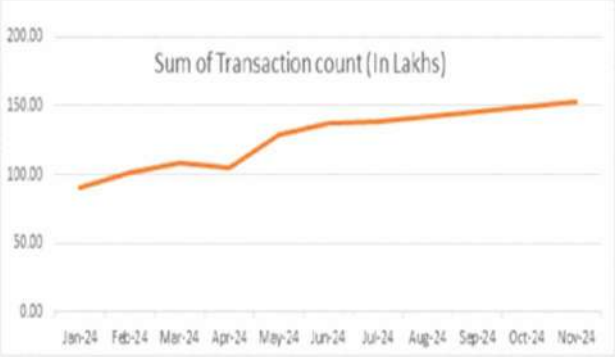

सितंबर 2024 में धन्वंतरि मॉड्यूल और बीमा मॉड्यूल के समान उपयोगकर्ताओं के लिए कनेक्शन पूल में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। मॉड्यूल के कामकाज से संबंधित उपयोगकर्ताओं द्वारा रिपोर्ट की गई घटनाओं/समस्याओं की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में एक तिहाई तक कम हो गई है। इसके अलावा 1.5 करोड़ से अधिक के कुल लेनदेन की तुलना में रिपोर्ट की गई घटनाएं केवल 93 थीं।

2. आईटी परियोजना 'पंचदीप' की मुख्य विशेषताएं

2.1 ईएसआईसी ई–गवर्नेंस संरचना में पांच घटक हैं जो निम्नवत हैः–

- **पहचान** जिसमें बीमित व्यक्तियों (आईपी) की पहचान, प्रमाणीकरण और सत्यापन से संबंधित सभी सेवाएं शामिल हैं। प्रारंभ में इसमें देश में कहीं भी, किसी भी समय किसी भी समय बायोमेट्रिक्स को कैप्चर करना (डी–डुप्लीकेशन के लिए) और दो स्मार्ट पहचान पत्र (एक आईपी और एक अपने परिवार के लिए) जारी करना शामिल था। बाद में, ई–पहचान को शामिल करने के साथ, इन्हें बंद कर दिया गया। अब, आधार का उपयोग बीमित व्यक्तियों (आईपी) की पहचान और प्रमाणीकरण के लिए किया जा सकता है। बीमित व्यक्ति अपने आईपी संख्याओं का उपयोग करके आभा पहचान भी बना सकते हैं।
- **मिलाप** में प्रावधान नेटवर्क और बैंडविड्थ से संबंधित सभी सेवाएं शामिल हैं।
- **पाषाण** में डेटा सेंटर, आपदा बहाली, डेस्कटॉप/पीसी और मिडलवेयर के लिए हार्डवेयर से संबंधित सेवाएं शामिल हैं।
- **धन्वंतरि** में अस्पतालों, औषधालयों, ओपीडी, आईपीडी, प्रयोगशालाओं, इमेजिंग सेवाओं आदि से संबंधित सभी सेवाएं शामिल हैं।
- **प्रगति** ईआरपी, बीमा, लाभ, एचआरएमएस, सामग्री प्रबंधन और वित्त से संबंधित सभी सेवाओं के लिए।

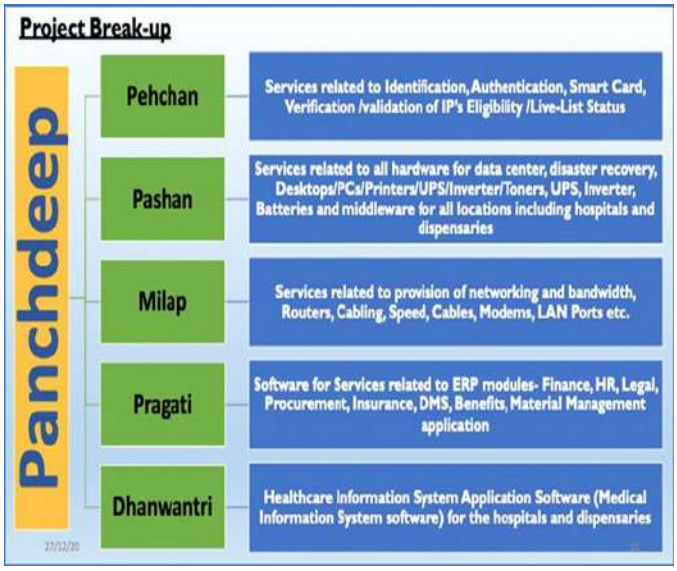

पंचदीप एप्लीकेशन सूट

अनुप्रयोगों का यह समूह एक केंद्रीकृत वेब–आधारित समाधान है, जो विभिन्न ईएसआई कार्यालयों के उपयोगकर्ताओं को वेब ब्राउज़र से अनुप्रयोगों तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। यह

समाधान एक लचीले और विन्यास योग्य वर्कफ़्लो इंजन द्वारा संचालित है, जो यह सुनिश्चित करता है कि यह ईएसआई योजना की सभी वर्कफ़्लो आवश्यकताओं को पूरा करता है, जैसे प्रशासन, चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता, नियोक्ताओं द्वारा किया गया अंशदान और ईएसआईसी कर्मचारियों का प्रशासन। समाधान में योजना के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए एक स्व–सेवा पोर्टल भी शामिल है। मुख्य आवेदन प्रणाली नीचे दिए गए चित्र में दर्शाई गई है:–

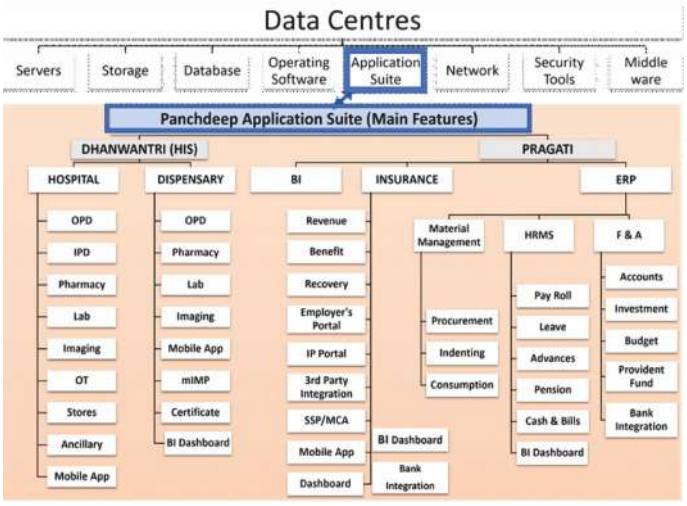

मॉड्यूल / एप्लिकेशन में हाल ही में हुए मूल्यवर्धित परिवर्तन

i) एएए + मोबाइल ऐप का सुदृढ़ीकरण

शुरुआती दौर में अपॉइंटमेंट मोबाइल ऐप (एएए+ मोबाइल ऐप) को बीमित व्यक्तियों और लाभार्थियों को बटन के क्लिक पर डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक करने की सुविधा प्रदान करने के लिए विकसित किया गया था, जिससे ओपीडी अपॉइंटमेंट के लिए कतार में खड़े होने की आवश्यकता समाप्त हो गई। एएए+ मोबाइल ऐप को उन्नत सेवाओं के साथ सुदृढ़ किया गया है, जो बीमित व्यक्तियों (आईपी), ईएसआईसी कर्मचारियों और ईएसआईसी पेंशनभोगियों के लिए पहुंच और सुविधा में सुधार करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। ऐप द्वारा अब बीमित व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित प्रमुख सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैः

- **स्व–जांच–इन जेनेरेशन**– ऐप उपयोगकर्ता (आईपी / लाभार्थी / कर्मचारी) अब अपॉइंटमेंट के दिन बुकिंग के लिए खुद ही चेक–इन जेनरेट कर सकेंगे। उन्हें ओपीडी चेक–इन क्रिएशन के लिए डिस्पेंसरी / अस्पताल में कतार में खड़े होने की आवश्यकता नहीं होगी।

- **बीमित व्यक्ति का व्यक्तिगत विवरण:** बीमित व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंच सकते हैं और उसे देख सकते हैं तथा अपने व्यक्तिगत विवरण को अद्यतन करने के अनुरोध की स्थिति पर नज़र रख सकते हैं।

- **लाभ की पात्रता: उपयोगकर्ता**–अनुकूल इंटरफेस आईपी को विभिन्न ईएसआईसी लाभों के लिए अपनी पात्रता की आसानी से जांच करने में सक्षम बनाता है।

- **ई–पहचान कार्ड:** बीमित व्यक्ति तत्काल पहुंच के लिए अपने ई–पहचान कार्ड को सीधे अपने मोबाइल डिवाइस पर डाउनलोड कर सकते हैं।

- **अंशदान विवरण:** बीमित व्यक्ति अपने आईपी नंबर से जुड़े अपने योगदान का विस्तृत सारांश देख सकते हैं।

- **दावा सूचना अनुरोध स्थिति:** आईपी अपने प्रस्तुत दावा सूचना अनुरोधों की स्थिति की निगरानी कर सकते हैं।

- **होम सैंपल संग्रह:** जनरेशन सुविधा हेतु अनुरोध करना

- **आधार से जोड़ना**– बीमित व्यक्तियों और उनके आश्रितों के लिए स्वयं बीमित व्यक्तियों और ईएसआईसी स्टाफ सदस्यों के माध्यम से आधार संख्या जोड़ने और एबीएचए संख्या सृजन का प्रावधान जोड़ा गया।

इसके अतिरिक्त, ऐप में अधिक उपयोगकर्ता–अनुकूल अनुभव प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो 2023 से 2024 तक 177% की वृद्धि है। ये प्रयास ईएसआईसी की आईटी अवसंरचना के आधुनिकीकरण, परिचालन दक्षता को बढ़ाने और समग्र लाभार्थी अनुभव में सुधार करने की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

ii) लाभार्थियों के लिए आधार से जोड़नाः

ईएसआईसी ने एएए+ मोबाइल ऐप, आईपी पोर्टल, नियोक्ता पोर्टल और स्टाफ लॉगिन के माध्यम से आधार कार्ड को जोड़ने का प्रावधान दिया है। ईएसआईसी विभिन्न तरीकों जैसे बायोमेट्रिक, ओटीपी या फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से आधार को जोड़ रहा है। प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, नियोक्ताओं और स्टाफ लॉगिन में बल्क आधार सीडिंग का प्रावधान दिया गया है।

इसके अलावा, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (एबीएचए) विवरण तैयार करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए आधार सीडिंग के साथ एक प्रावधान भी जोड़ा गया है।

iii) डिफॉल्टर्स के लिए स्वचालित ई–मेल सूचनाएं–

मासिक रूप से चूक करने वाले नियोक्ताओं (डीएल, डी2, डी3) को स्वचालित रूप से ईमेल भेजने के लिए एक नई सुविधा शुरू की गई है, जिससे शीघ्र संचार और अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित होगी।

iv) लाभार्थियों के लिए फोटोग्राफ कैप्चर

ईएसआईसी और पीएमजेएवाई के प्रस्तावित अभिसरण के अनुरूप, ईएसआईसी ने बीमित व्यक्तियों और उनके आश्रितों की तस्वीरें लेने की प्रक्रिया शुरू की है।

v) डैशबोर्ड

विश्लेषण के लिए वरिष्ठ प्रबंधन को कई नए डैशबोर्ड उपलब्ध कराए गए हैं, जैसे डीओ पत्रों के लिए डैशबोर्ड, आंतरिक और बाह्य लेखापरीक्षा पैरा तथा मेडिकल कॉलेजों और ईएसआईसी अस्पतालों की सीसीटीवी निगरानी।

vi) सतर्कता अनापत्ति मॉड्यूल

प्रसंस्करण समय को कम करने और सतर्कता मंजूरी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक ऑनलाइन सतर्कता मंजूरी मॉड्यूल विकसित किया गया है। यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि सक्षम प्राधिकारी को मंजूरी रिपोर्ट आसानी से उपलब्ध हो।

vii) बैंक एकीकरण

ईएसआईसी ने कई बैंकों के साथ एकीकरण किया है, जिससे 8 लाख से अधिक नियोक्ताओं के लिए भुगतान विकल्प उपलब्ध हो गए हैं जो अपने मासिक अंशदान के लिए चालान बनाते हैं। यह एकीकरण सुविधा को बढ़ाता है और नियोक्ताओं के लिए भुगतान प्रक्रिया को सरल बनाता है।

viii) अंतर/अंतर–क्षेत्रीय स्थानांतरण मॉड्यूल–

विभिन्न ईएसआईसी संवर्गों के लिए नई नीति के अनुसार स्थानांतरण प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए एक नया मॉड्यूल लागू किया गया है। यह मॉड्यूल कर्मचारियों को स्थानांतरण विकल्प तलाशने और सिस्टम के भीतर उनके अनुरोधों की प्रगति को ट्रैक करने की अनुमति देकर अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।

ये पहल ईएसआईसी द्वारा अपनी सेवाओं को आधुनिक बनाने, परिचालन दक्षता में सुधार करने और बीमित व्यक्तियों, कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और नियोक्ताओं सहित सभी हितधारकों के लिए एक सहज अनुभव सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों का हिस्सा हैं। इन निरंतर प्रगति के माध्यम से, ईएसआईसी अपने लाभार्थियों के कल्याण के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

छ. मीडिया सेल

श्रम और रोजगार मंत्रालय में मीडिया सेल का गठन जुलाई, 2014 में किया गया था, ताकि देश के आम श्रमिकों तक श्रम और रोजगार मंत्रालय की योजनाओं/नीतियों/पहलों और उपलब्धियों की जानकारी प्रसारित करने के लिए वेबसाइटों और अन्य डिजिटल मीडिया सहित विभिन्न प्लेटफार्मों के कुशल और प्रभावी उपयोग पर बढ़ते जोर को ध्यान में रखा जा सके।

वर्ष 2024 में मीडिया सेल द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ/उपलब्धियाँ

I) मीडिया सेल प्रेस विज्ञप्ति, सोशल मीडिया पोस्ट, डीडी और आकाशवाणी पर कार्यक्रम और साक्षात्कार आदि के माध्यम से प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में मंत्रालय की पहलों और प्रयासों का प्रचार करता है। सोशल मीडिया पोस्ट में क्रिएटिव इन्फोग्राफिक्स, लघु वीडियो/रील, जागरूकता वीडियो/जीआईएफ का उपयोग किया जाता है।

iI) मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों को सभी मीडिया प्लेटफार्मों पर भी प्रचारित किया जाता है।

iii) मीडिया सेल इस मंत्रालय से संबंधित सकारात्मक और नकारात्मक खबरों को दैनिक आधार पर उजागर करता है। मीडिया सेल फर्जी खबरों का मुकाबला करने के लिए नियमित रूप से सोशल मीडिया सामग्री की निगरानी करता है।

iv) मीडिया सेल इस मंत्रालय के साथ–साथ माननीय एलईएम एवं एमओएस (एल एंड ई) के कार्यालय की सभी मीडिया गतिविधियों को कवर करता है।

v) मीडिया सेल मंत्रालय और उसके संगठनों की सभी गतिविधियों/योजनाओं/कार्यक्रमों के बीच सामंजस्य और परस्पर प्रचार सुनिश्चित करने के लिए सभी अधीनस्थ संगठनों और संबद्ध कार्यालयों की मीडिया इकाइयों के साथ निगरानी और समन्वय करता है। मीडिया सेल प्रेस ब्रीफ/प्रेस विज्ञप्तियों के संबंध में सभी प्रभागों/संगठनों को सुविधा प्रदान करता है, पीआईबी आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार सुनिश्चित करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है।

vi) मीडिया सेल सी.बी.सी., प्रसार भारती, राष्ट्रीय भारतीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) और संबद्ध कार्यालयों की मीडिया इकाइयों के साथ निगरानी और अन्य मीडिया एजेंसियों के साथ समन्वय करता है ताकि मीडिया से संबंधित बेहतर कार्यनीति बनाई जा सके।

*****

अध्याय-20

सतर्कता एवं लोक शिकायतों का निवारण

20.1 मुख्य सतर्कता अधिकारी की भूमिका और कार्य

पृष्ठभूमि – संगठन में शुद्धता, अखंडता और दक्षता बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय की है। मुख्य सतर्कता अधिकारी सचिव को उनके सतर्कता कार्यों के निर्वहन में सहायता करता है। सीवीओ मुख्य कार्यकारी के विशेष सहायक/सलाहकार के रूप में कार्यकरता है और सतर्कता से संबंधित सभी मामलों में उसे सीधे रिपोर्ट करता है । सीवीओ मंत्रालय केसतर्कता प्रभाग का नेतृत्व करता है और मंत्रालय और केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय जांच ब्यूरो के बीच एक कड़ी प्रदान करता है। मुख्य सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति केन्द्रीय सतर्कता आयोग के पूर्व परामर्श से की जाती है और कोई भी व्यक्ति जिसकी उस क्षमता में नियुक्ति पर आयोग द्वारा आपत्ति की जाती है, इस प्रकार नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

सीवीओ के सतर्कता कार्य व्यापक हैं और इसमें उनके संगठन के कर्मचारियों द्वारा की गई भ्रष्ट प्रथाओं, या किए जाने की संभावना के बारे में खुफिया जानकारी एकत्र करना शामिल है; उसे रिपोर्ट किए गए सत्यापन योग्य आरोपों की जांच करना या जांच कराना; जहां कहीं आवश्यक हो अनुशासनात्मक सलाह पर आगे विचार करने के लिए जांच रिपोर्ट को प्रक्रियान्वित करना, अनुचित प्रथाओं/कदाचार होने से रोकने के लिए कदम उठाना आदि। इसे मोटे तौर पर तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है – (i) निवारक सतर्कता, (ii) दंडात्मक सतर्कता और (iii) निगरानी और पता लगाना।

20.2 वर्ष 2024–25 के दौरान प्रदर्शन का एक अवलोकन

दंडात्मक सतर्कता

शिकायतें– वर्ष 2024–25 (दिनांक 15.12.2024 तक) के दौरान प्राप्त सभी शिकायतों का समुचित निराकरण किया गया है।

विभागीय कार्यवाही – संबंधित जांच प्राधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर लंबित विभागीय कार्यवाही को शीघ्रता से अंतिम रूप देने का प्रयास किया गया।

अभियोजन स्वीकृतियां – सीबीआई/एसीबी द्वारा मांगी गई सभी अभियोजन के लिए स्वीकृतियां प्रदान की गईं। अभियोजन स्वीकृति का कोई भी मामला तीन माह से अधिक समय से लंबित नहीं है।

निवारक सतर्कता– मंत्रालय के कर्मचारियों द्वारा वर्ष 2023 के निवारक सतर्कता – मंत्रालय के कर्मचारियों द्वारा वर्ष 2023 के लिए प्रस्तुत वार्षिक अचल संपत्ति रिटर्न की उचित जांच की गई। चल/अचल संपत्ति के अधिग्रहण/निपटान के संबंध में दी गई सभी सूचनाओं की भी संबंधित कर्मचारियों की आय के ज्ञात स्रोतों के आलोक में उचित जांच की गई।

मंत्रालय में दिनांक 28.10.2024 से 03.11.2023 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। मंत्रालय में अधिकारी और कर्मचारियों ने दिनांक 30.10.2024 को सत्यनिष्ठा की शपथ ली।

मुख्य सचिवालय में शिकायत निवारण

20.3 मंत्रालय में जन शिकायतें मुख्य रूप से दो तरीकों से प्राप्त होती हैं, अर्थात **केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम्स) पोर्टल (https://pgportal.gov.in)** के माध्यम से ऑनलाइन और विभिन्न स्रोतों से ऑफ़लाइन (भौतिक) रूप में भी। हाल ही में, कई पीड़ित व्यक्ति/पार्टियां भी अपनी शिकायतें ई–मेल और सोशल मीडिया के माध्यम से मंत्रालय तक पहुंचा रहे हैं।

20.4 मंत्रालय द्वारा लोकशिकायत निवारण के कार्य को अत्यधिक महत्व दिया जाता है और सचिव (श्रम और

रोजगार मंत्रालय) की अध्यक्षता में इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। **मंत्रालय के सीपीजीआरएएमएस पोर्टल खाते में दिनांक 31/12/2024 को दी गई रिपोर्ट के अनुसार, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा पीजीपोर्टल (सीपीजीआरएएमएस) पर प्राप्त शिकायतों का औसत निपटान दिनांक 01/01/2024 से 31/12/2024 की अवधि के लिए है।**

20.5 श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा सीपीजीआरएएमएस पोर्टल में प्राप्त और निपटाई गई जनशिकायतों के वर्ष–वार आंकड़ों के साथ एक तुलनात्मक तालिका और वर्ष 2020 से 2024 की अवधि (अर्थात दिनांक 01.01.2010 से 31.12.2024 तक) के दौरान ऐसी शिकायतों के निपटान का प्रतिशत नीचे **तालिका 1.1** में दिखाए गए हैं:

2. सीपीजीआरएएमएस पोर्टल में दी गई रिपोर्ट में दिखाए गए आंकड़े गतिशील प्रकृति के हैं, यानी इनमें से कुछ आंकड़े समय–समय पर रिपोर्ट के निर्माण की तारीख और समय और उनके निपटान / लंबित आदि के आधार पर थोड़ा बदल सकते हैं।

तालिका 1.1 श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा 2020 से ऑनलाइन सीपीजीआरएएमएस पोर्टल (https://pgportal.gov.in) में प्राप्त और निपटाई गई जनशिकायतों का वर्ष-वार ब्यौरा

क्र.सं.कॉलम. 1)	वर्ष (कॉलम 2)	पिछले वर्ष से अग्रेनीत शिकायतें (कॉलम.3)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें (कॉलम.4)	वर्ष के लिए प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या (कॉलम5) (कॉलम3+कॉलम4)	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले (कॉलम. 6)	वर्ष के अंत में लंबितमामले (कॉलम. 7) [कॉलम. 5-कॉलम. 6]	निपटान का प्रतिशतांक (कॉलम. 8) [कॉलम. 6/कॉलम. 5]X100
1.	2020	1338	58862	60200	58637	1563	97.40%
2.	2021	1527	96378	97905	93900	4005	95.91%
3.	2022	4063	137327	141390	138478	2912	97.94%
4.	2023	3032	165053	168085	163224	4861	97.11%
5.	2024	4920	179830	184750	177809	6941	96.24%

ध्यान दें: 1. **उपरोक्त आंकड़े सीपीजीआरएएमएसपोर्टल में दिनांक 31.12.2024 को दी गई रिपोर्ट के अनुसार हैं।**
2. सीपीजीआरएएमएस पोर्टल में दी गई रिपोर्ट में दिखाए गए आंकड़े गतिशील प्रकृति के हैं, यानी इनमें से कुछ आंकड़े समय-समय पर रिपोर्ट के निर्माण की तारीख और समय और उनके निपटान / लंबित आदि के आधार पर थोड़ा बदले जा सकते है।

लोक शिकायतों का निवारण

20.6 ईएसआई निगम एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा संगठन होने के कारण ईएसआई लाभार्थियों की 13.50 करोड़ से अधिक की जरूरतों को पूरा कर रहा है, यानी देश की आबादी का लगभग 10% । एक सेवा संगठन होने के नाते ईएसआईसी सालभर में अपने हितधारकों से कई सार्वजनिक शिकायतों/प्रश्नों का निपटान करना।

20.7 लोकशिकायत निदेशालय, भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में निगम, प्राप्त सभी जन शिकायतों के गुणात्मक और त्वरित निवारण के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। लोक शिकायतें टेलीफोन, डाक, ईमेल, सीपीजीआरएएमएस, सोशल मीडिया आदि जैसे विभिन्न माध्यमों से प्राप्त की जाती हैं।

20.8 निगम सभी क्षेत्रीय कार्यालयों/ईएसआईसी अस्पतालों में तैनात 143 नामांकित लोकशिकायत अधिकारियों के एक विशाल नेटवर्क के माध्यम से जनशिकायतों की निगरानी करता है।

20.9 हितधारकों/ लाभार्थियों को मार्गदर्शन/सूचना प्रदान करने और शिकायत दर्ज करने को आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए, निगमने 24 घंटे टोल–फ्री

हेल्पलाइननंबर 1800–11–2526 की स्थापना की है, जिसके माध्यम से हितधारक और जनता अपनी शिकायतों को दूरभाष पर दर्ज कर सकते हैं और उसी के लिए एक शिकायत पंजीकरण संख्या प्राप्त करें। वे इस तरह की शिकायत पंजीकरण संख्या प्रदान करके इस हेल्पलाइन से अपनी शिकायत की स्थिति भी प्राप्त कर सकते हैं। इस सुविधा ने उन आईपी/आईडब्ल्यू की मदद की है जो या तो निरक्षर हैं या उनमें लेखन/कंप्यूटर कौशल की कमी है।

20.10 शिकायतों का समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से 21 दिनों की अधिकतम समय सीमा के भीतर निवारण किया जाता है। ईएसआईसी ने दिनांक 01–04–2024 से 15–12–2024 की अवधि के दौरान सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का निम्नलिखित तरीके से संतोषजनक ढंग से निपटारा किया है:

वर्ष	अग्रेषित किया गया	प्राप्त हुआ	निपटारा	दिनांक 31/12/2024 तक लंबित
दिनांक 01-04 2024 से 31-12-2024	436	18772	18744	464

दिनांक 31/12/2024 से लंबित	लंबित-1-10 दिनों से	लंबित 11-21 दिनों से	लंबित2 2-30 दिनों से	लंबित 31-45 दिनों से	लंबित 46-60 दिनों से	लंबित61-90 दिनों से	लंबित 91-180 दिनों से
464	367	93	0	1	0	0	0

20.11 लाभार्थियों की शिकायतों के त्वरित और मौके पर निवारण के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों / उप–क्षेत्रीय कार्यालयों / संभागीय कार्यालयों में प्रत्येक माह के दूसरे बुधवार(अपराह्न) (यदि अवकाश है, तो अगले कार्य दिवस) और शाखा कार्यलयों में समय–समय पर सुविधा समागमों की व्यवस्था की जाती है। प्रत्येक माह के दूसरे शुक्रवार को नियमित रूप से कार्यालय/ईएसआईसी / ईएसआईएस अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षक, जहां ईएसआईसी और ईएसआईएस अस्पताल एक ही नगर / शहर में स्थित हैं, वे भी क्षेत्रीय कार्यालयों / उप–क्षेत्रीय कार्यालयों / मंडल कार्यालयों द्वारा आयोजित इन सुविधा समागम का हिस्सा बनते हैं और मौके पर चिकित्सा संबंधी शिकायतों का। उनके माध्यम से निपटान किया जाता है।

- कई मामलों में जहां टेलीफोन नंबर उपलब्ध हैं, शिकायतकर्ता से फीडबैक/संतुष्टि का स्तर भी प्राप्त किया जाता है और किसी भी असंतोष के मामले में तुरंत उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं।

- प्रत्येक स्तर पर लोकशिकायतों के समय बद्ध निवारण के लिए एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी जारी की गई है, जिसमें सभी कार्यालयों को प्रक्रिया का पालन करते हुए सभी सार्वजनिक शिकायतों का निवारण करने का निर्देश दिया गया है।

- विभिन्न ईएसआईसी कार्यालयों/अस्पतालों में प्राप्त शिकायतों के त्वरित और उचित निपटान की निगरानी के लिए समय–समय पर वीडियो कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की जाती हैं।

ईएसआईसी में सतर्कता गतिविधियां

20.12 सतर्कता गतिविधियों से तात्पर्य संगठनों द्वारा कदाचार, भ्रष्टाचार और अनैतिक व्यवहार का पता लगाने, रोकने और उसका समाधान करने के लिए अपनाए गए व्यवस्थित प्रयासों और प्रक्रियाओं से है। ये गतिविधियाँ संगठनों में पारदर्शिता, निष्पक्षता और अखंडता बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। सतर्कता गतिविधियों में अन्य बातों के साथ–साथ सक्रिय उपायों की विस्तृत श्रृंखला शामिल है,

जिसका उद्देश्य न केवल कदाचार की पहचान करना है, बल्कि ऐसा माहौल बनाना भी है जहाँ कदाचार को रोका जा सके। ये गतिविधियाँ संगठनों के सुचारू संचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि वे नैतिक और कुशलतापूर्वक काम करें। अनैतिक प्रथाओं का पता लगाने, उन्हें रोकने और सुधारने के लिए सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने से संगठनों को कर्मचारियों और जनता के साथ विश्वास बनाए रखने में मदद मिलती है। एक मजबूत सतर्कता ढांचा जवाबदेही और ईमानदारी की संस्कृति बनाने में मदद करता है। ईएसआईसी की सतर्कता शाखा का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी चार सतर्कता निरीक्षण इकाइयाँ नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में स्थित हैं।

वर्ष 2024 के दौरान 32 अनुशासनात्मक मामलों में छह आरोप पत्र जारी किए गए तथा दंड आदेश पारित किए गए। सभी नौ मामलों में निर्धारित समय सीमा के भीतर अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा, अभियोजन स्वीकृति का कोई भी मामला तीन महीने से अधिक समय तक लंबित नहीं रहा। एक हजार तीन सौ अस्सी वार्षिक संपत्ति रिटर्न की जांच की गई। सुपर स्पेशियलिटी उपचार बिलों की जांच नियमित रूप से की गई। इसके अलावा, सभी तिमाही संरचित बैठकें समय पर आयोजित की गईं और केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को मासिक/तिमाही/वार्षिक रिपोर्ट समय पर भेजी गई।

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के निर्देशानुसार, ईएसआई निगम द्वारा अपने मुख्यालय और देश भर के क्षेत्रीय कार्यालयों में दिनांक 28 अक्टूबर से 3 नवंबर, 2024 तक उत्साह के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह (वीएडब्ल्यू) वर्ष 2024 मनाया गया। इस वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह का विषय 'राष्ट्र की समृद्धि के लिए अखंडता की संस्कृति' था। सतर्कता जागरूकता सप्ताह दिनांक 28 अक्टूबर 2024 को सत्यनिष्ठा शपथ के साथ शुरू हुआ। इसके अलावा, सप्ताह के दौरान मुख्यालय और क्षेत्रीय इकाइयों में निबंध लेखन प्रतियोगिता, पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता, सुविधा समागम और एक्सटेम्पोर प्रतियोगिता जैसे विभिन्न गतिविधियों और आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें उम्मीदवारों ने उत्साह के साथ भाग लिया।

दिनांक 13.11.2024 को मुख्यालय में समापन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें महानिदेशक, ईएसआईसी, वित्त आयुक्त, सीवीओ और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया।

इसके अलावा, दिनांक 16.08.2024 से 15.11.2024 तक निवारक सतर्कता पर तीन महीने का अभियान चलाया गया, जिसमें निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया:

I. क्षमता निर्माण कार्यक्रम

II. प्रणालीगत सुधार उपायों की पहचान और कार्यान्वयन

III. परिपत्रों/दिशानिर्देशों/मैनुअल का अद्यतनीकरण

IV. दिनांक 30.06.2024 से पहले प्राप्त शिकायतों का निपटान

V. गतिशील डिजिटल उपस्थिति

उपरोक्त सभी गतिविधियाँ कार्यान्वित की गईं तथा दिनांक 30.06.2024 से पूर्व प्राप्त शिकायतों का निपटारा कर दिया गया।

लोक शिकायतों का निवारण (ग्राहक सेवा प्रभाग–ईपीएफओ)

20.13 ईपीएफओ अपने उद्देश्यों के अनुरूप ग्राहक सेवा और सभी हितधारकों की शिकायतों के निवारण पुरजोर महत्व देता है। पूरे देश में फैले अपने कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से अपने हितधारकों यानी नियोक्ताओं, कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की शिकायतों का निपटारा करने के लिए संगठन के पास एक मजबूत तंत्र है। ईपीएफओ प्रधान कार्यालय, नईदिल्ली में मौजूद ग्राहक सेवाप्रभाग और देशभर में 21 क्षेत्रों और 138 क्षेत्रीय कार्यालयों में फील्डफॉर्मेशन संगठन के सभी हितधारकों को गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से पूर्ण सुविधा केंद्रों, पीआरओ और सहायक कर्मचारियों से लैस हैं। शिकायतों को दर्ज करने और हल करने के विभिन्न तरीके हैं–

1. सीपीजीआरएएमएस
2. शिकायत अपील
3. ईपीएफआईजीएमएस
4. कॉल सेंटर
5. व्हाट्सएप बिजनेस हेल्पलाइन
6. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय का ट्विटर और एफबी एकाउंट
7. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
8. सुविधा केंद्र

20.14 ईपीएफओ के अंशदाताओं, पेंशन भोगियों, खाताधारकों और छूटप्राप्त और बिना छूट वाले प्रतिष्ठानों के नियोक्ताओं से और राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ), लोकशिकायत निदेशालय (डीपीजी), प्रशासनिक सुधार निदेशालय और के माध्यम से भी शिकायतें प्राप्त होती हैं। लोकशिकायत (डीएआरपीजी), श्रम और रोजगार मंत्रालय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) और सोशल मीडिया जैसे ट्विटर और फेसबुक से प्राप्त होता है। कोविड–19 महामारी के दौरान देश व्यापी तालाबंदी और कार्यालय में केवल 50 प्रतिशत कर्मचारी उपस्थित होने के बावजूद शिकायतों की संख्या में बड़े प्रतिशत की वृद्धि के बावजूद शिकायतों के समाधान में गति बनी रही।

केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस):

20.15 केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) भारत सरकार (www.pgportal.gov.in) के पीजी पोर्टल पर उपलब्ध है। यह एनआईसी द्वारा लोक शिकायत निदेशालय (डीपीजी) और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के सहयोग से एनआईसीएनईटी पर एक ऑनलाइन वेब–सक्षम प्रणाली है। सीपीजीआरएएमएस वेब प्रौद्योगिकी पर आधारित मंच है जिसका मुख्य उद्देश्य कहीं से भी और कभी भी (24x7) से पीड़ित नागरिकों द्वारा शिकायतों को प्रस्तुत करने में सक्षम बनाना है जो मंत्रालयों / विभागों / संगठनों को प्रस्तुत करते हैं जो इन शिकायतों की जांच करते हैं और इन शिकायतों के त्वरित और अनुकूल निवारण के लिए कार्रवाई करते हैं जिन्हें ईपीएफओ में सफलतापूर्वक लागू किया गया है। सभी कार्यालय शिकायतों की निगरानी और निवारण के लिए नियमित रूप से सीपीजीआरएएमएस का उपयोग कर रहे हैं।

20.16 सीपीजीआरएएम पोर्टल के तहत प्राप्त शिकायतों की निगरानी:

- सीपीजीआरएएम पोर्टल के अंतर्गत शिकायतें श्रम और रोजगार मंत्रालय के माध्यम से ईपीएफओ प्रधान कार्यालय में ग्राहक सेवा प्रभाग (सीएसडी) द्वारा प्राप्त की जाती हैं। शिकायतें प्राप्त होने के बाद, उन्हें निवारण के लिए संबंधित फील्ड कार्यालय के साथ–साथ संबंधित प्रभाग के एसीसी को भी अग्रेषित किया जाता है। हालांकि, ईपीएफओ के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए सीपीजीआरएएमएस 7.0 के कार्यान्वयन के बाद, श्रम और रोजगार मंत्रालय श्रेणी के माध्यम से प्राप्त शिकायतें सीधे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के लॉगिन में आती हैं और शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया को तेज करती हैं जिससे बेहतर सेवा प्रदायगी होती है।
- क्षेत्रीये कार्यालय निर्धारित समय के भीतर शिकायतों का निवारण करते हैं और मुख्यालय में सीएसडी के पीजी पोर्टल पर अपना उत्तर अपलोड किया जाता हैं।
- सीएसडी अपने अंतिम निपटान के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय को जवाब भेजता है। श्रम और रोजगार मंत्रालय तब डीपीजी से संबंधित शिकायतों को छोड़कर नागरिकों को जवाब देता है जिनका निपटान डीपीजी द्वारा स्वयं किया जाता है।
- सभी स्तरों पर शिकायतों की सघन निगरानी की जाती है। लंबित मामलों और निपटान की रिपोर्टें नियमित रूप से तैयार की जाती हैं और ई–मेल, व्हाट्सएप, कॉल आदि जैसे विविध माध्यमों से

क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रधान कार्यालय के विभिन्न अनुभागों में अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

- श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा हर महीने लोक शिकायतों के निपटान की समीक्षा की जाती है और सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर शिकायतों के निवारण की गुणवत्ता जानने के लिए हर महीने मंत्रालय से यादृच्छिक रूप से चयनित शिकायतकर्ताओं से कॉल पर फीडबैक भी लिया जाता है।

20.17 सीपीजीआरएएमएस के माध्यम से शिकायतों की प्राप्ति और निपटानः

वर्ष	प्राप्त शिकायतों की संख्या	निपटाई गई शिकायतों की संख्या	निपटान प्रतिशत	औसत समय लिया
दिनांक (01.01.2024 से 31.12.2024 तक)	4239	159184	157452	8

सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2024 तक की अवधि में, दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक की अवधि में, 30 दिनों के अन्दर 97.11% शिकायतों का निवारण किया गया। 3 दिनों के अन्दर 28.72%, 4 से 7 दिनों के अन्दर 29.20%, 8 से 15 दिनों के अन्दर 26.69% तथा 16 से 30 दिनों के अन्दर 12.48% शिकायतों का निवारण किया गया।

20.18 भारत सरकार के विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त शिकायतों का निस्तारणः

क्र.सं.	शिकायत स्रोत	कुल प्राप्त	निपटाई गई	निपटान प्रतिशत
1	डीपीजी	11234	10706	95
2	डीएआरपीजी	801	776	97
3	स्थानीय/इंटरनेट	136649	131870	97
4	राष्ट्रपति सचिवालय	1393	1376	99
5	पेंशन	4737	4539	96
6	पीएमओ	8609	8185	95

20.19 नियमित समीक्षा बैठकें: लोक शिकायतों के निपटान की समीक्षा श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा हर महीने की जाती है।

20.20 दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2024 की अवधि के लिए सीपीजीआरएएमएस में शीर्ष 10 श्रेणियों का गुणात्मक विश्लेषणः

क्र. सं.	शिकायत की श्रेणी	अग्रानीत	दौरान प्राप्त हुआ	कुल प्राप्त	निपटारा
1	निकासी 19 20 10सी 31 का अंतिम निपटान	1401	60396	61797	59936
2	केवाईसी अद्यतन/सुधार/संयुक्त घोषणा जारी करना	1070	43258	44328	42982
3	पीएफ और पेंशन सेवा का स्थानांतरण/फॉर्म 13 जारी करना	575	22219	22794	21867
4	श्रेणी निर्दिष्ट नहीं की गई/स्वतः अग्रेषित करना	613	9771	10384	9974
5	स्थापना/नियोक्ता शिकायत	119	9377	9496	9363
6	पेंशन से संबंधित शिकायत	86	4177	4263	3821
7	यूएएन अक्षम/निष्क्रिय	81	3082	3163	2843
8	अनुपालन/कवरेज/चोरी	21	1576	1597	1552
9	सदस्य पासबुक/सेवा से संबंधित समस्या	28	1072	1100	972
10	उच्च पेंशन	43	698	741	691

कर्मचारी भविष्य निधि ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली (ईपीएफआईजीएमएस)

20.21 ईपीएफओ ने ईसीआर, यूएएन, पासबुक, पीएमपीआरवाई, ऑनलाइन ट्रांसफर, ऑनलाइन क्लेम प्रोसेसिंग आदि जैसे कई नई ऑनलाइन सेवाएं अपने हितधारकों के लिए शुरू कीं। ईपीएफओ के सेवा क्षेत्रों के विस्तार के साथ, 2010 में शुरू किया गया पहले ईपीएफआईजीएमएस चुनौतियों और सदस्यों के सामने आने वाले नए मुद्दों को पूरा नहीं कर रहा था, जिसके कारण इसके सुधार की आवश्यकता थी। संशोधित ईपीएफआईजीएमएस को 21 अगस्त, 2019 को हैदराबाद में आरंभ किया गया था।

इस प्रणाली ने न केवल अभिदाताओं को अपनी शिकायतों/प्रश्नों को दर्ज करने की सुविधा प्रदान की है बल्कि क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए शिकायतों के प्रबंधन में अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित हुई है। अभिदाता कहीं से भी और किसी भी समय ईपीएफआईजीएमएस पोर्टल पर अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। शिकायत सदस्यों, पेंशनभोगियों, प्रतिष्ठानों और अन्य लोगों द्वारा दर्ज की जा सकती है।

ईपीएफआईजीएमएस को एकल विंडो प्लेटफॉर्म प्रदान करने की दृष्टि से विकसित किया गया है जो शिकायतों को रिकॉर्ड करने, स्वीकार करने और ट्रैक/ मॉनिटर करने में सक्षम है जब तक कि इसका अंतिम रूप से निवारण नहीं हो जाता।

इसके अलावा, संशोधित ईपीएफआईजीएमएस नागरिक केंद्रित है और ईपीएफओ को शिकायतों के निवारण की कुशलतापूर्वक, पारदर्शी और अधिक जवाबदेही के साथ निगरानी करने में सुविधा प्रदान करता है।

20.22 संशोधित ईपीएफआईजीएमएस 2.0 में कई नवीन विशेषताएं हैं, जो नीचे दी गई हैं:–

I. द्विभाषी, क्योंकि शिकायतों को अंग्रेजी और हिंदी दोनों में पंजीकृत किया जा सकता है।

ii. उपयोगकर्ता को प्रमाणित करने के लिए ओटीपी सत्यापन।

iii. यूएएन के आधार पर शिकायत/शिकायत का ऑनलाइन पंजीकरण।

iv. यूएएन ईपीएफओ के मास्टर डेटाबेस के साथ एकीकृत है जिसके परिणामस्वरूप शिकायत के निवारण के लिए ईपीएफ कार्यालय की पहचान होती है

v. त्वरित समाधान – दर्ज शिकायत उस अधिकारी को निर्देशित की जाती है जो सदस्य के खाते को संभाल रहा है।

vi. व्यापक वर्गीकरण – शिकायत की सटीक प्रकृति की पहचान करने के लिए 65 श्रेणियां शुरू की गई

vii. शिकायतकर्ता की संतुष्टि के बाद ही शिकायत को समापन करना

viii. शिकायतकर्ता द्वारा प्रतिक्रिया (क) पोर्टल इंटरफेस (ख) निवारण की गुणवत्ता

ix. एकाधिक दस्तावेज़ अपलोड – एक शिकायत में अधिकतम 3 दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं

x. संवदात्मक प्रणाली– पूछे जाने पर शिकायतकर्ता ऑनलाइन टिप्पणियाँ/स्पष्टीकरण भेज सकता है

xi. निवारण में देरी होने पर शिकायतकर्ता को अंतरिम उत्तर भेजा जा सकता है

xii. संचार और अलर्ट प्रदान करने के लिए समर्पित ईमेल और एसएमएस सुविधा।

xiii. शिकायतों में 3–स्तरीय वृद्धि–आरओ, जोनल और एचओ

xiv. डैशबोर्ड और एमआईएस रिपोर्ट के माध्यम से दैनिक निगरानी

20.23 दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2024 के दौरान ईपीएफआईजीएमएस में पंजीकृत और निपटाई गई शिकायतें

वर्ष	शिकायतों की संख्या	निपटाई गई	निपटान का %
(01.01.2024 से 31.12.2024 तक)	15,80,559	15,18,984	96.10%

दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2024 की अवधि के दौरान, 30 दिनों के भीतर, 94.11% शिकायतों का निवारण किया गया। 10.45% का निवारण 3 दिनों के भीतर, 31.29% 4 से 7 दिनों के बीच, 34.65% 8 से 15 दिनों के बीच और 17.72% 16 से 30 दिनों के बीच निवारण किया। इसके अलावा, शीर्ष प्रबंधन समय–समय पर शिकायत निवारण तंत्र की समीक्षा करता है।

20.24 उमंग एपीपी में ईपीएफआईजीएमएस

ईपीएफआईजीएमएस को उमंग ऐप में शामिल कर लिया गया है और दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2024 तक का डेटा उमंग ऐप से प्राप्त किया गया है।

ईपीएफआईजीएमएस में कार्यालयों की स्टार रेटिंगः

कुल पंजीकृत शिकायतें	उमंग ऐप के माध्यम से दर्ज की गई शिकायतें	प्रतिशत प्राप्ति (पंजीकृत कुल शिकायतों में से)	उमंग शिकायतों का निपटान
1543999	393492	**25.48%**	385318(98%)

20.25 शिकायतों के निपटान की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए हितधारकों से फीडबैक प्राप्त किया गया है। वर्ष 2024 के दौरान प्राप्त कुल 15,80,559 शिकायतों में से 15,18,984 शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है, अर्थात (96.10%)। ईपीएफआईजीएमएस पोर्टल के अनुसार 01.01.2024 से 31.12.2024 तक 15,18,984 शिकायत निपटान में से ईपीएफओ को हितधारकों से 1,57,010 फीडबैक प्राप्त हुए, अर्थात (10.33%)। इसके अलावा, 1,57,010 फीडबैक में से 32,311 (20.58%) फीडबैक 5 स्टार हैं। इसके अलावा 60,429 (38.48%) फीडबैक 3 स्टार और उससे अधिक हैं। इसलिए, यह माना जाता है कि 38% से अधिक हितधारक ईपीएफओ में शिकायत समाधान तंत्र से संतुष्ट हैं। पोर्टल के प्रदर्शन और सुधार के लिए हितधारकों से फीडबैक भी प्राप्त किया गया। दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2024 की अवधि के दौरान, ईपीएफआईजीएमएस पोर्टल के प्रदर्शन के संबंध में 79.66% फीडबैक 3 स्टार और उससे अधिक हैं।

संतुष्टः

20.26 शिकायत समाधान के लिए मंत्रालय में संतोष प्रकोष्ठ के सृजन के पश्चात इसे क्षेत्रीय कार्यालयों में मामलों को लेने के लिए नियमित आधार पर ई–मेल प्राप्त हो रहे हैं।

काल	ईमेल से प्राप्त करें	ई-मेल संबंधित कार्यालय को अग्रेषित
(01.01.2024 से 31.12.2024)	2,915	2,915

कॉल सेंटर

20.27 ईपीएफओ का 12 खानों में कॉल सेंटर है जो पूरे भारत में अपने हितधारकों से टोल फ्री नंबर 1800118005 पर प्राप्त प्रश्नों का उत्तर देता है। प्रश्नों को संबोधित करने के लिए 14470 का शॉर्ट कोड पेश किया गया है। वर्ष 2024 के दौरान कॉल सेंटर में **36,91,424 कॉलों** का उत्तर दिया गया। कॉल सेंटर राजपत्रित छुट्टियों को छोड़कर सप्ताह के सभी दिनों में सुबह 7:00 बजे से शाम 9:00 बजे तक तीन पालियों में कार्य करता है। इसके अलावा जनवरी, 2021 में सीएससी वीसीसी (वर्चुअल कॉन्टैक्ट सेंटर) को लागू करके कॉल सेंटर को नया रूप दिया गया है, जिसमें पहले की प्रणाली की तुलना में निम्नलिखित लाभ हैं:

- कॉल रिकॉर्डिंग सुविधा
- कॉल मॉनिटरिंग सुविधा
- रियल टाइम डैशबोर्ड
- मिस्ड कॉल को स्टोर करने का प्रावधान
- कॉल बैक सुविधा एसएमएस भेजने का प्रावधान
- हितधारकों से फीडबैक
- विस्तृत रिपोर्ट का प्रावधान

नए सिरे से बनाए गए कॉल सेंटर की क्षमता में लगभग 100% की वृद्धि हुई है। अब प्रतिदिन लगभग **10,551 कॉल** का उत्तर दिया जाता है, जबकि नए सिरे से बनाए जाने से पहले प्रतिदिन 2000 कॉल का उत्तर दिया जाता था। 143 एजेंट सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक तीन शिफ्टों

में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 10 स्थानीय भाषाओं यानी तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, बंगाली, कन्नड़, असमिया, पंजाबी, मलयालम, ओडिया में हितधारकों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। इंटरसेप्शन की सुविधा का उपयोग करके लाइव कॉल की निरंतर निगरानी ने हितधारकों को दिए जाने वाले उत्तरों की गुणवत्ता सुनिश्चित की है। छह महीने की समय–सीमा के साथ सभी कॉल रिकॉर्ड करने की सुविधा से शिकायत का सत्यापन सुनिश्चित होता है।

क्र.स.	क्षेत्रीय (ज़ोनल) कार्यालय/ विवरण	जोन के अंतर्गत आने वाले राज्य	हिंदी और अंग्रेजी के अलावा स्थानीय भाषा
1	क्षेत्रीय एसीसी कार्यालय, दिल्ली और उत्तराखंड, जम्मू	अखिल भारतीय	अंग्रेजी/ हिंदी
2	क्षेत्रीय एसीसी कार्यालय, चेन्नई और पुडुचेरी	तमिलनाडु और पुडुचेरी	तामिल
3	क्षेत्रीय एसीसी कार्यालय, तेलंगाना	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	तेलुगू
4	क्षेत्रीय एसीसी कार्यालय,गुजरात (अहमदाबाद)	गुजरात	गुजराती
5	क्षेत्रीय एसीसी कार्यालय, बांद्रा	महाराष्ट्र, पुणे और ठाणे	मराठी
6	क्षेत्रीय एसीसी कार्यालय, (पश्चिम बंगाल) तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एवं सिक्किम	पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार दीव समूह, संघ राज्य क्षेत्र, सिक्किम	बंगाली
7	क्षेत्रीय एसीसी कार्यालय, राजस्थान (जयपुर)	राजस्थान	हिंदी
8	क्षेत्रीय एसीसी कार्यालय, कर्नाटक	कर्नाटक	कन्नड़
9	क्षेत्रीय एसीसी कार्यालय, गुवाहाटी	अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड और त्रिपुरा	असमिया
10	क्षेत्रीय एसीसी कार्यालय, पंजाब और हिमाचल प्रदेश	पंजाब	पंजाबी
11	क्षेत्रीय एसीसी कार्यालय, केरल	केरल, लक्षद्वीप, संघ राज्य क्षेत्र	मलयालम
12	क्षेत्रीय एसीसी कार्यालय, ओडिशा	ओडिशा	उड़िया

वास्तविक समय और इंटरैक्टिव डैशबोर्ड कुल एजेंटों, लॉगिन एजेंटों, सक्रिय एजेंटों, फ्री एजेंटों, ब्रेक पर एजेंटों, कतार में प्रतीक्षा कर रहे ग्राहक आदि की संख्या के संबंध में कॉल सेंटर के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करता है।

20.28 व्हाट्सएप हेल्पलाइनः

- ईपीएफओ ने जुलाई, 2020 से सभी 138 क्षेत्रीय कार्यालयों में व्हाट्सएप हेल्पलाइन कॉल नंबर शुरू किया है, ताकि हितधारकों द्वारा अपने घर ही में बैठे उठाए गए प्रश्नों का समाधान किया जा सके। ये व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर ईपीएफओ वेबसाइट पर पोस्ट किए जाते हैं ताकि हितधारक आसानी से अपने संबंधित पीएफ कार्यालय के नंबरों तक पहुंच सकें।
- प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में एक समर्पित टीम **24** घंटे के भीतर प्रश्नों का उत्तर सुनिश्चित करती है।
- दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2024 के दौरान व्हाट्सएप हेल्पलाइन के माध्यम से 2,26,032 शिकायतें/प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें से 2,21,787 का समाधान कर दिया गया है।

- सभी हितधारकों के लाभ के लिए हेल्पलाइन पर कैटलॉग सुविधाओं में विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न/स्व–व्याख्यात्मक पाठ और मानकीकृत सूचना ग्राफिक साझा किए गए हैं।
- व्हाट्सएप हेल्पलाइन का एंड–टू–एंड एन्क्रिप्शन कुल सुरक्षा का आश्वासन देता है।
- व्हाट्सएप हेल्पलाइन ग्राहकों को निर्बाध और निर्बाध सेवा वितरण सुनिश्चित करती है।

20.29 सोशल मीडियाः

ईपीएफओ की फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और क्वोरा जैसे सोशल मीडिया में प्रभावशाली उपस्थिति है। ईपीएफओ ने अक्टूबर, 2020 में क्वोरा को भी जोड़ा है। ईपीएफओ के सोशल मीडिया हैंडल से सोशल मीडिया प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2024 तक ईपीएफओ के फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल पर सोशल मीडिया पर दिए गए उत्तर इस प्रकार हैं:–

	प्राप्त पृछाओं की संख्या	पृछाओं के उत्तर की संख्या	लंबित	निपटान %
फेसबुक	**16,603**	**16.603**	0	100%
ट्विटर	**21,839**	**21,551**	0	100%

20.30 प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

- विभिन्न प्रधान कार्यालय प्रभागों द्वारा कुल 407 एफएक्यू अद्यतन किए गए हैं।
- ये एफएक्यू ईपीएफओ वेबसाइट के अंग्रेजी और हिंदी दोनों संस्करणों में उपलब्ध हैं।
- ईपीएफओ के क्वोरा प्लेटफॉर्म पर 407 एफएक्यू अपलोड किए जाते हैं।
- एबीआरवाई में, अंग्रेजी और हिंदी सहित 19 भाषाओं में एफएक्यू का अब तक अनुवाद किया गया है।

20.31 निधि आपके निकट 2.0

निधि आपके निकट 2.0 न केवल नियोक्ताओं और कर्मचारियों के लिए एक शिकायत निवारण मंच और सूचना विनिमय नेटवर्क है, बल्कि विभिन्न राज्य और केंद्र सरकार के विभागों के जिला स्तर के अधिकारियों के साथ सूचना के आदान–प्रदान के लिए एक मंच भी है।

निधि आपके निकट 2.0 के तहत, ईपीएफओ अपने सभी हितधारकों तक पहुंचता है, जिससे देश के सभी जिलों में संगठन की पहुंच और दृश्यता बढ़ जाती है। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रत्येक महीने एक ही दिन देश के सभी जिलों तक पहुंचना है। निधि आपके निकट 20 जनवरी 2023 से शुरू होने वाले प्रत्येक महीने की 27 तारीख को आयोजित किया जाएगा।

निधि आपके निकट कर्मचारियों, नियोक्ताओं, पेंशनभोगियों आदि के लिए एक संवदात्मक प्लेटफॉर्म है, यह सभी हितधारकों के लिए एक सूचना विनिमय कार्यक्रम है ताकि मौके पर शिकायत निवारण सुनिश्चित किया जा सके और उन शिकायतों, जिनका मौके पर समाधान नहीं किया जाता है, उन्हें समाधान के लिए ईपीएफआईजीएमएस पोर्टल पर पंजीकृत किया जाना है।

दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2024 की अवधि के लिए "निधि आपके निकट 2.0" श्रेणी के तहत ईपीएफआईजीएमएस में पंजीकृत शिकायतों का डेटा इस प्रकार है:–

अग्रेनीत	प्राप्त	निपटाई गई	लंबित
109	5428	5334	203

ईपीएफओ चैटबोट मैत्रेयों

ईपीएफओ वेबसाइट के मामले में, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के बारे में जानकारी मांगने वाले व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक विशेष चैटबॉट डिजाइन किया गया है। यह चैटबॉट ईपीएफओ सेवाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना तक आसान और कुशल पहुंच की सुविधा के लिए उन्नत प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (एनएलपी) तकनीक का उपयोग करके संचालित होता है।

मुख्य विशेषताएं और कार्य:

- कीवर्ड–आधारित संवाद
- सूचना की पुनर्प्राप्ति
- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) पर प्रतिक्रियाएँ
- कार्यालय लोकेटर
- वॉयस टू टेक्स्ट सुविधा
- प्रपत्र समावेशन

संचार और जनसंपर्क प्रभाग

20.32 संचार और जनसंपर्क प्रभाग (सी एंड पीआर) डिवीजन हितधारकों और ईपीएफओ के बीच एक इंटर फेस के रूप में कार्य करने वाला नोडल प्रभाग है। इसकी जिम्मेदारियों में संचार अभियान तैयार करना, सोशल मीडिया टंडल का प्रबंधन प्रेस विज्ञप्ति जारी करना, प्रेस के साथ समन्वय करना शामिल है। यह ईपीएफओ की ब्रांड छवि का निर्माण करने का कार्य भी है जिससे नागरिक केंद्रित इकाई के रूप में सरकार की छवि में सुधार हो।

वर्ष 2024 (अर्थात जनवरी–दिसम्बर) के दौरान प्रभाग की मुख्य गतिविधियां निम्नानुसार है:–

निधि आपके निकट 2.0

वर्षों से, ईपीएफओ ने अपने ग्राहकों के लाभ के लिए कई उपाय और सुधार किए हैं और कई सार्वजनिक आउटरीच गतिविधियां कर रहा है। इसकी शुरुआत भविष्य निधि अदालत से हुई, जिसे बाद में निधि आपके निकट के रूप में फिर से नामित किया गया, जहां इसके सदस्यों और नियोक्ताओं को उनकी शिकायतों के समाधान के लिए एक निश्चित दिन कार्यालय आने के लिए आमंत्रित किया गया था। जनवरी 2023 में, एनएएन 2.0 आरंभ किया गया था। अब दृष्टिकोण हितधारकों तक पहुंचना है, जिससे नियमित आवधिकता के साथ देश के सभी जिलों में संगठन की पहुंच और दृश्यता बढ़ सके।

निधि आपके निकट 2.0 न केवल नियोक्ताओं और कर्मचारियों के लिए एक शिकायत निवारण मंच और सूचना विनिमय नेटवर्क है, बल्कि विभिन्न राज्य और केंद्र सरकार के विभागों के जिला स्तर के अधिकारियों के साथ सूचना के आदान–प्रदान के लिए एक मंच भी है।

निधि आपके निकत 2.0 के तहत ईपीएफओ जनवरी 2023 से शुरू होने वाले हर महीने की 27 तारीख को या अगले दिन छुट्टी की स्थिति में जिला स्तर पर कैंप लगा रहा है। जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक, आयोजित कुल शिविर 8,008 थे, जिनमें 2, 42,117 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। 92,732 शिकायतें प्राप्त हुईं और 84,270 का मौके पर समाधान किया गया।

यह अनुमान लगाया गया है कि जनवरी से मार्च, 2025 की अवधि में लगभग 60528 प्रतिभागियों के साथ 2000 शिविर आयोजित किए जाएंगे।

सोशल मीडिया एक्टिविटीज

सी एंड पीआर डिवीजन को फेसबुक, ट्विटर, पब्लिक ऐप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर क्रिएटिव, कार्टून, जीआईएफ और वीडियो पोस्ट करके सोशल मीडिया के माध्यम से हितधारकों को शिक्षित करने और जागरूक करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 31 दिसंबर 2024 तक, म्ब्थ्ट के ट्विटर पर 307558 फॉलोअर्स, फेसबुक पर 3,42,492

फॉलोअर्स, पब्लिक ऐप पर 831,400 फॉलोअर्स, यूट्यूब पर 16,08,126 फॉलोअर्स और इंस्टाग्राम पर 1,75,023 फॉलोअर्स थे। केंद्र सरकार के संगठनों के बीच ईपीएफओ के यूट्यूब पर सबसे बड़ी संख्या में अनुयायी हैं।

वर्ष 2024 के दौरान सूचना प्रसार के प्रमुख क्षेत्र थे –ईपीएफ अग्रिमों के प्रकार, ईडीएलआई योजना, अभिसरण, निधि आपके निकत 2.0, प्रयास पहल, ई–नामांकन, उमंग ऐप पर ई–पासबुक, कॉल सेंटर, पेंशनर्स पोर्टल पर सेवाएं, सतर्कता जागरूकता, कॉल सेंटर, धोखाधड़ी रोकथाम, जीवन प्रमाण आदि। 01.01.2024 से 31.12.2024 के बीच की अवधि में कुल सोशल मीडिया पोस्ट पर 1289 थे।

यह अनुमान लगाया गया है कि जनवरी से मार्च, 2025 की अवधि में 300 सोशल मीडिया पोस्ट किए जाएंगे।

शिक्षाप्रद वीडियो

अपने हितधारकों को शिक्षित करने के लिए, ईपीएफओ यूट्यूब चैनल /वबपंसमचवि पर हर शुक्रवार शाम 6 बजे एक लघु फिल्म जारी करता है। विभिन्न विषयों जैसे ईपीएस 95 और पेंशन के प्रकार, ईपीएफ योजना, आस्थगित पेंशन, योजना प्रमाण पत्र, प्रयास, सदस्य प्रोफ़ाइल सुधार, नियोक्ताओं और कर्मचारियों के कर्तव्य, अभिसरण, यूएएन सक्रियण, ईपीएफ पर ब्याज, निधि आपके निकत 2.0, सतर्कता जागरूकता अभियान 2024 आदि पर शिक्षाप्रद फिल्में ईपीएफओ से लाभ प्राप्त करने के लिए हितधारकों को शिक्षित और सक्षम बनाने के लिए पोस्ट की गई थीं।

वर्ष 2024 में के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर 52 सूचनात्मक और शिक्षाप्रद वीडियो पोस्ट किए गए।

इसके अलावा, यह अनुमान लगाया गया है कि जनवरी से मार्च, 2025 के बीच 12 साप्ताहिक आईईसी वीडियो पोस्ट किए जाएंगे।

यूट्यूब पर लाइव सत्र

वर्ष 2024 में ईपीएफओ के यूट्यूब चैनल पर लाइव सेशन के साथ कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिवीजन की शुरुआत हुई। ये लाइव सत्र हर महीने के दूसरे मंगलवार को आयोजित किए जाते हैं। लाइव सत्रों के माध्यम से, ईपीएफओ के अधिकारी अपने आधिकारिक यूट्यूब चैनल के माध्यम से हितधारकों के साथ बातचीत करते हैं और उनके प्रश्नों का समाधान करते हैं। लाइव सत्र बहुत जानकारीपूर्ण हैं और ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 से संबंधित विभिन्न विषयों को कवर करके जागरूकता पैदा करने में मदद करते हैं।

वर्ष 2024 में विभिन्न विषयों जैसे उच्च पेंशन, फ्रीज किए गए खाते, ईपीएफ अग्रिम, ईपीएफ ट्रांसफर, यूएएन और डिजिटल सेवाएं आदि पर 8 लाइव सत्र आयोजित किए गए।

यह अनुमान लगाया गया है कि जनवरी से मार्च, 2025 के बीच की अवधि में 4 लाइव सत्र आयोजित किए जाएंगे

वेबिनार

क्षेत्रीय कार्यालय जागरूकता पैदा करने और हितधारकों को शिक्षित करने के लिए वेबिनार आयोजित कर रहे हैं। जनवरी से दिसंबर 2024 तक, 78386 प्रतिभागियों के साथ कुल 18915 वेबिनार आयोजित किए गए।

यह अनुमान लगाया गया है कि जनवरी से मार्च, 2025 के दौरान 19596 प्रतिभागियों के साथ 4758 वेबिनार आयोजित किए जाएंगे

माई गॉव क्विजः

ईपीएफओ द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं पर माई गव प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक प्रश्नोत्तरी आयोजित की गई थी। प्रश्नोत्तरी 11 दिसंबर 2023 से 11 फरवरी 2024 तक माई गोव प्लेटफॉर्म पर लाइव थी। क्विज में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, पोस्ट और री–पोस्ट के माध्यम से ईपीएफओ के सभी सोशल मीडिया हैंडल पर क्विज का उचित प्रचार किया गया। प्रतिभागियों की संख्या 68,647 थी।

मीडिया कवरेज

हितधारकों की जानकारी के लिए ईपीएफओ में विकास को सामने लाने के लिए समय–समय पर प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी। ईपीएफओ के वास्तव में सरकार की "आवश्यक सेवाओं" शाखा के रूप में कार्य करने के प्रयासों ने सेवा अनुरोधों को संभालने के दौरान नागरिकों का विश्वास

अर्जित किया। राष्ट्रीय मीडिया ने ईपीएफओ की खबरों को बड़े पैमाने पर सामाजिक सुरक्षा वितरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता में विश्वास व्यक्त किया।

ईपीएफओ में सतर्कता गतिविधियां

20.33 ईपीएफओ में सतर्कता प्रभाग का नेतृत्व नईदिल्ली स्थित मुख्यालय में संयुक्त सचिव स्तर का मुख्य सतर्कता अधिकारी करता है। हैदराबाद,चैन्नई, बंगलुरू, मुंबई, अहमदाबाद कोलकाता, चंडीगढ़ और नई दिल्ली में स्थित आठ क्षेत्रीय सतर्कता निदेशालय हैं।,

ईपीएफओ में सतर्कता प्रशासन ने बदलती संगठनात्मक जरूरतों और चुनौतियों के अनुरूप अपने दृष्टिकोण और कार्यनीति को ढालने का प्रयास किया है। इसमें भ्रष्ट गतिविधियों को नियंत्रित करने और उनका उन्मूलन करने तथा मुख्य कार्यात्मक क्षेत्रों के साथ निरंतर सहभागिता के माध्यम से पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देने के लिए निवारक और सहभागी सतर्कता पर बल दिया गया है। यह दंडात्मक सतर्कता के कार्य को भी परखता है जो एक संगठन में निरंतर नागरिक इंटर फेस और सार्वजनिक धन को संभालने के लिए आवश्यक है।

I. निवारक सतर्कता

01.01.2024 से 31.12.2024 की अवधि के दौरान ईपीएफओ के 04 कार्यालयों में निवारक सतर्कता निरीक्षण/आकस्मिक जांच की गई।

II दंडात्मक सतर्कता

- शिकायतें:

01.01.2024 से 31.12.2024 तक 911 नई शिकायतें प्राप्त हुई। 31.12.2024 तक 900 शिकायतों का निस्तारण किया गया।

- केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की प्रथम और द्वितीय चरण की सलाह:

वर्ष के दौरान 31.12.2024 तक 2 मामलों में सीवीसी की प्रथम चरण की सलाह का निपटारा किया गया था, जिनमें से दोनों बड़े शास्ति वाले मामले थे। 01 मामले में सीवीसी की दूसरे चरण की सलाह का निपटारा कर दिया गया था, जो सभी मामूली शास्ति का मामला थी।

- शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही :

  वर्ष के दौरान 31.12.2024 तक 24 अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई।

- अनुशासनात्मक कार्यवाही को अंतिम रूप दिया गया:

  वर्ष के दौरान कुल 20 अनुशासनात्मक कार्यवाही को अंतिम रूप दिया गया, जिसमें 11 बड़ी शास्ति कार्यवाही थी और 09 मामूली दंड के लिए थी।

- अभियोजन प्रतिबंध संस्वीकृतियां:

  वर्ष के दौरान 31.12.2024 तक 31 मामलों में अभियोजन स्वीकृति दी गई

III. निगरानी और जांच

- सीबीआई/एसीबी के साथ समन्वय बैठक:

सीबीआई/एसीबी के साथ समन्वय बैठकें आयोजित की गईं और सहमत सूचियां तैयार की गईं और ओडीआई सूची को अद्यतन किया गया।

IV. सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024:

वी.ए.डब्लयू 2024, ईपीएफओ में 28.10.2024 से 03.11.2024 तक "सत्यनिष्टा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि" विषय के साथ मनाया गया।

इसके अलावा, सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार, 16 अगस्त, 2024 से 15 नवंबर, 2024 तक 3 महीने का अभियान वीएडब्ल्यू 2024 के अग्रदूत के रूप में आयोजित किया गया था, जिसमें सार्वजनिक हित और मुखबिरों के संरक्षण (पीआईडीपीआई), शिकायत और शिकायतों के निपटान, क्षमता निर्माण और परिपत्रों/दिशानिर्देशों के अद्यतन के बारे में जागरूकता पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

वीएडब्ल्यू 2024 के दौरान निम्नलिखित गतिविधियां की गईं:

1. **सत्य निष्ठा प्रतिज्ञा:** 28.10.2024 को सत्य निष्ठा प्रतिज्ञा के साथ वीएडब्ल्यू 2024 गतिविधियों की

शुरुआत हुई। ई–प्रतिज्ञालिंक को ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर पोस्ट किया गया था और जन जागरूकता के लिए सोशल मीडिया खातों के माध्यम से प्रचारित किया गया था।

2. **हस्ताक्षर अभियानः** वीएडब्ल्यू 2024 की भावना और संदेश के प्रसार के लिए प्रधान कार्यालय में एक हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया गया था।

3. **प्रशिक्षणः** ईपीएफओ के राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी (पीडीयूएनएएसएस) और जोनल प्रशिक्षण संस्थानों 3 अभियान के दौरान सीवीसी द्वारा निर्दिष्ट पांच विषयगत क्षेत्रों पर प्रशिक्षण का आयोजन किया. इस संकाय में केन्द्रीय सतर्कता आयोग और अन्य संगठनों के विशेषज्ञ शामिल थे। नए भर्ती किए गए सहायक आयुक्तों और सामाजिक सुरक्षा सहायकों को उनकी भविष्य की पोस्टिंग और कार्य असाइनमेंट में प्रभावी उपयोग के लिए इन क्षेत्रों पर प्रशिक्षण दिया गया था।

4. पडुनास द्वारा संचालित सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की व्यावसायिक प्रक्रियाओं और संगठन की कार्य संस्कृति और सार्वजनिक छवि को सुधारने के तरीकों पर केंद्रित हैं। जन शिकायतों का प्रभावी निपटान और सेवा प्रदायगी प्रशिक्षण के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जो निवारक सतर्कता के लिए सीवीसी के दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं।

5. **आउटरीच गतिविधियांः** ईपीएफओ के "निधि आपके निकट" जिला आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से विशेष रूप से क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर कई तरह की पहलें की गईं, जिनमें हितधारकों की गंभीर भागीदारी देखी गई। सेमिनार, कार्यशालाएं, पैनल चर्चा और शिकायत निवारण (ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में) आयोजित किए गए थे। सार्वजनिक आउटरीच गतिविधियों के हिस्से के रूप में, स्कूल और कॉलेज के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और विभिन्न स्थानों पर ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया, ताकि वीएडब्ल्यू 2024 के संदेश का प्रसार किया जा सके। सतर्कता जागरूकता और साइबर स्वच्छता पर प्रश्नोत्तरी भी क्षेत्रीय कार्यालय स्तरों पर आयोजित की गई थी.

   केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा उपलब्ध कराए गए पोस्टर प्रधान कार्यालय और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रदर्शित किए गए थे। यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि ईपीएफओ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग वीएडब्ल्यू 2024 के विषय और संदेश को बढ़ावा देने और अभियान अवधि के दौरान ईपीएफओ द्वारा की गई विभिन्न गतिविधियों को प्रचारित करने के लिए काफी हद तक किया गया था।

6. **समापन समारोहः** प्रधान कार्यालय में वीएडब्ल्यू 2024 का समापन केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अध्यक्षता में दिनांक 03.11.2024 को आयोजित समापन समारोह में किया गया जिसमें इस सप्ताह के दौरान आयाजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया।

बदलती संगठनात्मक जरूरतों और चुनौतियों के साथ इसमें भ्रष्ट गतिविधियों को रोकने और समाप्त करने के लिए निवारक और सहभागी सतर्कता पर बल दिया गया है और मुख्य कार्यात्मक क्षेत्रों के साथ निरंतर जुड़ाव के माध्यम से पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा दिया गया है। यह दंडात्मक सतर्कता के कार्य को भी परखता है जो निरंतर नागरिक इंटरफ़ेस और सार्वजनिक धन को संभालने वाले संगठन में आवश्यक है।

*****

अध्याय-21

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

21.1 भारत और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ)

भारत 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अस्तित्व में आने के बाद से ही इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है और 1922 से आईएलओ शासी निकाय का स्थायी सदस्य रहा है। आईएलओ की एक अनूठी विशेषता इसकी त्रिपक्षीय स्वरूप है। संगठन में हर स्तर पर, सरकारें दो अन्य सामाजिक भागीदारों, अर्थात् श्रमिकों और नियोक्ताओं से जुड़ी होती हैं। आईएलओ के तीन अंग हैं:

(1) अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन – आईएलओ की महासभा जिसकी हर साल जून के महीने में बैठक होती है,

(2) शासी निकाय – आईएलओ की कार्यकारी परिषद जिसकी एक वर्ष में तीन बार अर्थात् मार्च, जून और नवंबर के महीनों में बैठक होती है और

(3) अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय – एक स्थायी सचिवालय।

21.2. आईएलओ को मुख्य रूप से सदस्य राज्यों से प्राप्त अंशदान से वित्तपोषित किया जाता है। आईएलओ का कुल बजट एसएफ 400309000 है। आईएलओ बजट उद्देश्य के लिए कैलेंडर वर्ष का अनुसरण करता है और सदस्य शहरों की सरकारों द्वारा वार्षिक योगदान का भुगतान उस पैमाने के अनुसार किया जाता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन साल–दर–साल आधार पर संयुक्त राष्ट्र के आकलन के पैमाने के अनुरूप तय करता है। वर्ष 2025 के लिए, भारत के अंशदान का हिस्सा एसएफ4046595 है। भारत ने हमेशा आईएलओ को वार्षिक अंशदान का समय पर भुगतान किया है।

21.3 भारत और आईएलओ के बीच एक स्थायी और जीवंत संबंध है जो वर्षों से घनिष्ठ और गतिशील सहयोग से परिलक्षित होता है। भारत ने आईएलओ के उद्देश्यों, विचार प्रक्रियाओं, विचार–विमर्श और कार्यप्रणाली की शैली की उपलब्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

21.4 भारत द्वारा अनुसमर्थन

भारत ने 47 अभिसमयों और एक प्रोटोकॉल अनुसमर्थन किया है जिसमें छह मूल / मौलिक अभिसमय शामिल हैं, अर्थात्, बलात श्रम अभिसमय (सी–29), समान पारिश्रमिक अभिसमय (सी–100), बलात श्रम अभिसमय का उन्मूलन अभिसमय (सी–105), भेदभाव (रोजगार और व्यवसाय) अभिसमय (सी–111), न्यूनतम मजदूरी अभिसमय, 1973 (सी–138) और बाल श्रम अभिसमय के सबसे विकृत रूप, 1999 (सी–182), और तीन प्राथमिकता / शासन अभिसमय, यथा श्रम निरीक्षण अभिसमय (सं. 81), रोजगार और सामाजिक नीति अभिसमय (सं 122) और त्रिपक्षीय परामर्श (अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक)।

21.5 आईएलओ के शासी निकाय का 350वां सत्रः

दिनांक 04.03.2024 से 14.03.2024 तक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय के 350वें सत्र का जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में आयोजन किया गया। सुश्री सुमिता डावरा , सचिव (श्रम और रोजगार) की अध्यक्षता में इस मंत्रालय के प्रतिनिधिमंडल ने बैठक में भाग लिया। श्री कमल किशोर, संयुक्त सचिव, डॉ महेन्द्र कुमार, निदेशक तथा श्री पीयूष कुमार पाठक, उप निदेशक ने भी जिनेवा की बैठक में भाग लिया।

बैठक में 187 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक ने सामाजिक न्याय

के लिए वैश्विक गठबंधन, लोकतंत्रीकरण एजेंडा मद, निर्वाह वेतन आदि पर अपनी प्रारंभिक टिप्पणी दी। जिनेवा में 4 मार्च से 14 मार्च 2024 तक आयोजित जीबी आईएलओ के 350वें सत्र के दौरान भारतीय प्रतिनिधियों द्वारा निम्नलिखित पर हस्तक्षेप दिया गया;

I. सामाजिक न्याय के लिए वैश्विक गठबंधन पर अपडेट

- भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने जीसीएसजे की प्रमुख पहल पर आईएलओ के महानिदेशक को बधाई दी। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि भारत इस पहल में शामिल हो गया है। गठबंधन के विषयगत विकास के संदर्भ में, भारत ने आईएलओ प्रस्ताव का समर्थन किया। एएसपीएजी की बैठक के दौरान, यह सूचित किया गया कि भारत अपने समन्वय समूह के सदस्य के रूप में गठबंधन के साथ अधिक सक्रिय रूप से और निकटता से सहयोग करके वैश्विक स्तर पर सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लक्ष्य में अधिक योगदान देने के लिए तैयार है।

II. आईएलओ के अभिशासन में लोकतंत्रीकरण और 1986 के संशोधन की स्थिति पर अपडेट

- कड़े हस्तक्षेप के माध्यम से, भारत ने सुझाव दिया कि आईएलओ के विभिन्न अंगों और विभिन्न समितियों में भाग लेने वाले सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व 'एक देश, एक आवाज और एक वोट' के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, इस बात पर प्रकाश डाला गया कि स्क्रीनिंग और अन्य समूहों में क्षेत्रीय विषमता को इस सिद्धांत के आधार पर संबोधित किया जाना चाहिए।

III. शासी निकाय के कामकाज की समीक्षा, सुधार के क्षेत्र और अनुवर्ती कार्रवाई

- भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इस कार्यसूची मद पर हस्तक्षेप किया और आईएलओ शासन अंगों के क्षेत्रीय सरकारी समूहों और आईएलओ के शासी निकाय की विभिन्न समितियों, विशेष रूप से सीईएसीआर में मौजूदा प्रतिनिधित्वादी विषमता की चिंता को उजागर किया। भारत ने शासी निकाय से सुधार के क्षेत्रों पर रचनात्मक बातचीत के लिए प्रासंगिक संभावनाओं पर विचार करने का आग्रह किया।

IV. निर्वाह वेतन सहित वेतन नीतियों पर विशेषज्ञों की बैठक की रिपोर्ट

- भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने निर्वाह वेतन सहित वेतन नीतियों पर विशेषज्ञों के प्रयासों की सराहना की, और निर्वाह वेतन की गणना के लिए सहमत मानदंडों को स्थापित करने के लिए सहयोगात्मक कार्य की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने निर्वाह वेतन को परिभाषित करने में आर्थिक, सामाजिक और जनसांख्यिकीय कारकों पर विचार करने के महत्व पर प्रकाश डाला और विशेष रूप से डेटा संग्रह ढांचे को विकसित करने के लिए अनुरोध पर देशों को आईएलओ समर्थन की सिफारिश की।

- एक सभ्य जीवन स्तर के संदर्भ में, भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया, जो 12 एसडीजी–संरेखित संकेतकों के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में वंचितों को मापता है। प्रतिनिधिमंडल ने प्रस्ताव दिया कि इन कारकों को निर्वाह वेतन परिभाषा में शामिल किया जाए और व्यवस्थित आंकड़ों के संग्रह का समर्थन करने के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों को आईएलओ तकनीकी सहायता का आह्वान किया जाए।

V. 2025 के बजट में योगदान के आकलन का पैमाना

- भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने आईएलओ को सुझाव

दिया कि वह जनसंख्या के आकार और कार्यबल पर उचित ध्यान देते हुए देशों के आईएलओ कर्मचारियों की वांछनीय सीमा को संशोधित करें। प्रतिनिधिमंडल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि आईएलओ के कार्यबल में सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व अंतरराष्ट्रीय पेशेवर श्रेणी के कर्मचारियों के पदों पर निर्धारित किया जाता है और ये भौगोलिक वितरण, यथा पी, डी और आईएलओ के नियमित बजट से वित्त पोषित वरिष्ठ पद के अधीन हैं। यह स्पष्ट किया गया कि आईएलओ कर्मचारियों में यूरोप और अमेरिका का प्रतिनिधित्व बहुत अधिक है जबकि एशिया और प्रशांत क्षेत्र का प्रतिनिधित्व बहुत कम है।

21.6 आईएलओ के अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन (आईएलसी) का 112वां सत्र

दिनांक 03 से 14 जून 2024 तक जिनेवा, स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 112वें सत्र का आयोजन किया गया।

सुश्री सुमिता डावरा , सचिव (श्रम और रोजगार) के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें श्री आलोक चंद्रा, वरिष्ठ श्रम एवं रोजगार सलाहकार, डॉ महेंद्र कुमार, संयुक्त सचिव और श्री अमित नरवाल, उप महानिदेशक के साथ–साथ श्रमिक समूहों और नियोक्ता समूहों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

21.7 आईएलओ के शासी निकाय का 351वां सत्र

दिनांक 15 जून, 2024 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के शासी निकाय का 351वां सत्र जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के अधिकारियों ने जिनेवा में शासी निकाय की बैठक में भाग लिया।

21.8 आईएलओ के शासी निकाय का 352वां सत्र

दिनांक 28 अक्टूबर 2024 से 07 नवंबर 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय का 352वां सत्र जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। आईएलओ के शासी निकाय के 352वें सत्र में सुश्री सुमिता डावरा, सचिव (श्रम और रोजगार) के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि–मंडल ने जिनेवा में भाग लिया। श्री रूपेश कुमार ठाकुर, संयुक्त सचिव, श्री चमन लाल गुलेरिया, उप सचिव और श्री राजीव झा, अपर सचिव भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य थे।

21.9. जी20 ईडब्ल्यूजी हैंडओवर बैठक

जी20 ईडब्ल्यूजी हैंडओवर बैठक 5 नवंबर, 2024 को जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई। श्री रूपेश कुमार ठाकुर संयुक्त सचिव श्री राजीव झा भारतीय प्रतिनिधिमंडल और अवर सचिव के सदस्य थे।

21.10. श्रम अनुसंधान संस्थानों की ब्रिक्स नेटवर्क बैठक

श्रम अनुसंधान संस्थानों की ब्रिक्स नेटवर्क बैठक वर्चुअली दिनांक 09.4.2024 को रूसी संघ की अध्यक्षता में आयोजित

की गई। बैठक में वीवी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के महानिदेशक डॉ. अरविंद ने भाग लिया।

21.11 प्रथम ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह (ईडब्ल्यूजी) बैठक

दिनांक 10 से 11 अप्रैल 2024 को ब्रिक्स प्रथम रोजगार कार्य समूह (ईडब्ल्यूजी) की वर्चुअल बैठक रूसी संघ की अध्यक्षता में आयोजित की गई। श्री रूपेश कुमार ठाकुर, संयुक्त सचिव, डॉ महेंद्र कुमार, निदेशक और श्री पीयूष कुमार पाठक, उप निदेशक सहित मंत्रालय के एक प्रतिनिधिमंडल ने वर्चुअल बैठक में भाग लिया।

21.12. जनसंख्या मामलों पर ब्रिक्स संगोष्ठी

रूसी संघ की अध्यक्षता की में जनसंख्या मामलों पर ब्रिक्स संगोष्ठी बैठक दिनांक 25.06.2024 को वर्चुअली आयोजित की गई। मंत्रालय के प्रतिनिधिमंडल में संयुक्त सचिव श्री रूपेश कुमार ठाकुर, उप सचिव श्री चमन लाल गुलेरिया और उप निदेशक श्री पीयूष कुमार पाठक शामिल थे, जिन्होंने वर्चुअली बैठक में भाग लिया।

21.13 द्वितीय ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह (ईडब्ल्यूजी) की बैठक

दिनांक 07–08 सितंबर 2024 को ब्रिक्स द्वितीय रोजगार कार्य समूह (ईडब्ल्यूजी) की बैठक सोची, रूस में रूसी संघ की अध्यक्षता में आयोजित की गई। डॉ. महेंद्र कुमार, संयुक्त सचिव, श्री चमन लाल गुलेरिया, उप सचिव और श्री पीयूष कुमार पाठक, उप निदेशक ने सोची, रूस बैठक में भाग लिया।

21.14 ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक (एलईएमएम)

दिनांक 09–10 सितंबर 2024 को सुश्री सुनिता डावरा, सचिव (श्रम एवं रोजगार) के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने सोची, रूस में रूसी संघ की अध्यक्षता में ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों (एलईएमएम) की बैठक में भाग लिया। श्री चमन लाल गुलेरिया, उप सचिव और श्री पीयूष कुमार पाठक, उप निदेशक प्रतिनिधिमंडल के सदस्य थे।

सदस्य देशों अर्थात ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के मंत्रियों ने बैठक में भाग लिया। चार प्राथमिक मुद्दों पर चर्चा हुई, यथा, पूरी आबादी के लिए व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल प्रशिक्षण और आजीवन व्यावसायिक शिक्षा की एक प्रणाली के विकास प्लेटफॉर्म रोजगार और इसके नियमों की चुनौतियां; श्रमिकों के लिए सुरक्षा और स्वस्थ कार्य वातावरण और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना; और ब्रिक्स देशों के लिए सामाजिक समर्थन का विकास।

- रूसी अध्यक्षता (2024) के तहत ब्रिक्स एलईएमएम बैठक के दौरान **प्लेटफार्म रोजगार और इसके नियमों की चुनौतियों** पर भारतीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा एक हस्तक्षेप भी दिया गया।

1. श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक में अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में, सुश्री सुमिता डावरा, सचिव (एल एंड ई) ने सामाजिक सुरक्षा पर भारत के कोड पर प्रकाश डाला, जो गिग और प्लेटफ़ॉर्म कामगारों को परिभाषित करता है और उन्हें जीवन और निःशक्तता कवर, स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधा और वृद्धावस्था संरक्षण जैसी सुरक्षा प्रदान करते हुए सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करता है। सचिव ने इस बात पर जोर दिया कि संहिता केंद्र सरकार को प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए व्यापक योजनाएं डिजाइन करने का अधिकार देती है।

2. प्रतिनिधिमंडल ने लक्षित शिक्षा और ई–लर्निंग प्लेटफार्मों के माध्यम से, विशेष रूप से गिग इकॉनमी कामगारों के लिए कौशल विकास और अपस्किलिंग पर भारत की पहल को भी साझा किया। यह कहा गया था कि भारत ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के वितरण की सुविधा के लिए गिग और प्लेटफ़ॉर्म कामगारों सहित 300 मिलियन से अधिक असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाया है।

- रूसी अध्यक्षता (2024) के तहत ब्रिक्स एलईएमएम बैठक के दौरान **पूरी आबादी के लिए व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल प्रशिक्षण और आजीवन व्यावसायिक शिक्षा की प्रणाली के विकास** पर भारतीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा एक हस्तक्षेप भी दिया गया।

1. सचिव ने भारत की प्रगति पर प्रकाश डाला, जिसमें युवाओं के लिए इंटर्नशिप के अवसर, स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच) के साथ राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल का एकीकरण, रोजगार बढ़ाने में सेक्टर कौशल परिषदों की भूमिका और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों की कौशल तक पहुंच के लिए ई–श्रम पोर्टल शामिल हैं।

2. प्रतिनिधिमंडल ने काम के समावेशी भविष्य के सृजन के लिए समान अवसरों को बढ़ावा देने, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग कार्यक्रमों के प्रोत्साहन ब्रिक्स और नए सदस्य राज्यों के साथ सहयोग के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने रोजगार सेवाओं को फिर से शुरू करने, रोजगार और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए नवीन रणनीतियों के आदान–प्रदान के महत्व पर बल दिया। सदस्य देशों ने रोजगार सेवाओं के आधुनिकीकरण और आधुनिक व्यवसाय के साथ कौशल अर्जन को संरेखित करने के उपायों पर भी चर्चा की।

- **कामगारों के लिए सुरक्षा और स्वस्थ कार्य वातावरण और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने** पर रूसी अध्यक्षता (2024) के तहत ब्रिक्स एलईएमएम बैठक के दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा एक हस्तक्षेप भी दिया गया

1. सचिव ने "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास" के सिद्धांतों के माध्यम से सामाजिक कल्याण के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। व्यावसायिक खतरों को कम करने और एक स्वस्थ कार्यबल को बढ़ावा देने के लिए सरकार की रणनीतियों पर प्रकाश डाला गया, विशेष रूप से कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के तहत दुर्घटना बीमा के माध्यम से, जिसमें कार्यस्थल पर दुर्घटनाओं का सामना करने वाले कामगारों के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना, चिकित्सा व्यय, निःशक्तता लाभ और मृत्यु के लिए मुआवजा शामिल है।

2. प्रतिनिधिमंडल ने अनियमित कार्यघण्टे, सड़क सुरक्षा और प्लेटफॉर्म कामगारों के मानसिक और शारीरिक कल्याण के विषय में भी चिंता जताई और इन समस्याओं को हल करने के लिए उपाय करने का आग्रह किया। विशेष रूप से होम–बेस्ड ऑनलाइन कामगारों के लिए, व्यावसायिक रोगों और स्वास्थ्य संबंधी खतरों पर व्यापक अध्ययन की आवश्यकता, पर भी जोर दिया गया। भारत ने

महिलाओं, प्रवासियों, निःशक्त व्यक्तियों और बुजुर्गों सहित कमजोर वर्गों की रोजगार के अवसरों तक पहुंच बनाने के लिए उन्हें सशक्त बनाने पर जोर दिया और कार्यस्थल सुरक्षा और समान वेतन के लिए विधायी उपायों के महत्व को दोहराया। ब्रिक्स सदस्य देशों ने व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (ओएसएच) नियमों को विकसित करने, श्रम कानूनों को मजबूत करने और कार्यस्थल जोखिमों को रोकने के लिए जागरूकता और अनुसंधान को बढ़ावा देने में अपनी प्रगति साझा की।

- **ब्रिक्स देशों के लिए सामाजिक समर्थन के विकास** पर रूसी अध्यक्षता (2024) के तहत ब्रिक्स एलईएमएम बैठक के दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा एक हस्तक्षेप भी दिया गया

1. भारत ने अपनी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के सामर्थ्य पर प्रकाश डाला, जैसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी), जो चिकित्सा और अन्य लाभ प्रदान करता है, और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), जो विश्व की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा निधियों में से एक है। असंगठित क्षेत्र के 300 मिलियन कामगारों की सदस्यता के साथ ई–श्रम प्लेटफॉर्म को अनौपचारिक और स्व–नियोजित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में प्रस्तुत किया गया। भारत ने किफायती आवास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, कौशल विकास के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम जैसी श्रम कल्याण योजनाओं पर भी जोर दिया, जिसमें 347 मिलियन लोगों को शामिल किया गया है।

2. वित्तीय समावेशन और सामाजिक कल्याण पर भारत के फोकस को भी रेखांकित किया गया, जिसमें आबादी के कमजोर वर्गों के लिए वित्तीय सेवाएं और सुरक्षा तंत्र प्रदान करने के प्रयासों पर प्रकाश डाला गया, जिससे एक समावेशी समाज को बढ़ावा मिला। प्रतिनिधिमंडल ने ब्रिक्स देशों से सभी नागरिकों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहयोग करने का आग्रह किया। सदस्य देशों ने स्व–नियोजित कामगारों, विशेष रूप से डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से काम करने वालों के लिए सामाजिक समर्थन प्रदान करने के लिए अपने देशों में तंत्र और विधान पर विचार–विमर्श किया।

21.15 जी20 रोजगार कार्य समूह (ईडब्ल्यूजी) की पहली बैठक

ब्राजील की जी20 अध्यक्षता के तहत, असाधारण रोजगार कार्य समूह (ईडब्ल्यूजी) की पहली बैठक दिनांक 28.06.2024 को वर्चुअली आयोजित की गई। इस बैठक में श्री रूपेश कुमार, संयुक्त निदेशक, डॉ. महेंद्र कुमार, निदेशक और श्री राकेश गौड़, उप निदेशक ने भाग लिया।

21.16 जी20 रोजगार कार्य समूह (ईडब्ल्यूजी) की दूसरी बैठक

ब्राजील की जी20 अध्यक्षता के तहत असाधारण रोजगार कार्य समूह (ईडब्ल्यूजी) की दूसरी बैठक ब्रासीलिया, ब्राजील में आयोजित की गई थी। सुश्री सुमिता डावरा, सचिव (श्रम और रोजगार) ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, जिसमें श्री रूपेश कुमार ठाकुर, संयुक्त सचिव और श्री राकेश गौड़, उप निदेशक भी शामिल थे।

21.17 जी 20 रोजगार कार्य समूह (ईडब्ल्यूजी) की तीसरी बैठक

दिनांक 26.04.2024 को जी20 ब्राजील की अध्यक्षता के तहत रोजगार कार्य समूह (ईडब्ल्यूजी) की तीसरी बैठक वर्चुअली आयोजित की गई। बैठक में श्री रूपेश कुमार ठाकुर, संयुक्त सचिव, डॉ महेंद्र कुमार, निदेशक और श्री राकेश गौड़, उप निदेशक ने भाग लिया।

21.18 जी20 रोजगार कार्य समूह (ईडब्ल्यूजी) की चौथी बैठक

ब्राजील की जी20 अध्यक्षता के तहत रोजगार कार्य समूह (ईडब्ल्यूजी) की चौथी बैठक 28–31 मई 2024 को जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में आयोजित की गई। श्री रूपेश कुमार ठाकुर, संयुक्त सचिव, श्री पीयूष कुमार पाठक, उप निदेशक ने जेनेवा मे हुई बैठक में भाग लिया।

21.19 जी20 पहली असाधारण रोजगार कार्य समूह (ईडब्ल्यूजी) की बैठक

ब्राजील की जी20 अध्यक्षता के तहत पहली असाधारण रोजगार कार्य समूह (ईडब्ल्यूजी) की बैठक दिनांक 28.06.2024 को वर्चुअली आयोजित की गई। श्री रूपेश कुमार ठाकुर, संयुक्त सचिव, श्री चमन लाल गुलेरिया, उप सचिव और श्री राकेश गौड़, उप निदेशक ने वर्चुअल रूप से बैठक में भाग लिया।

21.20 जी20 असाधारण रोजगार कार्य समूह (ईडब्ल्यूजी) की दूसरी बैठक

ब्राजील की जी20 अध्यक्षता के तहत असाधारण रोजगार कार्य समूह (ईडब्ल्यूजी) की दूसरी बैठक दिनांक 12.07.2024 को वर्चुअली आयोजित की गई। श्री रूपेश कुमार ठाकुर, संयुक्त सचिव, श्री चमन लाल गुलेरिया, उप सचिव और श्री राकेश गौड़, उप निदेशक ने वर्चुअल रूप से बैठक में भाग लिया।

21.21 जी20 रोजगार कार्य समूह (ईडब्ल्यूजी) की 5वीं बैठक और जी20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक (एलईएमएम)

ब्राजील की जी20 अध्यक्षता के तहत जी20 रोजगार कार्य समूह (ईडब्ल्यूजी) की 5वीं बैठक 23–24 जुलाई 2024 को ब्राजील के फोर्टालेजा में आयोजित की गई थी। संयुक्त सचिव श्री आलोक मिश्रा ने फोर्टालेजा, ब्राजील में हुई बैठक में भाग लिया।

ब्राजील की अध्यक्षता में जी20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक 2024, दिनांक 25–26 जुलाई 2024 तक ब्राजील के फोर्टालेजा में आयोजित की गई। बैठक में सुश्री शोभा करांदलाजे, माननीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री ने भाग लिया। श्री आलोक मिश्रा, संयुक्त सचिव ने भी भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में बैठक में भाग लिया।

21.22 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश समझौते, सामाजिक सुरक्षा और जनशक्ति गतिशीलता समझौते और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंच और समूह

- सुश्री प्रिया सर्राफ, उप निदेशक ने 24–25 अप्रैल 2024 को लंदन, यूके में प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी पर भारत–यूके एमओयू के तत्वावधान में यूके पक्ष के साथ संयुक्त कार्य समूह की तीसरी बैठक में भाग लिया।
- श्री विजय कुमार मीना, उप सचिव ने 26–27 जून 2024 को रोम, इटली में भारत–इटली प्रवासन गतिशीलता समझौते के तत्वावधान में इतालवी पक्ष के साथ संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक में भाग लिया।
- श्री राकेश गौड़, उप निदेशक ने 27–30 अगस्त 2024 को बैंकॉक, थाईलैंड में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के श्रम और नेटवर्क विचार–विमर्श (एलएएनडी) में भाग लिया।
- श्री प्रशांत बैजल, उप निदेशक ने 12–13 नवंबर 2024 को मनीला, फिलीपींस में युवा शिक्षा और कार्य के भविष्य पर एशियाई उत्पादकता परिषद प्रशिक्षण में भाग लिया।

- श्री राकेश गौड़, उप निदेशक ने 28–29 नवंबर 2024 को ब्रुसेल्स, बेल्जियम में प्रवासन और गतिशीलता (एचएलडीएमएम) पर 8वें भारत–यूरोपीय संघ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल में भाग लिया।

21.23. कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बैठकें/प्रशिक्षण कार्यक्रम जिनमें भारत ने सक्रिय रूप से भाग लिया, निम्नानुसार हैं:

- दिनांक 30.01.2024 को नई दिल्ली में सुश्री आरती आहूजा, सचिव (श्रम और रोजगार) और सुश्री लियोनी गेबर्स, जर्मन संघीय श्रम और सामाजिक मामलों के मंत्रालय में राज्य सचिव के बीच एक बैठक आयोजित की गई।
- दिनांक 23.02.2024 को नई दिल्ली में माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव और आर्मेनिया के माननीय श्रम मंत्री श्री नारेक मकर्चयन के बीच एक बैठक आयोजित की गई।
- सुश्री ऋचा शर्मा, निदेशक ने 18–21 मार्च 2024 को बैंकॉक, थाईलैंड में बाल श्रम और जबरन श्रम पर आईएलओ की एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक में भाग लिया।
- श्री रमेश कृष्णमूर्ति, अपर सचिव और डॉ. प्रदीप कुमार जेना, निदेशक ने 18–22 मार्च 2024 को ट्यूरिन, इटली में प्लेटफॉर्म और गिग इकोनॉमी में कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार पर आईटीसी–आईएलओ की कार्यशाला में भाग लिया।
- दिनांक 24.05.2024 को नई दिल्ली में सुश्री सुमिता डावरा, सचिव (श्रम एवं रोजगार) और श्री मिखाइल कास्को, भारत में बेलारूस गणराज्य के असाधारण और पूर्णाधिकारी राजदूत के बीच एक बैठक आयोजित की गई।
- दिनांक 18.06.2024 को नई दिल्ली में सुश्री सुमिता डावरा, सचिव (श्रम एवं रोजगार) और सुश्री लिलियन त्सचान, जर्मन संघीय श्रम एवं सामाजिक मामलों के मंत्रालय में राज्य सचिव के बीच एक बैठक आयोजित की गई।
- दिनांक 18.07.2024 को नई दिल्ली में सुश्री सुमिता डावरा, सचिव (श्रम एवं रोजगार) और सुश्री मिचिको मियामोतो, निदेशक, आईएलओ, नई दिल्ली के बीच एक बैठक आयोजित की गई।
- दिनांक 06.08.2024 को नई दिल्ली में माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया और यूनिसेफ भारत की प्रतिनिधि सुश्री सिंथिया मैककैफ़री के बीच एक बैठक आयोजित की गई।
- दिनांक 14.08.2024 को नई दिल्ली में माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया और आईएलओ, नई दिल्ली की निदेशक सुश्री मिचिको मियामोतो के बीच एक बैठक आयोजित की गई।
- दिनांक 24.10.2024 को नई दिल्ली में रोजगार और श्रम के क्षेत्र में संयुक्त आशय घोषणा (जेडीओआई) पर हस्ताक्षर करने के संबंध में माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया और माननीय जर्मन श्रम मंत्री श्री ह्यूबर्टस हील के बीच एक बैठक आयोजित की गई।
- श्री शिवाकांत कुमार, उप सचिव ने 21 अक्टूबर से 01 नवंबर 2024 तक ट्यूरिन, इटली में कार्य संबंधी व्यावसायिक रोगों की रोकथाम पर आईटीसी–आईएलओ के पाठ्यक्रम में भाग लिया।
- डॉ. महेंद्र कुमार, संयुक्त सचिव और श्री मणिकंदन एन, उप निदेशक ने 19–21 नवंबर 2024 तक कोलंबो, श्रीलंका में श्रम कानून सुधार और अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों पर आईटीसी–आईएलओ के कार्यक्रम में भाग लिया।
- अवर सचिव श्री सुदेश कुमार ने 26–28 नवंबर 2024 तक बैंकॉक, थाईलैंड में आईएलओ के त्रिपक्षीय क्षेत्रीय ज्ञान साझा मंच– औपचारिकीकरण के लिए नवाचार दृष्टिकोण में भाग लिया।

*****

अध्याय–22

प्रधान लेखा कार्यालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय

श्रम और रोजगार मंत्रालय का लेखा संगठन

22.1 सचिव, मंत्रालय के मुख्य लेखा प्राधिकारी हैं तथा संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (जेएसएण्डएफए) तथा मुख्य लेखा नियंत्रक की सहायता से कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय के लेखा संगठन के अध्यक्ष मुख्य लेखा नियंत्रक होते हैं जिनके सहायतार्थ लेखा–नियंत्रक, उप लेखा नियंत्रक, प्रधान लेखा कार्यालय तथा 7 वेतन एवं लेखा कार्यालय होते हैं। संगठनात्मक संरचना नीचे दी गई है:

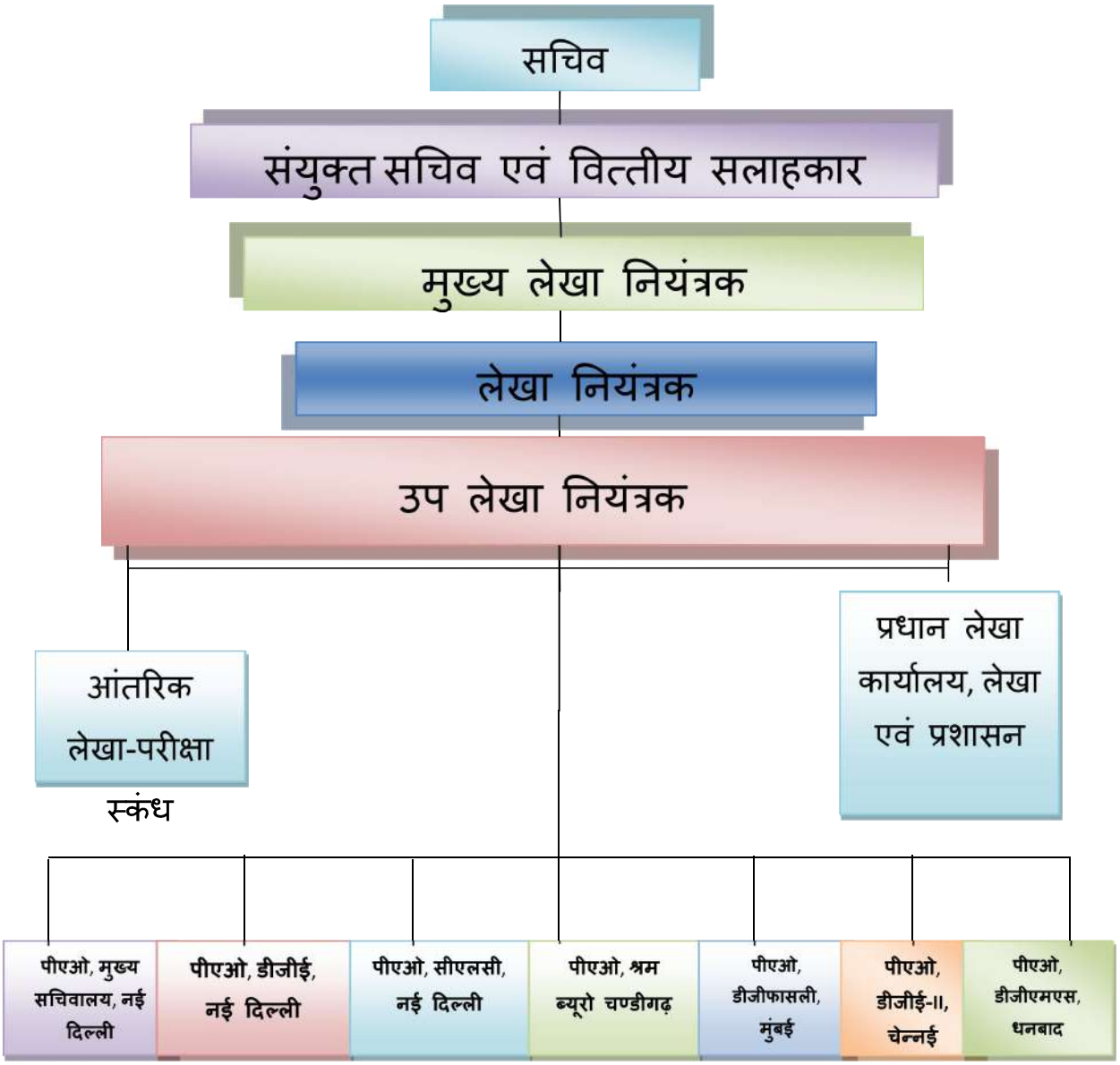

22.2 मुख्य लेखा नियंत्रक, श्रम और रोजगार मंत्रालय के कार्यालय द्वारा की गई प्रमुख पहलें / कार्य

1. आंतरिक लेखा परीक्षा

सामान्य वित्तीय नियम 236(1) के अनुसार, प्रधान लेखा कार्यालय का लेखा–परीक्षा स्कंध अनुदानप्राप्त करने वाले संस्थानों की लेखा–परीक्षा कराता है तथा इसके साथ ही नियमित लेखा–परीक्षा कराना प्रधान लेखा कार्यालय (मुख्यालय) का कर्तव्य है।

2. अनुदान सहायता

मुख्य लेखा नियंत्रक के कार्यालय ने अपने वेतन एवं लेखा कार्यालयों के माध्यम से अनुदान प्राप्त करने वाले विभिन्न संगठनों को सामान्य वित्तीय नियम–2017 के नियम 228 से 245 के अनुसार पूरे देश में विभिन्न श्रम कल्याण गतिविधियों के लिए अनुदान–सहायता जारी की।

3. उपयोगिता प्रमाणपत्र

सामान्य वित्तीय नियम 2017 के नियम 238 में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार, स्वायत्त निकायों, गैर–सरकारी संस्थाओं, और अन्य संगठनों आदि को जारी अनुदानों के संबंध में अनुदानों के उपयोग का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

मुख्य लेखा नियंत्रक का कार्यालय तत्परता के साथ विभिन्न प्रभागों से लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की मोनिट्रिंग कर रहा है। लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना सभी ब्यूरो प्रमुखों को भेजी जा रही है तथा आवश्यक अद्यतन हेतु सचिव की अध्यक्षता में आयोजित वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में इस पर चर्चा भी की गई।

4. लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)

व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा केंद्रीय क्षेत्र (सीएस) की योजनाओं के लिए लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) की सार्वभौम शुरूआत के संबंध में बनाए गए लक्ष्य को पूरा करने के लिए मुख्य लेखा नियंत्रक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने श्रम और रोजगार मंत्रालय में समय–सारणी के अनुसार सभी कार्यक्रम प्रभागों को लक्ष्य की प्राप्ति में सहयोग करने के लिए वरिष्ठ लेखा अधिकारी की अध्यक्षता में लोक वित्त प्रबंध प्रणाली (पीएफएमएस) मोनिट्रिंग प्रकोष्ठ का गठन किया। पीएफएमएस के उपयोग को सर्वव्यापी बनाने के लिए पीएफएमएस में सीडीडीओ मॉड्यूल भी श्रम और रोजगार मंत्रालय के सभी सीडीडीओ में कार्यान्वित होने की प्रक्रिया में है।

सभी योजनाओं की अच्छी तरह से समीक्षा की जाती है। पीएफएमएस के व्यय, अग्रिम तथा अंतरण (ईएटी) मॉड्यूल के कार्यान्वयन हेतु पदानुक्रम घटकों की मैपिंग की गई है। आईटीडी, सीजीए कार्यालय द्वारा जारी आवश्यक सुरक्षा प्रोटोकॉल और दिशा–निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है।

5. लेखों का मजबूत डिजिटलीकरण

श्रम और रोजगार मंत्रालय के विभागीकृत लेखा संगठन में लेखों के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया लेखा महानियंत्रक कार्यालय के मार्गदर्शन में मुख्य लेखा नियंत्रक, श्रम और रोजगार मंत्रालय कार्यालय द्वारा शुरू की गई। स्वायत्त निकायों / कार्यान्वयन एजेंसियों को निधि प्रवाह बढ़ाने के लिए सीएनए, एसएनए और टीएसए जैसे विभिन्न मॉड्यूलों का कार्यान्वयन जिससे सरकार उपलब्ध निधियों की मोनिट्रिंग और इसका उपयोग करने में सक्षम हो सके।

केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 46वें नागरिक लेखा दिवस के अवसर पर केंद्रीय बजट 2022–23 में घोषित इलेक्ट्रॉनिक बिल (ई–बिल) प्रोसेसिंग प्रणाली का शुभारंभ किया। यह व्यापक पारदर्शिता लाने और भुगतान की प्रक्रिया में तीव्रता लाने के लिए 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) और डिजिटल इंडिया इको–सिस्टम' का हिस्सा है। यह आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों को अपना दावा ऑनलाइन प्रस्तुत करने की अनुमति देकर पारदर्शिता, दक्षता और फेसलेस–

पेपरलेस भुगतान प्रणाली को बढ़ाएगा जो वास्तविक समय के आधार पर पता लगाने योग्य होगा। ई–बिल को श्रम और रोजगार मंत्रालय के सभी 7 पीएओ में कार्यान्वित किया गया है।

6. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)

चूंकि श्रम और रोजगार मंत्रालय एक कल्याण–उन्मुख मंत्रालय है, इसलिए कई योजनाएं डीबीटी योजनाओं की श्रेणी में आती हैं। मुख्य लेखा नियंत्रक के कार्यालय ने अपने वेतन और लेखा कार्यालयों के माध्यम से श्रम और रोजगार मंत्रालय की योजनाओं के तहत लाभार्थियों के खाते में सीधे जमा करने के लिए डीबीटी के तहत भुगतान किया। मंत्रालय में अधिकांश डीबीटी को ई–भुगतान कार्यक्षमता का उपयोग करके पीएफएमएस के माध्यम से किया जाता है ताकि लाभार्थियों के खातों में निधि के वितरण में किसी भी देरी से बचा जा सके।

7. ई–भुगतान प्रणाली का प्रक्रिया प्रवाह

ई–भुगतान प्रणाली की मुख्य विशेषताएं:

उच्च सुरक्षा मानक और लेनदेन के सिस्टम लॉग।

पीएओ के एप्लिकेशन्स में प्रभावी ई–भुगतान के लिए सुरक्षा आवश्यकताएं मौजूद हैं, जिनमें शामिल हैं:

- 128 बिट पीकेआई एन्क्रिप्शन
- सूचना की अखंडता: हैश एल्गोरिथम एसएचएआई): पीएओ द्वारा बैंक को इंटरनेट पर दिए जा रहे डेटा की गोपनीयता, प्रामाणिकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा मानकों को डिज़ाइन किया गया है।
- गैर–अस्वीकृति: आरबीआई द्वारा अनुशंसित 128 बिट पीकेआई (पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर) पर आधारित की जनरेशन / डिजिटल हस्ताक्षर
- प्रत्येक ई–भुगतान प्राधिकरण और समाधान की मदवार ट्रैकिंग के साथ डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित ई–भुगतान प्राधिकरण।

ई–भुगतान के लाभ

- डिजिटल रूप में हस्ताक्षरित विशिष्ट ई–प्राधिकरण आईडी का उपयोग करते हुए ऑनलाइन निधि अंतरण के कारण समय और प्रयास की बचत।
- भुगतान सुरक्षित मोड।
- भुगतान की प्रक्रिया में पारदर्शिता।
- भौतिक चेक और उनकी मैनुअल प्रोसेसिंग को हटाना।
- भुगतानों का ऑनलाइन ऑटो समाधान।
- लेखों का प्रभावी संकलन।
- किसी भी समय उपलब्ध सभी स्तरों पर लेनदेन का पूरा ट्रेल।

वर्तमान में, श्रम और रोजगार मंत्रालय के सभी 7 पीएओ पीएफएमएस पर सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। सभी भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से किए जाते हैं।

इसके अतिरिक्त, वेतन भुगतान के लिए कर्मचारी सूचना प्रणाली (ईआईएस), ऑनलाइन जीपीएफ मॉड्यूल और ई–वे बिल को में सभी 7 पीएओ और उनके नियंत्रणाधीन डीडीओ में सफलतापूर्वक लागू किया गया है।

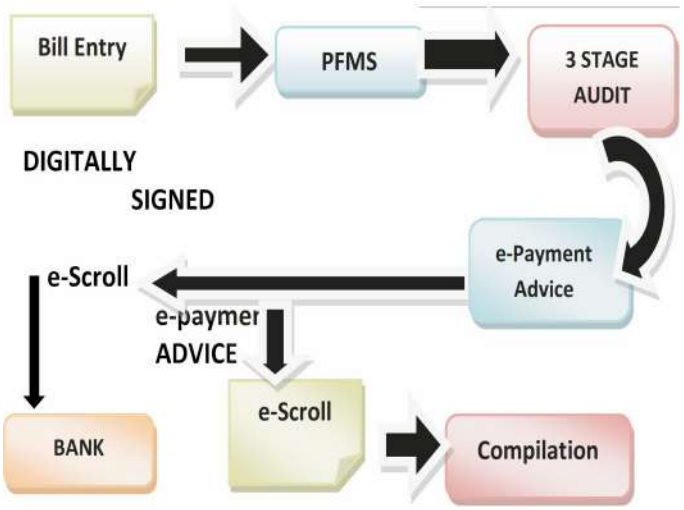

8. गैर–कर रसीद पोर्टल (एनटीआरपी)

- गैर–कर प्राप्ति पोर्टल (एनटीआरपी) का उद्देश्य नागरिकों/कॉर्पोरेट/अन्य उपयोगकर्ताओं को भारत सरकार (जीओआई) को देय गैर–कर राजस्व का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए वन–स्टॉप विंडो प्रदान करना है। भारत सरकार की गैर–कर प्राप्तियों का वार्षिक संग्रह 3 (तीन) लाख करोड़ रुपए से अधिक है।

- भारत सरकार के गैर–कर राजस्व में प्राप्तियों का एक बड़ा संग्रह शामिल है, जो अलग–अलग विभागों/मंत्रालयों द्वारा एकत्र किया जाता है।

- पूरी तरह से सुरक्षित आईटी परिवेश में ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक भुगतान, आम उपयोगकर्ताओं/नागरिकों को ड्राफ्ट बनाने के लिए बैंकों में जाने और फिर सेवाओं का लाभ उठाने के लिए सरकारी कार्यालयों में जमा करने की असुविधा से बचाएगा। यह सरकारी खातों में इनके प्रेषण में परिहार्य देरी में भी सहायता करता है और साथ ही बैंक खातों में इनके देरी से जमा करने में अवांछनीय कार्यों को समाप्त करता है।

- ऑनलाइन भुगतान तकनीकों जैसे इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्ड का उपयोग करके एनटीआरपी पारदर्शी परिवेश में तत्काल भुगतान की सुविधा प्रदान करेगा।

- श्रम और रोजगार मंत्रालय में एनटीआर पोर्टल दिनांक 01 नवंबर, 2016 से कार्य कर रहा है।

9. ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (टीएसए) मॉडल 1 और 1ए

व्यय प्रबंधन आयोग (ईएमसी) ने अपनी सितंबर 2015 की रिपोर्ट के पैरा 125 के तहत सिफारिश की है कि सरकारी ऋण की लागत को कम करने और स्वायत्त निकायों (एबी) को निधि प्रवाह में दक्षता बढ़ाने के लिए, सरकार को सभी एबी को टीएसए प्रणाली के तहत लाना अपेक्षित है।

स्वायत्त निकायों (एबी) को ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (टीएसए) प्रणाली के तहत लाने के लिए, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 21.05.2024 के कार्यालय ज्ञापन एफ. सं. 3/(06)/ पीएफएमएस/ 2023 द्वारा जारी मास्टर परिपत्र के अनुसार एबी को टीएसए प्रणाली के तहत लाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

टीएसए मॉडल 1: यह उन योजनाओं के लिए लागू होगा जिनका एक वित्तीय वर्ष में बजट अनुमान 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक है और जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक में खाता खोलने के लिए पात्र केवल दो स्तर की केंद्रीय/राज्य सरकार की एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जा रहा है। एजेंसी, कोई केंद्रीय स्वायत्त निकाय/केंद्रीय पीएसयू उद्यम या राज्य सरकार की एजेंसी हो सकती हैं।

टीएसए मॉडल 1ए (हाइब्रिड टीएसए): यह उन योजनाओं के लिए लागू होगा जिनका बजट अनुमान एक वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक है, जहां शामिल उप–एजेंसी भा.रि.बैंक में खाता नहीं खोल सकती है अथवा सरकारी/निजी उप–एजेंसियों के दो से अधिक स्तर शामिल हैं और भा.रि.बैंक एजेंसियों के तीसरे और उससे नीचे के स्तर को खाते खोलने की सुविधा प्रदान करता है।

10. एसएनए मॉडल

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों (सीएसएस) के अंतर्गत राज्यों को जारी की गईं निधियों की उपलब्धता और उपयोग की बेहतर मोनिट्रिंग करने और फ्लोट को कम करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। व्यय विभाग ने सीएसएस के तहत धन जारी करने की प्रक्रिया को संशोधित किया है और प्रत्येक राज्य सरकार प्रत्येक सीएसएस को लागू करने के लिए एक नोडल एजेंसी (एसएनए) नामित करेगी।

11. केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) – मॉडल 2

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी मास्टर परिपत्र के अनुसार, व्यय विभाग ने एबी को टीएसए प्रणाली के तहत लाने के लिए दिशा–निर्देश जारी किए हैं, वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 21.05.2024 के कार्यालय ज्ञापन एफ.सं 3/(06)/पीएफएमएस/2023 के माध्यम से जारी मास्टर परिपत्र के अनुसार, यह मोड 100 करोड़ रुपए से कम के बजट अनुमानों वाली केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए लागू है, तथापि, मंत्रालय/विभाग ऐसी योजनाओं के लिए मॉडल 1/1ए का विकल्प चुन सकते हैं। प्रत्येक मंत्रालय/विभाग केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के कार्यान्वयन के लिए एक केन्द्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) नामित करेगा। सीएनए एक केंद्रीय नोडल खाता (संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा सरकारी कारोबार करने के लिए अधिकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में बचत बैंक खाता) खोलेगा। निचले क्रम में शामिल कार्यान्वयन एजेंसियों को उप–एजेंसियों (एसए) के रूप में नामित किया जाएगा और वे स्पष्ट रूप से परिभाषित आहरण सीमाओं सहित सीएनए खातों का उपयोग करेंगे।

*****

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एक नजर में लेखा						
योजनावार व्यय (करोड़ रु में)						
क्र.सं.		**बजट अनुमान 2023-24**	**संशोधित अनुमान 2023-24**	**वित्तीय अनुमान 2023-24**	**वास्तविक व्यय**	**वित्तीय अनुमान के संदर्भ में व्यय का %**
(क)	**केंद्र का स्थापना व्यय**	659.91	679.07	651.11	633.65	97.32
(ख)	**केंद्रीय क्षेत्र योजना**					
1	श्रम और रोजगार सांख्यिकीय प्रणाली (एलईएसई) (एलओए के माध्यम से व्यक्तियों और एजेंसियों का भुगतान)	110.00	44.80	35.53	33.76	95.02
2	श्रम कल्याण योजना छात्रवृत्ति और आवास अनुदान के लिए डीबीटी के साथ राज्यों में विभिन्न कल्याण कार्यालयों को किया गया भुगतान)	75.00	102.00	82.50	81.3	98.55
3	कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (ईपीएफओ को किया गया भुगतान)	9167.00	9760.00	9127.00	9127.00	100.00
4	असम में बागान कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा (असम चाय ईपीएफओ को किया गया भुगतान)	60.00	59.94	60.00	59.87	99.78
5	प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (एलआईसी को किया गया भुगतान)	350.00	205.21	164.95	162.51	98.52
6	प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन (एलआईसी को किया गया भुगतान)	3.00	0.10	0.025	0.01	40.00
7	आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (ईपीएफओ को किया गया भुगतान)	2272.82	1350.00	1265	1221.06	96.53
8	राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना	10.00	6.00	0.82	0.68	82.93
9	बंधुआ मजदूर	10.00	6.98	1.34	1.34	100.00
10	असंगठित कामगार के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस (तकनीकी सहायता के लिए एनआईसी को की गई व्यावसायिक सेवाओं के लिए किए गए भुगतान के साथ-साथ प्रधान लेखा अधिकारी के माध्यम से अड्वाइस के रूप में राज्यों को जीआईए)	300.00	102.96	31.14	28.95	92.97
11	केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीडब्ल्यूई मुख्यालय नागपुर को पीएओ के माध्यम से जीआईए के लिए इन काइन्ड डीबीटी सहित किया गया भुगतान)	113.10	113.1	105.16	105.12	99.96
12	राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई नोएडा को पीएओ के माध्यम से जीआईए के लिए इन काइन्ड डीबीटी सहित किया गया भुगतान)	13.90	13.9	13.58	13.58	100.00
13	अ.ज./अ.जजा. तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कोचिंग और मार्गदर्शन (वजीफे के डीबीटी के साथ अलग-अलग संस्थानों को किया गया भुगतान)	25.00	25.00	25.00	23.89	95.56
14	राष्ट्रीय करियर सेवाएं (प्रधान लेखा अधिकारी के माध्यम से राज्यों को अड्वाइस के रूप में जीआईए के साथ पीएओ के माध्यम से अलग-अलग परामर्श एजेंसियों को किया गया भुगतान)	52.00	52.00	47.22	46.90	99.32
	कुल योग	**13221.73**	**12521.06**	**11610.38**	**11539.62**	**99.39**

अध्याय-23 रोजगार महानिदेशालय

पृष्ठभूमि

23.1 भूतपूर्व रक्षा सेवा कार्मिकों और कार्यमुक्त किए गए युद्ध कार्मिकों के नागरिक जीवन में पुनर्वासन के लिए पुनर्वास एवं रोजगार महानिदेशालय (डीजीआरएंडई) तथा रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीईएंडटी) की स्थापना की गई थी जिसे अब रोजगार महानिदेशालय (डीजीई) के रूप में जाना जाता है।

23.2 स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, महानिदेशालय को पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों से संबंधित कार्य भी सौंपा गया। तत्पश्चात, वर्ष 1948 की शुरुआत में सभी श्रेणियों के रोजगार चाहने वालों को रोजगार सेवाएं प्रदान करने संबंधी कार्य तथा वर्ष 1950 में सभी नागरिकों की प्रशिक्षण सेवाओं को निदेशालय के कार्यक्षेत्र में शामिल कर लिया गया था।

23.3 प्रशिक्षण और रोजगार सेवा समिति (शिवा राव समिति, 1952) की सिफारिशों के अनुसरण में, दिनांक 01.11.1956 से रोजगार कार्यालयों तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के दैनंदिन प्रशासनिक नियंत्रण को, केन्द्र तथा राज्यों के बीच लागत साझाकरण के आधार पर, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को हस्तांतरित कर दिया गया।

23.4 दिनांक 31.03.1969 तक केन्द्र सरकार का राज्य सरकारों के साथ प्रतिष्ठान की लागत पर होने वाले खर्च का 60 प्रतिशत का लागत साझाकरण जारी रहा, जिसके बाद इस योजना को राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा मई, 1968 में लिए गए निर्णय के आधार पर बन्द कर दिया गया।

23.5 प्रत्येक क्रमिक पंचवर्षीय योजना के साथ केन्द्र तथा राज्यों में रोजगार सेवा और प्रशिक्षण सेवा संबंधी कार्यकलापों में विस्तार होता रहा है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार देश में चालू रोजगार कार्यालयों की कुल संख्या (84 विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो सहित) 1007 है।

राज्य सरकारों के पास रोजगार सेवा हेतु उपलब्ध अवसंरचना;–

- राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार, देश भर में (दिव्यांगजनों हेतु 42 विशेष रोजगार कार्यालयों सहित) 1007 चालू रोजगार कार्यालय हैं।
- विभिन्न राज्यों में सामान्य रोजगार कार्यालयों में दिव्यांगजनों हेतु 38 विशेष प्रकोष्ठ कार्य कर रहे हैं।
- राज्य रोजगार निदेशालय सामान्यतः राज्यों की राजधानी में स्थित हैं।

23.6 वर्तमान में रोजगार महानिदेशालय (डीजीई) की अगुवाई महानिदेशक (रोजगार) द्वारा की जा रही है। महानिदेशालय के संगठनात्मक ढाँचे में रोजगार निदेशालय तथा सचिवालय स्कंध नामक दो मुख्य स्कंध हैं।

इस महानिदेशालय के कामकाज से संबंधित सभी उपयोगी सूचना जैसे कार्य, योजनाएं, प्रकाशित रिपोर्ट/दस्तावेज, भर्ती नियम, रोजगार और बेरोजगारी के आंकडों से संबंधित रिपोर्टें, रिक्तियां, टेलीफोन निर्देशिका, डीजीई कर्मचारियों और कार्यालयों का ब्यौरा इत्यादि अभी हाल ही में विकसित की गई वेबसाइट (https://ge.gov.in/dge/) पर उपलब्ध है, जिसे नियमित रूप से अद्यतन किया जा रहा है। इस वेबसाइट के अप्रैल, 2022 में शुरू होने के बाद से दिनांक 31.12.2024 तक 56.38 लाख से अधिक हिट मिल चुके हैं जो उपयोगकर्ताओं की उत्साहजनक प्रतिक्रिया को दर्शाता है।

उत्तरदायित्व

रोजगार निदेशालय

- राज्य सरकारों के साथ विचार–विमर्श करके राष्ट्रीय रोजगार सेवा के विस्तार एवं विकास हेतु कार्यक्रमों की योजना बनाना एवं निरूपित करना।
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में रोजगार सेवा के कार्य में समन्वय स्थापित करना।
- रोजगार सेवा कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना तथा कर्मचारी प्रशिक्षण सामग्री को विकसित करना।
- राज्यों में रोजगार कार्यालयों की नीतियों, प्रक्रियाओं और कार्य–पद्धतियों के मूल्यांकन का सावधिक कार्यक्रम संचालित करना जिसका उद्देश्य सेवा के प्रगामी विकास के लिए राज्य सरकारों का मूल्यांकन एवं परामर्श प्रदान करना और राष्ट्रीय नीतियों, मानकों एवं प्रक्रियाओं का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है।
- रोजगार बाजार सूचना का संकलन एवं प्रचार–प्रसार करना तथा संगठित क्षेत्र एवं रोजगार कार्यालयों के लिए समान रिपोर्टिंग प्रक्रियाएं निर्धारित करना।
- बेरोजगार युवाओं को उनकी योग्यता एवं कौशल के उपयुक्त करियर के चयन एवं योजना बनाने के लिए रोजगार कार्यालयों तथा विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो (यूईआईजीबीएक्स), एमसीसी के माध्यम से दिए जाने वाले व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं करियर परामर्श सेवा का समन्वय करना।
- दिव्यांगजनों की बाकी क्षमताओं का मूल्यांकन करना तथा उनके आर्थिक पुनर्वास को सुगम बनाने के लिए समायोजन प्रशिक्षण प्रदान करना।
- भारत सरकार के जिन मंत्रालयों के कार्यकलाप देश में रोजगार की स्थिति को प्रभावित करते हैं उनके साथ समन्वय स्थापित करना तथा उनसे परामर्श करना।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रोजगार चाहने वालों को व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं अत्मविश्वास सृजन में प्रशिक्षण प्रदान करना।
- राष्ट्रीय रोजगार नीति तैयार करना।

सांविधिक उपबंध

23.7 रोजगार महानिदेशालय (डीजीई) द्वारा प्रवर्तित किए गए सांविधिक उपबंध इस प्रकार हैं :–

- रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम। रोजगार महानिदेशालय (डीजीई) के तहत कार्य कर रहे गैर–सांविधिक निकाय इस प्रकार हैं:–

गैर–सांविधिक निकाय

23.8 रोजगार महानिदेशालय (डीजीई) के अंतर्गत कार्यरत गैर–सांविधिक निकाय राष्ट्रीय रोजगार सेवा संबंधी कार्यकारी समूह है।

रोजगार सेवा हेतु उपलब्ध अवसंरचना

राज्य सरकारों के पास उपलब्ध अवसंरचना:

- देश भर में (दिव्यांगजनों हेतु 42 विशेष रोजगार कार्यालयों सहित) 1005 रोजगार कार्यालय हैं।
- विभिन्न राज्यों में सामान्य रोजगार कार्यालयों में दिव्यांगजनों हेतु 38 विशेष प्रकोष्ठ कार्य कर रहे हैं।
- राज्य रोजगार निदेशालय सामान्यतः राज्यों की राजधानी में स्थित हैं।

केन्द्र सरकार के पास उपलब्ध अवसंरचना :

- दिव्यांगजनों हेतु 24 राष्ट्रीय करियर सेवा केन्द्र (पूर्व में वीआरसी) स्थापित हैं जिनमें से वडोदरा में एक केन्द्र विशेष रूप से दिव्यांग महिलाओं हेतु स्थापित किया गया है।
- अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों हेतु 25 राष्ट्रीय करियर सेवा केन्द्र (पूर्व में सीजीसी) स्थापित किए गए हैं।
- नोएडा (उ.प्र.) में राष्ट्रीय करियर सेवा संस्थान (एनआईसीएस) (पूर्व में सीआईआरटीईएस) स्थापित किया गया है।
- रोजगार निदेशालय के अंतर्गत नई दिल्ली में स्थित केन्द्रीय रोजगार कार्यालय सीपित किया गया है।

विशिष्टताएँ

रोजगार सेवा

23.9 रोजगार महानिदेशालय (डीजीई) किसी भी प्रकार की रोजगार सृजन योजना का कार्यान्वयन नहीं करता है। इसकी भूमिका भारत में राष्ट्रीय रोजगार सेवा के माध्यम से देश में हो रहे रोजगार सृजन का समन्वय करना और इस पर नजर रखना है। रोजगार सेवा का नेटवर्क 1951 में 18 रोजगार कार्यालयों से बढ़कर 1007 रोजगार कार्यालय हो गया है।

23.10 रोजगार कार्यालयों द्वारा निभाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण भूमिका बेरोजगार युवाओं को, वैतनिक रोजगारों में कमी होने के कारण, स्व–रोजगार उपक्रमों हेतु प्रेरित करना एवं उनका मार्गदर्शन करना है। 22 चुनिन्दा रोजगार कार्यालयों में विशेष स्व–रोजगार संवर्धन प्रकोष्ठ कार्य कर रहे हैं।

23.11 रोजगार चाहने वालों को व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं रोजगार परामर्श प्रदान करने के लिए देश के रोजगार कार्यालयों में 409 व्यावसायिक मार्गदर्शन एकक तथा विश्वविद्यालय परिसरों में 84 विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो (यूईआईजीबीएक्स) कार्य कर रहे हैं।

राष्ट्रीय रोजगार सेवा

परिचय

23.12 रोजगार सेवा केन्द्र एवं राज्य सरकार का साझा मामला है और रोजगार महानिदेशालय (डीजीई), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय रोजगार बाजार सूचना (ईएमआई) एकत्र करने, व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं रोजगार संबंधी परामर्श देने और दिव्यांगजनों के नियोजन सहित रोजगार सेवाओं द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियों, मानकों एवं प्रक्रियाओं के लिए उत्तरदायी है। केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से राष्ट्रीय रोजगार सेवा हेतु नीतियां, मानक व प्रक्रियाएं निर्धारित की जाती हैं। इस परामर्श प्रक्रिया में राष्ट्रीय रोजगार सेवा संबंधी एक कार्यकारी समूह सहायता करता है जिसमें केन्द्र व राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। राष्ट्रीय रोजगार सेवा पर कार्यकारी समूह की नियमित बैठकें रोजगार महानिदेशक, श्रम और रोजगार मंत्रालय की अध्यक्षता में आयोजित की जाती हैं। इन बैठकों में राज्य के श्रम एवं रोजगार सचिवों/राज्य रोजगार निदेशकों/रोजगार महानिदेशालय के अन्य प्रतिनिधियों तथा अधिकारियों द्वारा भाग लिया जाता है। इस कार्यकारी समूह द्वारा राष्ट्रीय रोजगार सेवा से जुड़े विभिन्न मामलों पर विचार किया गया तथा आवश्यक सिफारिशें प्रस्तुत की गई हैं।

23.13 राष्ट्रीय रोजगार सेवा की विशेषताएं

- राष्ट्रीय रोजगार सेवा के अंतर्गत सिक्किम राज्य को छोड़कर समस्त राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र शामिल किए गए हैं।
- रोजगार कार्यालयों का दैनंदिन प्रशासन संबंधित राज्य सरकारों /संघ राज्य क्षेत्रों के नियंत्रणाधीन है।

- यह 1007 रोजगार कार्यालयों का नेटवर्क है।

- प्रशासनिक कार्यकरण के एक भाग के रूप में, रोजगार कार्यालयों की सांख्यिकीय विवरणियों के माध्यम से आंकड़े एकत्र किए जाते हैं जिनमें प्रत्येक विवरणी में विभिन्न अवधियों के दौरान पंजीकरण, नियोजन, इत्यादि जैसे विशिष्ट क्षेत्र के कार्य–कलाप शामिल हैं।

- रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 तथा उसके तहत बनाई गई नियमावली के अंतर्गत निर्धारित ई. आर.–I विवरणियों में रोजगार, रिक्तियों, कर्मचारियों का व्यावसायिक एवं शैक्षिक ढांचा इत्यादि के संबंध में संगठित क्षेत्र (समस्त सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठान तथा 10 या अधिक कामगारों वाले समस्त गैर–कृषि निजी क्षेत्र प्रतिष्ठान) से आंकड़े एकत्र किए जा रहे थे। निजी क्षेत्र में 10–24 कामगारों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों को स्वैच्छिक आधार पर शामिल किया गया है। तथापि, ईई (सीएनवी) अधिनियम, 1959/ईई (सीएनवी) नियम 1960 के आवश्यक प्रावधान, जो नियोक्ताओं द्वारा रोजगार कार्यालयों को अनिवार्य रिक्तियों की अधिसूचना से संबंधित हैं, अब सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 का अंग है। नवंबर, 2020 में मसौदा नियम (केंद्रीय) अधिसूचित किए गए हैं।

राष्ट्रीय रोजगार सेवा नियमावली (एनईएसएम)

23.14 राष्ट्रीय रोजगार सेवा नियमावली (एनईएसएम) रोजगार कार्यालयों के देशव्यापी नेटवर्क के माध्यम से राष्ट्रीय रोजगार सेवा के कामकाज और संचालन से संबंधित निर्देशों और प्रक्रियाओं संबंधी नियमावली है। रोजगार कार्यालय, संबंधित राज्य सरकारों के नियंत्रण में कार्य करते हैं। एनईएसएम को अंतिम बार वर्ष 2006 में संशोधित किया गया था। इसे फिर से संशोधित करने की प्रक्रिया इस वर्ष के दौरान शुरू की गई थी और एनईएसएम 2022 को अंतिम रूप दिया गया है। संशोधित एनईएसएम–2022 में 04 खंड हैं।

राष्ट्रीय रोजगार सेवा को राष्ट्रीय करियर सेवा में रूपांतरित करने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने नवंबर, 2013 के दौरान एक कार्यकारी समूह गठित किया जिसमें राज्य सरकारों, नियोक्ता संघों के प्रतिनिधि एवं अन्य हितधारी शामिल थे। इस कार्यकारी समूह की प्रथम बैठक दिनांक 03 दिसंबर, 2013 को आयोजित की गई थी। रोजगार सेवा की उपयोगिता, पहुंच तथा दक्षता में सुधार करने सहित विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत रूप से चर्चाओं एवं ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, राष्ट्रीय रोजगार सेवा की आधारशिला रखने संबंधी सिफारिशों का सरकार द्वारा अनुमोदन किया गया। एनसीएस परियोजना को कार्यान्वित किया जा चुका है तथा एनसीएस पोर्टल चालू है।

रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959

23.15 रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 के तहत नियोक्ताओं द्वारा रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना तथा रोजगार कार्यालयों को रोजगार संबंधी विवरणियां (ई.आर.–I) प्रस्तुत करने का प्रावधान है। यह अधिनियम, सार्वजनिक क्षेत्र के समस्त प्रतिष्ठानों तथा गैर–कृषि कार्यकलापों में रत और 25 या अधिक कामगारों को नियुक्त करने वाले निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों पर लागू होता है। अधिनियम का प्रवर्तन राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों का दायित्व है। अधिकतर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इस प्रयोजन के लिए विशेष प्रवर्तन तंत्र स्थापित है। अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों पर श्रम संबंधी संसदीय स्थाई समिति द्वारा विचार–विमर्श किया गया तथा यह सिफारिश की गई कि रोजगार कार्यालयों के कार्यों को समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए अधिनियम में व्यापक रुप से संशोधन किया जाए।

इस दौरान, श्रम पर दूसरे राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशों के आधार पर, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने मौजूदा विभिन्न केंद्रीय श्रम कानूनों के प्रासंगिक प्रावधानों को 4 श्रम संहिताओं में सरल, समामेलित और युक्तिसंगत बनाने के लिए कदम उठाए थे। इन चार संहिताओं में वेतन संहिता, 2019, व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 शामिल हैं।

इस प्रक्रिया में, ईई (सीएनवी) अधिनियम, 1959 के प्रासंगिक प्रावधानों और वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त परिवर्तनों को सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में शामिल किया गया है। इन परिवर्तनों में अन्य बातों के साथ–साथ रोजगार कार्यालयों को पुनः परिभाषित करना, उनकी गतिविधियों को बढ़ाना और रिक्तियों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग का प्रावधान आदि शामिल है।

मौजूदा रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम 1959 में समाहित करने के लिए, सितंबर, 2020 के दौरान संसद द्वारा अधिनियमित सामाजिक सुरक्षा 2020 संहिता में रोजगार सूचना और निगरानी पर एक अध्याय (अध्याय–13) जोड़ा गया है। इस संहिता को दिनांक 28 सितंबर, 2020 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई है और 29 सितंबर, 2020 को भारत सरकार के आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। मसौदा नियम (केंद्रीय) नवंबर, 2020 में अधिसूचित किए गए हैं।

राष्ट्रीय रोजगार सेवा का कार्य–निष्पादन'

23.16 1007 रोजगार कार्यालयों के नेटवर्क का ब्यौरा तालिका 23.18 में दिया गया है।

रोजगार कार्यालयों के मुख्य कार्य–कलाप में रोजगार चाहने वालों का पंजीकरण, नियोजन, करियर परामर्श तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं रोजगार बाजार सूचना एकत्रित करना शामिल है।

तालिका 23.18

➢ रोजगार कार्यालयों की कुल संख्या, जिसमें निम्नलिखित शामिल है:	1007
➢ विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो (यू.ई.आई.जी.बी.एक्स.)	84
➢ व्यावसायिक एवं कार्यकारी रोजगार कार्यालय	14
➢ दिव्यांगों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय	42
➢ महिलाओं के लिए विशेष रोजगार कार्यालय	05

23.17 (दिनांक 31.12.2024) की स्थिति के अनुसार, रोजगार कार्यालयों का कार्य–निष्पादन निम्नानुसार है:

तालिका 23.19

(लाख में)

श्रेणी	पंजीकृत रोजगार चाहने वालों की सं.	नियोजित रोजगार चाहने वालों की सं.	चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों की सं. (लाख में)
पुरुष	42.4	5.6	274.7
महिलाएं	29.9	1.5	166.8
योग	72.30	7.1	441.5

रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण एवं नियोजन की मुख्य विशेषताएं

23.18 पंजीकरण:

दिसंबर, 2024 के अंत तक पंजीकृत 72.30 लाख रोजगार चाहने वालों की कुल संख्या में से 42.40 लाख रोजगार चाहने वाले पुरुष थे तथा 29.9 लाख महिलाएं थीं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक रोजगार चाहने वाले 13.7 लाख व्यक्तियों का पंजीकरण हुआ तथा इसके बाद असम, महाराष्ट्र, और छत्तीसगढ़ राज्य आते थे, जिनमें प्रत्येक राज्य में 6 लाख से अधिक पंजीकरण हुआ था।

23.19 नियोजनः

रोजगार कार्यालयों के माध्यम से जिन 7.05 लाख रोजगार चाहने वालों को रोजगार प्राप्त हुआ उनमें 1.5 लाख महिलाएं शामिल थीं।

23.20 लाइव रजिस्टरः

लाइव या चालू रजिस्टर पर दर्ज 441.5 लाख रोजगार चाहने वालों की कुल संख्या में से 274.70 लाख रोजगार चाहने वाले पुरुष तथा 166.8 लाख रोजगार चाहने वाली महिलाएं हैं।

23.21 वर्ष 2011–2023 की अवधि के लिए वर्ष–वार पंजीकरण, नियोजन, अधिसूचित रिक्तियां, भेजे गए नाम तथा लाइव या चालू रजिस्टर **तालिका सं. 23.23** में दर्शाया गया है।

तालिका 23.23

वर्ष	रोजगार कार्यालय, यूईआईजीबी एक्स	(हजार में)				
		पंजीकरण	नियोजन	अधिसूचित रिक्तियां	भेजे गए नाम	लाइव/चालू रजिस्टर
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2011	966	6206.3	471.5	819.7	5142.9	40171.6
2012	956	9722.2	427.6	682.8	2982.2	44790.1
2013	956	5969.4	348.5	510.7	3002.1	46802.5
2014	978	5957.2	338.5	762.0	4220.4	48261.1
2015	978	6939.4	395.0	810.3	4307.6	43502.7
2016	997	5959.9	405.5	1401.4	3906.4	43376.1
2017	997	3948.9	424.6	813.2	1851.1	42444.9
2018	997	3831.3	404.7	1225.3	2584.64	42122.3
2019	997	3455.0	365.9	540.6	1966.6	42405.1
2020	997	2073.9	308.1	419.0	1187.5	42829.2
2021	1005	3224.4	494.1	824.8	2527.3	44071.7
2022	1005	3996.7	644.6	1367.6	2637.6	45717.7
2023	1005	7229.30	705.50	1533.7	2433.50	44154.5

केन्द्रीय रोजगार कार्यालय, दिल्ली

23.22 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय रोजगार कार्यालय, रोजगार महानिदेशालय (डीजीई) को केंद्रीय सरकारी प्रतिष्ठानों में 5 अथवा उससे अधिक लेवल/स्तर की वैज्ञानिक तथा तकनीकी रोजगार संबंधी रिक्तियों के विज्ञापन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। डीओपीटी द्वारा निर्धारित संशोधित प्रक्रिया के अनुसार ईई (सीएनवी) अधिनियम, 1959 (अब सामाजिक सुरक्षा संहिता के एक भाग के रूप में परिकल्पित) के अनुसार सीईई को अधिसूचित सभी रिक्तियों को केंद्रीय रोजगार कार्यालय (सीईई) द्वारा रोजगार समाचार पत्र में विज्ञापित किया जाना है। इसके अतिरिक्त, नवंबर, 2016 में डीओपीटी द्वारा जारी अनुदेशों के

अनुसार ऐसी रिक्तियों को राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल पर भी दर्शाया जाना है।

रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम (ई.एम.आई.) का कार्य–क्षेत्र, विस्तार एवं सीमा

23.23 संगठित क्षेत्र में रोजगार संबंधी आंकड़े रोजगार बाजार सूचना (ईएमआई) कार्यक्रम के अंतर्गत एकत्र किए जा रहे थे जिसे रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 व इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा सांविधिक आधार प्रदान किया जाता है। फिर भी, नियोक्ताओं द्वारा रोजगार कार्यालयों को अनिवार्य अधिसूचना से संबंधित ईई (सीएनवी) अधिनियम, 1959/ईई (सीएनवी) नियम 1960 के आवश्यक प्रावधान अब सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अंग हैं तथा नए नियम अधिसूचना की प्रक्रिया में हैं।

विशेष श्रेणियों को रोजगार सहायता

23.24 रोजगार सेवा के अन्तर्गत पूर्व की भांति ही रोजगार चाहने वाले कमजोर वर्गों जैसे महिलाओं, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, दिव्यांगों तथा दिव्यांग भूतपूर्व सैनिक की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कमजोर वर्गों संबंधी कार्यक्रमों के ब्यौरे अध्याय 24 में दिए गए हैं।

राष्ट्रीय करियर सेवा

23.25 मंत्रालय राष्ट्रीय रोजगार सेवा के रूपान्तरण हेतु राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना को एक मिशन मोड परियोजना के रूप में क्रियान्वित कर रहा है ताकि रोजगार मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों, शिक्षुता, इन्टर्नशिप पर सूचना, आदि जैसी विभिन्न रोजगार संबंधी सेवाएं प्रदान की जा सकें। इस परियोजना में एनसीएस पोर्टल (www.ncs.gov.in) तथा मॉडल करियर सेंटर शामिल हैं।

23.26 एनसीएस के तहत सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं तथा इन्हें सीधे ही करियर केंद्रों, सामान्य सेवा केंद्रों, डाक घरों, मोबाइल उपकरणों, साइबर कैफे आदि के माध्यम से देखा जा सकता है। एन सी एस मंच पर विभिन्न हितधारकों में, रोजगार चाहने वाले, उद्योग, नियोक्ता, रोजगार कार्यालय (करियर केंद्र), प्रशिक्षण प्रदाता, शैक्षिक संस्थान तथा नियोजन संगठन शामिल हैं।

23.27 एनसीएस पोर्टल (एनसीएसपी) को यूआरएल (www.ncs.gov.in) पर चालू किया गया है। यह पोर्टल भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 20.07.2015 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। प्रयोगकर्ताओं की सहायता के लिए एक समर्पित हेल्पलाईन (बहु–भाषी) मंगलवार से रविवार तक (सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक) 1514 पर उपलब्ध है। ये सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध हैं। यह पोर्टल सभी उपयोगकर्त्ताओं जैसे रोजगार चाहने वाले, नियोक्ता, प्रशिक्षण प्रदाता, नियोजन संगठन, करियर परामर्शदाता के लिए उपलब्ध है। यह पोर्टल रोजगार मेलों के आयोजन को भी सुगम बनाता है जहां नियोक्ता तथा रोजगार चाहने वाले परस्पर संपर्क कर सकते हैं।

राष्ट्रीय करियर सेवा		
क्र.सं.	**मापदंड**	**दिनांक 31 दिसम्बर, 2024 को संख्या**
1.	पंजीकृत रोजगार चाहने वालें	5,16,63,027
2.	पंजीकृत सक्रिय नियोक्ताओं की संख्या	38,34,367
3.	जुटाई गई सक्रिय रिक्तियां	11,98,580
4.	जुटाई गई कुल रिक्तियां	4,01,75,800

23.28 सरकार के करियर परामर्श पर ज्यादा ध्यान दिए जाने के कारण मंत्रालय ने करियर सलाहकारों का एक नेटवर्क सृजित किया है, जहां करियर केंद्र अपने क्षेत्र में करियर संबंधी परामर्श का हब बन जाएंगे। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के रोजगार चाहने वालों के लिए एनसीएस पोर्टल पर ऑनलाइन/ऑफ़लाइन करियर परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए लगभग 1,174 स्वीकृत करियर काउंसलर उपलब्ध हैं।

23.29 एनसीएस पोर्टल, करियर एवं रोजगार संबंधी सेवाओं के वितरण हेतु संस्थानों एवं संगठनों की भागीदारी के लिए एक खुली संरचना भी प्रदान करता है। एनसीएस पोर्टल ने प्रमुख अथवा अन्यों क्षेत्रों में सेवाओं के श्रेणिकरण तथा वितरण में सुधार की सहायता के लिए विशिष्ट पृष्ठ विकसित किए हैं। भागीदार संस्थानों को गैर–विशेष आधार पर सेवाओं के वितरण में सुधार के लिए एनसीएस पोर्टल पर उपयुक्त स्पेस तथा लिंक प्रदान किया जाएगा तथा यह निगरानी प्रणालियों के प्रति उत्तरदायी होगा। अपने कार्यबल को ज्यादा से ज्यादा रोजगार अवसर प्रदान कराने के लिए मंत्रालय ने अनेक संस्थानों तथा संगठनों का सहयोग लिया है, इनमें से कुछ अग्रणी संगठन/जॉब पोर्टल जैसे टीसीएसआईओएन, क्विकर जॉब्स, फाउंडिट (मॉन्स्टर डॉट कॉम), फ्रेशर्स वर्ल्ड, फर्स्ट जॉब, मेरा जॉब, सिनर्जी रिलेशनशिप मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, वीएसएस टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, सरल रोज़गार, कैसियस टेक्नोलॉजीज प्रा. लिमिटेड, हायरमी आदि हैं। डीओपीटी के अनुदेशों के अनुसार, रिक्तियों को श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा विकसित एनसीएस पोर्टल (दबे. हवअ.पद) पर भी दर्शाना अनिवार्य होगा।

23.30 वर्ष 2024 में, रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए कई नए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। अमेजन सेलर सर्विसेज द्वारा लॉजिस्टिक्स, टेक्नोलॉजी और ग्राहक सेवा जैसे क्षेत्रों में स्थानीय और समावेशी रोजगार के अवसर प्रदान करने पर केंद्रित किया गया है जिसमें दिव्यांगजन रोजगार चाहने वालों पर विशेष ध्यान दिया गया है। टीएमआई समूह एनसीएस पोर्टल के माध्यम से नौकरी की रिक्तियों की सुविधा प्रदान कर रहा है और अपने ई 2 ई अकादमी के माध्यम से निशुल्क स्व–गति से सीखने(सेल्फ–पेस लर्निंग), साइकोमेट्रिक मूल्यांकन और प्लेसमेंट से जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पेशकश कर रहा है। सिग्नस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स उत्तरी भारत के 22 अस्पतालों में रोजगार चाहने वालों को विभिन्न श्रेणियों के माध्यम से जोड़कर स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा दे रहा है। इसके अतिरिक्त, टीमलीज एडटेक ने अपने डिजिवर्सिटी पोर्टल को एनसीएस के साथ एकीकृत किया है तथा करियर परामर्श के लिए चयनित मॉडल करियर केंद्रों में डिजीवर्सिटी करियर लाउंज की स्थापना की है और वर्क–इंटीग्रेटेड डिग्री कार्यक्रमों में रोजगार चाहने वालों का मार्गदर्शन किया है।

23.31 एनसीएस पोर्टल ने अपने एकीकरण और सहयोग प्रयासों में काफी बढ़ावा किया है। यह अब 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र–वार के रोजगार पोर्टलों और कई निजी नौकरी पोर्टलों के साथ एकीकृत है जिसमें उसका डेटाबेस समृद्ध हुआ है और रोजगार के अवसरों तक पहुंच व्यापक हुई है। एनसीएस को स्किल इंडिया डिजिटल हब, पीएम गति शक्ति पोर्टल, टीएमआई इनपुट और सेवाओं, एमपी रोजगार, महारोजगार पोर्टल (महाराष्ट्र) और एनईडीएफआई के साथ एकीकृत किया गया है।

23.32 एनसीएस को माईभारत प्लेटफॉर्म में ऑनबोर्ड/शामिल किया गया है ताकि युवाओं, संस्थानों और संगठनों को यूजर फ़्रेंडली अनुभव प्रदान किया जा सके। माईभारत के माध्यम से, एनसीएस कार्यक्रम आयोजित कर सकता है और उसमें पंजीकृत स्वयंसेवक भाग ले सकते हैं। मॉडल करियर सेंटर (एमसीसी) भी संबद्ध हैं, जो युवा पेशेवरों को रोजगार मेलों और आउटरीच कार्यक्रमों के लिए स्वयंसेवकों के साथ जुड़ने में सक्षम बनाते हैं।

23.33 एनसीएस पोर्टल ने सरकार के भर्ती निकाय – यूपीएससी, एसएससी, एएसआरबी, रेलवे भर्ती बोर्ड आदि के साथ भी गैर–अनुशंसित इच्छुक अभ्यर्थियों (नॉन–रिक्मेंडिड विलिंग केंडीडेट) के प्रकटीकरण के लिए संपर्क स्थापित किया है। यह डेटाबेस अन्य नियोक्ताओं के लिए उपयोगी है क्योंकि यह उन्हें रोजगार हेतु उपयुक्त उम्मीदवारों की पहचान करने में सक्षम बनाता है।

23.34 पोर्टल में करियर संबंधी सूचना का एक समृद्ध कोष भी उपलब्ध है, जो करियर परामर्शदाताओं/नौकरी चाहने वालों के लिए व्यक्तिगत मार्गदर्शन/व्यवसाय चुनने में सहायक है। मंत्रालय ने एनसीओ दस्तावेजों को आईएससीओ–2008 की तर्ज पर अद्यतन किया है और एनसीओ को क्यूपी–एनओएस के साथ मैप किया है। एनसीओ (एनसीओ–2015 श्रृंखला) के वर्तमान खंड में 52

प्रकार के क्षेत्रों के लिए 3,842 नागरिक व्यवसायों संबंधी नौकरियों के विवरण की जानकारी दी गई है। एनसीओ क्षेत्रों/उद्योगों के आकार और प्रोफ़ाइल, व्यवसायों के प्रकार, प्रमुख रुझानों, विकास और किसी विशेष क्षेत्र में प्रगति के अवसरों की पहचान करने में सहायता प्रदान करता है।

23.35 राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड की एक कार्यनीतिक इकाई टीसीएस आईओएन के साथ साझेदारी की है ताकि अपने पंजीकृत नौकरी चाहने वालों को "करियर कौशल" पर एक निःशुल्क, सेल्फ–पेस ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम की पेशकश की जा सके जो शिक्षार्थियों को कई तरह के सॉफ्ट कौशल सिखाएगा।

डिजि–सक्षम के तहत, एनसीएस पंजीकृत रोजगार चाहने वालों रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए एमएस–एक्सेल, एज़्योर, जावा, पायथन, सिक्योरिटी फंडामेंटल, एचटीएमएल आदि जैसे डिजिटल कौशल पर एक निशुल्क, सेल्फ–पेसड और वर्चुअल प्रशिक्षक के नेतृत्व में ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम की पेशकश की जाती है।

23.36 एनसीएस पोर्टल को ई–श्रम पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है ताकि ई–श्रम पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के सहमति–आधारित पंजीकरण किया जाए और लाभकारी करियर के अवसरों की खोज की जा सके। अब तक 1,29,11,527 से अधिक ई–श्रम पंजीकरणकर्ताओं ने एनसीएस पोर्टल पर पंजीकरण कराया है।

23.37 एनसीएस पोर्टल को उद्यम पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है ताकि एनसीएस पोर्टल पर एक नियोक्ता के रूप में उद्यम पंजीकृत एमएसएमई का सहमति–आधारित पंजीकरण किया जा सके। ये नियोक्ता एनसीएस पर अपनी रिक्तियों को पोस्ट कर सकते हैं। अब तक 35,76,276 एमएसएमई नियोक्ता एनसीएस पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं।

23.38 एनसीएस पोर्टल को स्किल इंडिया पोर्टल (एसआईपी) के साथ एकीकृत किया गया। दिनांक 31 दिसंबर 2024 तक; एनसीएस पोर्टल पर 57,17,947 एसआईपी उम्मीदवार पंजीकृत हो चुके हैं।

23.39 एनसीएस पोर्टल पर सरकारी जॉब मॉड्यूल में रोजगार महानिदेशालय (डीजीई) अन्य सरकारी मंत्रालयों/विभागों/पीएसयू संगठनों की ओर से नौकरियां पोस्ट कर सकता है। इस मॉड्यूल का उपयोग विभिन्न सरकारी विभागों या मंत्रालयों में युवा पेशेवरों, सलाहकारों आदि जैसी स्थायी या संविदात्मक रिक्तियों की अधिसूचना के लिए किया जा सकता है।

23.40 अंतर्राष्ट्रीय जॉब मॉड्यूल, एनसीएस पोर्टल पर विदेश मंत्रालय द्वारा अनुमोदित आरए को अंतर्राष्ट्रीय नौकरी के अवसरों को पोस्ट करने की सुविधा प्रदान करता है। यह नौकरी चाहने वालों को एनसीएस पोर्टल के से इन अंतरराष्ट्रीय नौकरी के अवसरों को खोजने और आवेदन करने की सुविधा प्रदान करेगा। एनसीएस पोर्टल पर विदेश मंत्रालय द्वारा अनुमोदित पंजीकृत आरए ने लगभग 17,744 रिक्तियां पोस्ट की हैं।

23.41 एनसीएस को डिजी–लॉकर के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया है। इस निर्बाध एकीकरण के साथ, अब एनसीएस उपयोगकर्ता डिजीलॉकर खातों में संग्रहीत अपने शैक्षिक और रोजगार दस्तावेजों तक सुरक्षित और सहज तरीके से पहुंच सकते हैं और उन्हें साझा कर सकते हैं। यह नवाचार न केवल नौकरी आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाता है बल्कि जमा किए गए दस्तावेजों की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता को भी बढ़ाता है, जिससे नियोक्ताओं और नौकरी चाहने वालों के बीच विश्वास बढ़ता है।

23.42 एनसीएस ने दिसंबर 2023 में रोजगार योग्यता मूल्यांकन उपकरण लॉन्च किया है। यह एक ए–आई प्रॉक्टर निःशुल्क ऑनलाइन मूल्यांकन उपकरण है। इसमें 100 मिनट की एक परीक्षा होती है जिसमें साइकोमीट्रिक, संप्रेषणता कौशल, मौखिक क्षमता, तार्किक क्षमता, क्षेत्र ज्ञान और कंप्यूटर कौशल शामिल हैं। इसके प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं:

- नौकरी चाहने वालों को अपनी रोजगार क्षमता के बारे में जानकारी हासिल होती है ।
- महत्वाकांक्षी नियोक्ताओं का ध्यान आकर्षित होता है।
- अपने गुणों को और सुधार के क्षेत्रों को पहचानने में मदद मिलती है।
- अपना वीडियो बायोडाटा पोस्ट करके विशिष्ट रूप से पहचान मिलती है।
- ऐप और वेब प्लेटफॉर्म पर पहुंच संभव।
- त्वरित परीक्षण परिणाम।

23.43 एनसीएस पोर्टल विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थापित मॉडल करियर केंद्रों पर रोजगार मेलों के आयोजन से लेकर ऑनलाइन रोजगार मेलों के आयोजन की सुविधा प्रदान करता है। इस सुविधा ने दूर–दराज के स्थानों पर रहने वाले रोजगार चाहने वालों को नियोक्ताओं से ऑनलाइन रूप से मिलने में सक्षम बनाया है। 01 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक कुल 8,750 रोजगार मेले आयोजित किए गए जिनमें 693,161 रोजगार चाहने वालों और 45,674 नियोक्ताओं ने भाग लिया। चूंकि एनसीएस पोर्टल पर नियुक्ति के अंतिम आंकड़ों की पुष्टि अनिवार्य नहीं है, इसलिए नौकरी पर लगाने संबंधी आंकडे केवल उस सीमा तक ही उपलब्ध है, जहां तक वे नियोक्ताओं द्वारा स्वेच्छा से रिपोर्ट किए गए हैं। 01 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक रोजगार मेलों के माध्यम से 279,289 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है।

23.44 एनसीएस अपने यूजरर्स/प्रयोगकर्त्ताओं को एनसीएस योजना संबंधी अपडेट्स देने के लिए मासिक आधार पर संवाद–पत्र/न्यूजलेटर प्रकाशित करता है। इसमें एनसीएस पोर्टल में हाल ही में जोड़ी गई विभिन्न नई सेवाएं तथा विशेषताएं शामिल हैं। यह विभिन्न राज्यों में विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए जा रहे ऑनलाइन एवं ऑफलाइन रोजगार मेलों, ईवेंट/कार्यक्रमों तथा प्रशिक्षणों पर अद्यतन जानकारी भी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक संवाद–पत्र में किसी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र संबंधी करियर की पूर्ण सूचना होती है। यह रोजगार चाहने वालों एवं नियोक्ताओं की सफलता की कुछ कहानियां भी बताता है। ये संवाद–पत्र प्रति माह अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा में पोर्टल पर प्रकाशित किए जाते हैं तथा प्रत्येक माह के अंत में एनसीएस के पंजीकृत सभी यूजरर्स/प्रयोगकर्त्ताओं को संवाद–पत्र के साथ एक ई–मेल सूचना भेजी जाती है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए नेशनल करियर सर्विस सेंटर

23.45 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु पच्चीस नेशनल करियर सर्विस सेंटर 25 राज्यों में स्थापित किए गए है। इन केंद्रों के माध्यम से रोजगार चाहने वालों अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए आत्मविश्वास–सृजन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं तथा उन्हें व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, ऐसे 14 केंद्रों में रोजगार चाहने वाले अजा/ अजजा को टंकण एवं आशुलिपि में अभ्यास हेतु सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। ये केंद्र समूह 'ग' एवं समतुल्य पदों हेतु कर्मचारी चयन आयोग तथा अन्य भर्ती बोर्डों द्वारा आयोजित प्रतियोगी परिक्षाओं में अजा/अजजा के अभ्यर्थियों की नियोजनीयता में सुधार के लिए भर्ती–पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाते हैं। एनसीएससी– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों का ब्यौरा अध्याय 24 में प्रदान किया गया है।

दिव्यांगजनों के लिए नेशनल करियर सर्विस सेंटर

23.46 देश में दिव्यांगजन हेतु चौबीस एनसीएससी (पूर्ववर्ती वीआरसी) कार्य कर रहे हैं, जिसमें से वड़ोदरा स्थित एक केंद्र विशेष रूप से दिव्यांग महिलाओं हेतु स्थापित किया गया है। ये केंद्र दिव्यांग व्यक्तियों की बाकी क्षमताओं का मूल्यांकन करते हैं तथा उन्हें आर्थिक मुख्यधारा में लाने तथा देश के लिए लाभप्रद नागरिक बनाने के उद्देश्य से उन्हें समायोजन प्रशिक्षण तथा कौशल प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। ये केंद्र दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास में जन जागरूकता तथा सामुदायिक भागीदारी सृजित करने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। वर्ष 2023–24 के दौरान इन केंद्रों में 42537 दिव्यांग व्यक्तियों का पंजीकरण, 42512 का मूल्यांकन एवं 14977 का पुनर्वास किया गया है। वर्ष 2024 के दौरान (दिनांक 31.12.2024 तक) इन केंद्रों में 46540 दिव्यांग व्यक्तियों को पंजीकृत किया गया, 46506 का मूल्यांकन किया

गया तथा 17523 व्यक्तियों का पुनर्वास किया गया। कुशल कार्यबल की मांग तथा आपूर्ति के मध्य समन्वय के लिए, सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एनसीएससी कार्यालयों में दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण हेतु 5 मॉडल करियर सेंटरों की स्थापना की है। ये केंद्र दिव्यांग युवाओं हेतु प्रमुख कार्यकलापों के रूप में करियर परामर्श पर ध्यान केंद्रित करते हैं ताकि वे कौशल वृद्धि पाठ्यक्रमों में भाग ले सकें। एनसीएससी–डीए के अधिकारियों को व्यावसायिक परामर्श तकनीकों में प्रशिक्षित किया जा रहा है। इन करियर केंद्रों में आउटरीच परामर्श सत्र तथा रोजगार मेले प्रमुख गतिविधियां हैं। जनवरी से मार्च 2025 के दौरान अनुमानित वास्तविक उपलब्धियों में 12025 पंजीकृत, 11698 मूल्यांकित और 4351 पुनर्वासित दिव्यांग व्यक्ति शामिल हैं। एनसीएससी–डीए संबंधी ब्यौरे अध्याय–24 में दिए गए हैं।

23.47 डीजीई (मुख्यालय) में स्थापित भूतपूर्व सैनिक सेल के माध्यम से दिव्यांग भूतपूर्व सैनिकों/सीमा सुरक्षा बल कर्मियों और उनके आश्रितों को नियोजन सेवा प्रदान की जाती है। अधिक जानकारी के लिए कृपया अध्याय 24 का पैरा 24.15 देखें।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई)

23.48 सरकार ने कोविड़ पश्चात बहाली चरण में अर्थव्यवस्था को बढ़ाने तथा रोजगार सृजन में वृद्धि करने के लिए आत्मनिर्भर भारत 3.0 पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के अंग के रूप में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के संबंध में घोषित किए गए उपायों में से एक आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है जिसके अंतर्गत ईपीएफओ से पंजीकृत प्रत्येक प्रतिष्ठान तथा उनके नए कर्मचारी लाभान्वित होंगे यदि प्रतिष्ठानों द्वारा नए कर्मचारियों अथवा दिनांक 01.03.2020 से 30.09.2020 के मध्य रोजगार गंवाने वाले कर्मचारियों को कार्य पर रखा जाता है।

इस योजना में कोविड–19 बहाली चरण के दौरान नए रोजगार अवसरों के सृजन को प्रोत्साहित करने की संकल्पना की गई है। कोविड–19 महामारी के कारण देश में अनिश्चितता के कारण मांग प्रभावित हुई है तथा इस अनिश्चितता के कारण, नियोक्ताओं द्वारा नए रोजगार सृजन को सीमित करने की प्रवृति बनी है। प्रस्तावित योजना नियोक्ताओं को नए रोजगार के सृजन एवं अनौपचारिक रोजगार के औपचारीकरण हेतु प्रोत्साहित करेगी तथा अनिश्चितता को घटाने एवं नए कामगारों के व्यय से अर्थव्यवस्था में मांग सृजित करने में सहायता करेगी।

मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 09 दिसंबर, 2020 को आयोजित बैठक में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) का अनुमोदन किया गया था। इस योजना के अंतर्गत, भारत सरकार दिनांक 1 अक्तूबर, 2020 को अथवा उसके उपरांत दिनांक 31 मार्च, 2022 तक 1000 से अधिक कर्मचारियों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों में रखे गए नए कर्मचारियों के ईपीएफ अंशदान की राशि के 12% का भुगतान और 1000 से कम तक के कर्मचारियों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों जहां नए कर्मचारियों का मासिक वेतन 15000/– रु. से कम है, कर्मचारियों एवं नियोक्ताओं के ईपीएफ अंशदान की राशि के 24% के भुगतान के रूप में दो वर्षों के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी।

30.06.2021 को आयोजित सीसीईए की बैठक द्वारा योजना के दायरे अर्थात योजना के तहत नए कर्मचारियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि को 30 जून 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 करने की मंजूरी प्रदान की गई है। लाभार्थियों के पंजीकरण का अंतिम डेटा 31.03.2022 था। 31.03.2022 तक पंजीकृत लाभार्थियों को योजना के तहत पंजीकरण की तारीख से 2 वर्षों तक लाभ मिलता रहा।

योजना की शुरुआत के बाद से 31.03.2024 तक, 1,52,517 प्रतिष्ठानों के माध्यम से 6049287 लाभार्थियों को 10188.50 करोड़ रुपये का कुल लाभ दिया गया। एबीआरवाई के तहत वर्ष–वार ब्यौरा इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	यूनिक लाभार्थी यूएएन	यूनिक लाभार्थी प्रतिष्ठान	सवितरित राशि (रु. करोड़ में)
वि.व. 2020-21	12,97,120	56,225	351.07
वि.व.2021-22	41,91,801	83,208	4046.36
वि.व. 2022-23	5,45,720	12684	4593.05
वि.व. 2023-24 (31.03.2024 तक)	14649	400	1197.90

राष्ट्रीय करियर सेवा संस्थान (एन आई सी एस)

23.49 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, रोजगार महानिदेशालय के तहत अक्तूबर 1964 में राष्ट्रीय करियर सेवा संस्थान (एनआईसीएस), पूर्ववर्ती केंद्रीय रोजगार सेवा संबंधी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीआईआरटीईएस) को रोजगार सेवाओं में अनुसंधान व प्रशिक्षण के लिए स्थापित किया गया था। बाद में इस संस्थान को वर्ष 1970 में करियर संबंधी साहित्य के प्रकाशन के अतिरिक्त कार्य के साथ और पुनः वर्ष 1987 में स्व–रोजगार की महत्ता तथा व्यवसायिक अनुसंधान के उत्तरदायित्व के साथ विस्तारित किया गया था। 2015 में राष्ट्रीय ई–सरकार योजना (एनई–जीपी) के रोजगार कार्यालय मिशन मोड परियोजना के तहत एनसीएस परियोजना के कार्यान्वयन के साथ, केंद्रीय अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान को केंद्र/राज्य सरकार में राष्ट्रीय रोजगार सेवा के तहत काम करने वाले रोजगार सेवा कर्मियों के मार्गदर्शन के लिए नोडल संस्थान के रूप में नया रूप दिया गया है और जुलाई 2016 को इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय करियर सेवा संस्थान कर दिया गया है। एनआईसीएस तीन प्रमुख कार्यों की देख–रेख करता है:

- क्षमता निर्माण/पेशेवर सेवाकालीन प्रशिक्षण,
- युवा पेशेवर योजना
- मॉडल करियर सेंटर (एमसीसी)

एनआईसीएस नोएडा को विस्तृत कार्य–कलापों को एनआईसीएस नोएडा के मासिक ई–संवाद पत्र को यहां https://dge.gov.in/dge/nics-e-newsletter के माध्यम से देखा जा सकता है :

23.50 मार्गदर्शन कार्यक्रम/पेशेवर सेवाकालीन प्रशिक्षण;

एनआईसीएस नोएडा ने जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक 6156 प्रतिभागियों के साथ कुल 135 कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिनका ब्यौरा इस प्रकार है :–

- रोजगार सेवा कर्मियों और युवा पेशेवरों के लिए पच्चीस (25) व्यावसायिक सेवाकालीन प्रशिक्षण/मार्गदर्शन कार्यक्रम/पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम जिसमें 553 प्रतिभागियों ने भाग लिया है।
- एनसीएस पोर्टल के रोजगार चाहने वालों, छात्रों, नियोक्ताओं और अन्य हितधारकों के लिए इक्यावन (51) ओरिएंटेशन/वेबिनार/मार्गदर्शन कार्यक्रम जिसमें 2330 प्रतिभागियों ने भाग लिया है।
- एनसीएस पोर्टल के विभिन्न हितधारकों के लिए बीस (20) कार्यशालाएं/संगोष्ठी जिसमें 292 प्रतिभागियों ने भाग लिया है।
- आठ (8) रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम जिसमें 844 प्रतिभागियों अर्थात रोजगार चाहने वालों ने भाग लिया है।
- नई और उभरती नौकरी की भूमिकाओं/कैरियर टॉक पर छत्तीस (36) वेबिनार आयोजित किए गए जिसमें विभिन्न करियर संबंधी विषयों पर संबंधित विशेषज्ञों द्वारा चर्चा की गई और इनमें 2469 प्रतिभागियों ने भाग लिया है। इन सत्रों को बाद में एनआईसीएस और एनसीएस इंडिया के यूट्यूब चैनलों https:// youtubecom//nicsnoida7916\si= &uDWMFS1LKWX7S94) पर अपलोड किया गया।

23.51 युवा पेशेवर योजना :

एनआईसीएस नोएडा ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की एनसीएस परियोजना के तहत युवा पेशेवर (वाईपी) योजना की अवधारणा और कार्यान्वयन किया है। इस पहल में युवा पेशेवरों (वाईपी) की भर्ती, 400 अनुमोदित एमसीसी में युवा पेशेवरों (वाईपी) की तैनाती, पारिश्रमिक और वेतन वृद्धि का वितरण, अनुबंध विस्तार, प्रशिक्षण आदि शामिल हैं। एनआईसीएस ने 2015 से 2023 तक 10 भर्ती चरणों के माध्यम से 748 उम्मीदवारों का चयन किया। यह संगठन, युवा पेशेवरों की सहभागिता के माध्यम से, देश भर में एनसीएस परियोजना के हिस्से के रूप में स्थापित 400 से अधिक मॉडल करियर केंद्रों के कार्य–कलापों के बीच समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 31 दिसंबर 2024 तक, श्रम और रोजगार मंत्रालय की एनसीएस परियोजना के तहत देश भर में राज्यों के रोजगार विभागों के तहत चल रहे एमसीसी में 226 युवा पेशेवर काम कर रहे हैं।

युवा पेशेवर (वाईपी) भर्ती का ब्यौरा

बैच	चयन प्रक्रिया तिथि	कार्यभार ग्रहण तिथि	चयनित अभ्यर्थी	कार्यभार ग्रहण करने वाले अभ्यर्थी
I	11-13 जून 2015	5 अक्तूबर, 2015	48	31
II	1-3 अप्रैल 2016 8-9 अप्रैल 2016	4 जुलाई, 2016	50	28
III	10-12 अगस्त, 2016 27 अगस्त 2016	2 जनवरी, 2017	44	32
IV	23-25 मार्च 2017	19 जून, 2017	52	24
V	10-12 अक्टूबर 2018	14 जनवरी, 2019	28	14
VI	27-29 अप्रैल 2022 9-11 मई 2022	20 जून, 2022	102	78
VII	11-15 जुलाई 2022	22 अगस्त, 2022	120	68
VIII	22-25 नवंबर 2022	20 दिसंबर, 2022	156	113
IX	13-15 फरवरी 2023	13 मार्च, 2023	94	74
X	4-5 जुलाई 2023	21 अगस्त, 2023	54	38
योग			**748**	**500**

वाईपी के संबंध में एमसीसी की स्थिति

1	कुल स्वीकृत एमसीसी	400
2	चालू एमसीसी (वाईपी की तैनाती द्वारा)	398
	एमसीसी की संख्या जहां वाईपी सेवा के 3 वर्ष पूरे हो गए	119
	एमसीसी की संख्या जहां वाईपी वर्तमान में काम कर रहे हैं	226
	एमसीसी की संख्या जहां वाईपी तैनात थे लेकिन वर्तमान में रिक्त हैं	53
3	एमसीसी की संख्या जहां वाईपी तैनात थे लेकिन किसी ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया	2

23.52 मॉडल करियर केंद्र (एमसीसी)

एनआईसीएस, नोएडा एक मॉडल करियर केंद्र (एमसीसी) भी चला रहा है जो विभिन्न कार्य–कलाप जैसे रोजगार मेलों/रोजगार अभियान का आयोजन, करियर परामर्श सत्र, रोजगार चाहने वालों तथा नियोक्ताओं का पंजीकरण, आउटरीच गतिविधियां आदि के लिए उत्तरदायी है। जनवरी से दिसंबर 2024 के दौरान, एमसीसी एनआईसीएस नोएडा ने 37,579 रिक्तियों के लिए कुल 48 रोजगार मेलों/प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया जिसमें 16,330 रोजगार चाहने वालों और 501 नियोक्ताओं ने भाग लिया था। कुल 9400 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया। एमसीसी ने एनसीएस पोर्टल पर 11,905 रोजगार चाहने वालों, 58 नियोक्ताओं का पंजीकरण किया और 4736 रोजगार चाहने वालों का व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन किया गया था।

23.53 करियर संबंधी पठन सामग्री/कैरियर मार्गदर्शन सूचना

एनआईसीएस करियर मार्गदर्शन सूचना में रोजगार सेवा कर्मियों का भी समर्थन करता है। एनआईसीएस ने दिसंबर 2024 तक ीजजचेः/ /कहम.हवअ.पद/कहम/ बंतममत–बवदजमदज पर 19 करियर संबंधी पठन सामग्री तैयार और प्रकाशित की है।

*****

अध्याय-24

विशेष श्रेणियों को रोजगार सहायता

24.1 रोजगार सेवा के अन्तर्गत, पूर्व की तरह ही महिलाओं, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, दिव्यांगों तथा दिव्यांग भूतपूर्व सैनिक जैसे रोजगार चाहने वाले कमजोर वर्गों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयास जारी रखे गए।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु राष्ट्रीय आजीविका सेवा केंद्र

24.2 भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय, रोजगार महानिदेशालय देश भर में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए एनसीएससी) (पूर्ववर्ती कोचिंग–सह–मार्गदर्शन केंद्र (सीजीसी)) के लिए 25 राष्ट्रीय आजीविका सेवा केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से "अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रोजगार चाहने वालों का कल्याण" योजना कार्यान्वित कर रहा है। ये केंद्र आइजोल, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी, हिसार, हैदराबाद, इम्फाल, जयपुर, जम्मू, जबलपुर, जालंधर, जोवाई, कानपुर, कोहिमा, नागपुर, नाहरलगुन (अरुणाचल प्रदेश), पुडुचेरी, रांची, सूरत, तिरुवनंतपुरम, ऊना (पूर्व मंडी) और विशाखापत्तनम में स्थित हैं।

इस योजना का उद्देश्य व्यावसायिक मार्गदर्शन, आजीविका परामर्श, कम्प्यूटर प्रशिक्षण, भर्ती–पूर्व प्रशिक्षण आदि के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रोजगार चाहने वालों की नियोजनीयता में वृद्धि करना है। ये केन्द्र रोजगार चाहने वालों को उपयुक्त व्यवसायों में सरणीबद्ध करने के लिए विभिन्न शैक्षिक संस्थानों में रोजगार मेलों, आजीविका वार्ताओं तथा सामूहिक मार्गदर्शन कार्यकलापों जैसे आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करते हैं।

एनआईईएलआईटी के माध्यम से रोजगार चाहने वालों को श्रम बाजार की मांगों के अनुरूप तैयार करने की दृष्टि से मार्केट ड्रिवन ओ–लेवल सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर अनुरक्षण, ऑफिस ऑटोमेशन अकाउंटिंग एंड पब्लिशिंग असिस्टेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशन बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट तथा साइबर सिक्योर्ड वेब डेवलपमेंट एसोसिएट प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रोजगार चाहने वालों को तैयार करने के लिए स्थानीय प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से एक कोचिंग कार्यक्रम भी चलाया जाता है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रोजगार चाहने वालों में आत्म–विश्वास पैदा करने के उद्देश्य से आत्म–विश्वास निर्माण कार्यक्रम और भर्ती पूर्व प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं ताकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रोजगार चाहने वाले रोजगार जगत का हिस्सा बन सकें।

यह योजना प्रायोगिक आधार पर 4 केन्द्रों में वर्ष 1969–70 में आरंभ की गई थी। योजना की सफलता के मद्देनजर, इसका विस्तार 21 राज्यों में चरणबद्ध रूप से किया गया। वर्तमान में, 25 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, इनमें से 14 केन्द्र आशुलिपि एवं टंकण में प्रशिक्षण हेतु सुविधाएं प्रदान करते हैं। जनवरी, 2024 से दिसम्बर, 2024 तक विभिन्न राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्रों की वास्तविक उपलब्धियां का अनुमान नीचे दिया गया है:

कार्यकलाप	शामिल किए गए अभ्यर्थियों की संख्या (जनवरी, 2024 से दिसम्बर, 2024)
एनसीएस पर पंजीकरण	35827

व्यक्तिगत मार्गदर्शन/समूह मार्गदर्शन/करियर वार्ता	150221
आत्मविश्वास सृजन कार्यक्रम	47613
टंकण एवं आशुलिपि में प्रशिक्षण	13854
भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण (पीआरटी)	14967

इन केन्द्रों का कार्यकलाप इस प्रकार है :

- अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को रोजगार से संबंधित कोचिंग–सह–मार्गदर्शन प्रदान करना।
- परीक्षा/साक्षात्कार के प्रकार और रोजगार की अपेक्षाओं संबंधी वह जानकारी उपलब्ध कराना जिसका नियोक्ताओं द्वारा बुलाए जाने पर संभावित रूप से सामना करना पड़ेगा।
- आरक्षित रिक्तियों के प्रति प्रस्तुति का परिणाम जानने के लिए नियोक्ताओं के साथ उपयुक्त अनुवर्ती कार्रवाई करना।
- रोजगार चाहने वालों के लिए व्यावसायिक सूचना/व्यावसायिक मार्गदर्शन और परामर्श तथा आत्मविश्वास सृजन कार्यक्रमों के आयोजन के साथ–साथ रोजगार विकसित करने संबंधी कार्य करना।
- रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत आवेदकों को उनके पंजीकरण के समय और जब वे अधिसूचित रिक्तियों के लिए प्रायोजित किए जाते हैं, तब मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। केन्द्र, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों हेतु आरक्षित रिक्तियों के मामले में नियोजन हेतु नियोक्ताओं के साथ अनुवर्ती कार्रवाई भी करता है।
- आइजोल, हिसार, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, ऊना (पूर्व मंडी), कोहिमा, जोवई, जम्मू, जालंधर, नाहरलागुन और विशाखापट्टनम स्थित राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्रों को छोड़कर उक्त केन्द्रों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रोजगार चाहने वालों को आशुलिपि एवं टंकण में अभ्यास की सुविधाएं प्रदान करना।
- समय–समय पर, विभिन्न नियोजनकर्ता प्राधिकरणों तथा भर्ती अभिकरणों के सहयोग से अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की नियोजनीयता में सुधार के लिए उनके लिए कर्मचारी चयन आयोग आदि द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा समूह 'ग' पदों पर भर्ती हेतु पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था करना।

24.3 अनु.जा./अ.ज.जा. हेतु विशेष कोचिंग योजना की मुख्य विशेषताएं

- अजा/अजजा हेतु राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र के माध्यम से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को समूह 'ग' पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं/चयन परीक्षाओं हेतु तैयार करने के लिए एक विशेष कोचिंग योजना चलाई जा रही है।
- कोचिंग की अवधि 11 माह है तथा प्रशिक्षुओं को निःशुल्क पाठ्यक्रम पुस्तकों और सीमित लेखन सामग्री के अलावा वृत्तिका प्रदान की जाती है। कोचिंग संस्थाओं को अनु.जा./अनु.जन.जा. के अभ्यर्थियों को कोचिंग प्रदान करने के लिए व्यावसायिक प्रभार दिए जाते हैं।
- यह योजना 1973 में प्रायोगिक आधार पर दिल्ली में शुरू की गई थी। उक्त विशेष कोचिंग योजना से मिले लाभों को देखते हुए, इस योजना का विस्तार आइजोल, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी, हिसार, हैदराबाद, इम्फाल, जयपुर, जम्मू, जबलपुर, जालंधर, जोवाई, कानपुर, कोहिमा, नागपुर, नाहरलगुन (अरुणाचल प्रदेश), पुडुचेरी, रांची, सूरत, तिरुवनंतपुरम, ऊना (पूर्व मंडी) और विशाखापत्तनम में चौबीस और स्थानों में कर दिया गया है।
- दिसंबर 2024 तक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 26609 अभ्यर्थी सफलतापूर्वक विशेष कोचिंग पूरी कर चुके हैं।

रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के रोजगार चाहने वालों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु योजना

24.4 रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के शिक्षित रोजगार चाहने वालों को बाह्य स्रोतों से प्रशिक्षण सुविधाएँ उपलब्ध कराकर कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना फरवरी, 2004 से आरंभ की गई। यह प्रशिक्षण छह माह की अवधि का था।

यह योजना शुरू में बंगलौर, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हिसार, हैदराबाद, जयपुर, जबलपुर, कोलकाता, नागपुर, सूरत, कानपुर, तिरुवनंतपुरम, रांची एवं ऊना (पूर्व मंडी) में आरंभ की गई तथा इसका समन्वय इन स्थानों पर स्थित डीजीई के संबंधित राष्ट्रीय करियर सेवा केन्द्रों द्वारा किया गया। यह पाया गया कि श्रम बाजार की बदलती हुई मांगों के मद्देनजर उम्मीदवारों को छह माह का कम्प्यूटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उन्हें नियोजनीयता प्रदान करने के लिए अधिक लाभप्रद नहीं रहा है। अतः, वर्ष 2009–10 से यह निर्णय लिया गया कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, के तहत डीओईएसीसी सोसाइटी के माध्यम से अ.जा./अ.ज.जा के 1000 अभ्यर्थियों को एक वर्षीय 'ओ' स्तरीय कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया जाए जिसे दिनांक 3.08.2009 से प्रारंभ किया गया है। वर्तमान में, इस योजना को 25 एससी/एसटी केंद्रों के लिए एनसीएससी तक बढ़ा दिया गया है। वर्तमान में दिसम्बर, 2024 तक अ.जाति/अनु.ज.जाति के 26,960 अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईईएलआईटी) के माध्यम से 'ओ'–स्तरीय एक–वर्षीय कम्प्यूटर प्रशिक्षण (सॉफ्टवेयर) के अंतर्गत प्रवेश एवं प्रशिक्षण दिया गया है।

24.5 दिनांक 01.8.2012 से एक–वर्षीय "ओ"–लेवल कम्प्यूटर हार्डवेयर अनुरक्षण प्रशिक्षण भी आरंभ किया गया है तथा दिसम्बर, 2024 तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 10,850 अभ्यर्थियों को प्रवेश एवं प्रशिक्षण दिया गया।

24.6 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रोजगार चाहने वालों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कोचिंग योजना, 'ओ' लेवल कंप्यूटर प्रशिक्षण, कंप्यूटर हार्डवेयर रखरखाव प्रशिक्षण और तीन नए कम्प्यूटर पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। वर्तमान में वर्ष 2024–25 के दौरान इन पाठ्यक्रमों के तहत 5085 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया था।

24.7 वर्ष 2023–24 से दस केंद्रों अर्थात बैंगलोर, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, कानपुर, कोलकाता, सूरत और तिरुवनंतपुरम में तीन नए कंप्यूटर पाठ्यक्रम अर्थात् ऑफिस ऑटोमेशन अकाउंटिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट, साइबर सिक्योर्ड वेब डेवलपमेंट एसोसिएट शुरू किए गए हैं।

24.8 वर्ष 2024–25 के दौरान, "कोचिंग, मार्गदर्शन एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के रोजगार चाहने वालों का कल्याण एवं विद्यमान अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति हेतु राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्रों (एनसीएससी) में नए पाठ्यक्रमों का आरंभ तथा अब तक शामिल नहीं किए गए राज्यों में नए एनसीएससी की स्थापना" नामक योजना हेतु 20.60 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

24.9. अजा तथा अजजा के लिए काम करने वाले एनसीएस केंद्रों का एक प्रमुख उद्देश्य आत्मविश्वास निर्माण है। इस कार्यक्रम का प्राथमिक फोकस उन्हें स्वस्थ और सहभागी संवाद में शामिल करना है। सीबीपी कार्यक्रम सभी उम्मीदवारों को समूह के सामने संबोधन करने के लिए एक मंच प्रदान करता है, और सक्रिय भागीदारी तथा सहकर्मी शिक्षण (पीयर लर्निंग) के माध्यम से उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए एनसीएससी, पुडुचेरी में एक आत्म–विश्वास निर्माण, कैरियर वार्ता और भर्ती पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

कोचिंग सह–मार्गदर्शन केंद्रों (सीजीसी) के माध्यम से अजा/अजजा के रोजगार चाहने वालों का कल्याण

24.10 इस समय, कोचिंग/प्रशिक्षण/मार्गदर्शन आदि के माध्यम से रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत अनु.जा./अ.ज.जा. के शिक्षित रोजगार चाहने वालों की नियोजनीयता को बढ़ाने के लिए 25 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु एनसीएससी (पूर्व में अजा/अजजा हेतु सीजीसी) केंद्र चलाए जा रहे हैं। वर्ष 2024–25 के दौरान 25 केंद्रों में छह उप–योजनाओं में कुल 3091 लाभार्थियों को निम्नलिखित पाठ्यक्रमों के तहत वजीफा वितरित किया जा रहा है।

(1) विशेष कोचिंग योजना (2160 लाभार्थी),

(2) कम्प्यूटर "ओ"–लेवल प्रशिक्षण सॉफ्टवेयर पाठ्यक्रम (1350 लाभार्थी)

(3) कम्प्यूटर "ओ"– लेवल कम्प्यूटर हार्डवेयर रखरखाव प्रशिक्षण (675 लाभार्थी) हैं।

(4) ऑफिस ऑटोमेशन अकाउंटिंग, (300 लाभार्थी)

(5) कंप्यूटर एप्लीकेशन बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट, (300 लाभार्थी)।

(6) साइबर सिक्योर्ड वेब डेवलपमेंट एसोसिएट, (300 लाभार्थी)।

दिनांक 01.07.2017 से डीबीटी के माध्यम से किसी विशेष माह के दौरान न्यूनतम 80% उपस्थिति के आधार पर 1000/– रु. प्रति प्रशिक्षु प्रति माह की दर से वृत्तिका का भुगतान किया जाता है। कैलेंडर वर्ष 2024 में डीबीटी के तहत लाभार्थियों को कुल 3.71 करोड़ रुपये का वृत्तिका का भुगतान किया गया।

अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां

24.11 वर्ष 2017 से आगामी वर्षों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रोजगार चाहने वालों के लिए रोजगार कार्यालयों के कार्य निष्पादन का ब्यौरा तालिका 24.1 में नीचे दर्शाया गया है।

तालिका - 24.1

(लाख में)

श्रेणी	कार्यकलाप	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
अनुसूचित जाति	पंजीकरण	4.37	3.95	4.65	3.35	3.62	7.09	10.72
	नियोजन	0.31	0.32	0.24	0.21	0.26	0.38	0.53
	चालू रजिस्टर	71.05	69.97	70.68	69.96	70.31	72.84	71.84
अनूसूचित जनजाति	पंजीकरण	2.48	1.89	2.25	1.56	1.67	2.42	4.80
	नियोजन	0.33	0.32	0.30	0..20	0.21	0.22	0.39
	चालू रजिस्टर	26.08	26.06	26.39	25.05	25.36	30.18	25.31
अन्य पिछड़ा वर्ग	पंजीकरण	7.98	6.77	8.62	6.53	6.46	9.67	17.80
	नियोजन	0.05	0.06	0.05	0.05	0.06	0.18	0.17
	चालू रजिस्टर	118.21	114.86	115.15	114.07	114.28	122.15	128.3

दिव्यांगजनों व्यक्तियों हेतु राष्ट्रीय करियर सेवा केन्द्र (दिव्यांगजनों व्यक्तियों हेतु एनसीएससी)

24.12 श्रम और रोजगार मंत्रालय, दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम, 2016 के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। रोजगार महानिदेशालय (डीजीई) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (एसजेई मंत्रालय) से नियमित रूप से समन्वय एवं सहयोग करता रहा है जो दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु नोडल मंत्रालय है।

- देश में दिव्यांगजनों हेतु चौबीस राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र (राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र–डीए) (पूर्व में व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र) काम कर रहे हैं, जिनमें से वडोदरा में एक केंद्र विशेष रूप से दिव्यांग महिलाओं के लिए स्थापित किया गया है।

- ये केन्द्र दिव्यांगजनों की बाकी कार्यक्षमता का आकलन करते हैं और उन्हें आर्थिक मुख्यधारा में लाने तथा उन्हें देश के लाभप्रद नागरिक बनाने के उद्देश्य से अनौपचारिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

- ये केन्द्र दिव्यांगजनों के पुनर्वास हेतु जन–जागरूकता एवं सामुदायिक भागीदारी सृजित करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाते हैं।

- **वर्ष 2024 (जनवरी, 2024 से दिसंबर,2024)** के दौरान इन केन्द्रों ने **46540** दिव्यांगजनों का पंजीकरण, **46506** का मूल्यांकन एवं **17523** का पुनर्वास किया है।

- कुशल कार्यबल की मांग एवं आपूर्ति के मध्य समन्वय के लिए, सरकार ने राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र–डीए में 5 आदर्श करियर केंद्रों की स्थापना की है। ये केन्द्र बाजार–प्रेरित कौशल संवर्धन पाठ्यक्रमों का अनुसरण करने के लिए दिव्यांग युवाओं हेतु एक मुख्य कार्यकलाप के रूप में करियर परामर्श पर ध्यान केन्द्रित करेंगे। इसके अतिरिक्त, आउटरीच परामर्शी सत्र एवं रोजगार–मेले इन करियर केन्द्रों के मुख्य क्रिया–कलाप होंगे।

24.13 दिनांक 27 दिसंबर, 2024 को राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र–डीए, शिलांग में एक समूह मार्गदर्शन सह परामर्श सत्र का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के दौरान, श्रवण बाधित अभ्यर्थियों को श्रवण यंत्र और उपकरण किट संवितरित किए गए।

डीबीटी (योजना "3468") के माध्यम से दिव्यांगजन प्रशिक्षुओं को प्रदान किया गया लाभ

दिव्यांगजनों हेतु व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र (वीआरसी) योजना के अंतर्गत अभ्यर्थियों को वृत्तिका"

24.14 इस समय, देश में दिव्यांगजनों हेतु 24 राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र (पूर्व में दिव्यांगजन हेतु वीआरसी) हैं, जो दिव्यांगजनों की चलने–फिरने की बाधा, दृश्य–श्रवण बाधा, हल्की मानसिक मंद बुद्धिमता एवं इलाज किए गए कुष्ठ श्रेणियों में उनकी बाकी क्षमताओं का मूल्यांकन करते हैं तथा उनके जल्द आर्थिक पुनर्वास को सरल बनाने के लिए उन्हें समायोजन प्रशिक्षण प्रदान करते है। इन केंद्रों में कोई औपचारिक रोजगार–उन्मुख कौशल प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया जाता है, तथापि, किसी विशेष माह में न्यूनतम 80% उपस्थिति की शर्त पर 2500 रु./– प्रति प्रशिक्षु वृत्तिका प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, चल कैम्पों के माध्यम से भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले दिव्यांग व्यक्तियों तक पुनर्वास सेवाओं का विस्तार किया गया है। वर्ष 2024 में पीडब्ल्यूडी लाभार्थियों को डीबीटी के तहत 3.88 कोरड़ रुपये वृत्तिका का भुगतान किया गया।

दिव्यांग भूतपूर्व सैनिकों तथा आश्रितों को सहायता

24.15 भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित तथा प्राथमिकता श्रेणियों के लिए चिन्हित रिक्तियों के प्रति दिव्यांग भूतपूर्व सैनिकों/सीमा सुरक्षा बल कार्मिकों तथा युद्ध में मारे गए या गंभीर रूप से दिव्यांग रक्षा सेवा कार्मिकों/सीमा सुरक्षा बल कार्मिकों के आश्रितों को पंजीकरण/नियोजन सेवाएं प्रदान करने के लिए रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय में जुलाई, 1972 में एक भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ की स्थापना की गई थी। तत्पश्चात, फरवरी, 1981 से विशेष सेवा के कार्यक्षेत्र का शांति काल के दौरान दिव्यांग हुए भूतपूर्व सैनिकों के साथ–साथ शांति काल के दौरान मारे गए अथवा गंभीर रूप से दिव्यांग हुए रक्षा सेवा कार्मिक के आश्रितों के लाभार्थ भी विस्तार किया गया बशर्ते कि मृत्यु अथवा दिव्यांगता सैन्य सेवा के कारण थी।

रोजगार कार्यालयों के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों को सेवाएं:

24.16 रोजगार सेवा द्वारा रोजगार चाहने वाले दिव्यांग व्यक्तियों की विशेष आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं जिसका विगत पांच वर्षों का कार्यनिष्पादन निम्नानुसार दिया गया है:–

<u>रोजगार चाहने वाले दिव्यांग व्यक्तियों के संबंध में रोजगार कार्यालयों का कार्य निष्पादन</u>

(हजार में)

वर्ष	पंजीकरण	नियोजन	चालू रजिस्टर
2017	32.1	2.2	700.6
2018	29.5	2.0	690.9
2019	32.0	2.5	689.5
2020	28.8	2.7	694.3
2021	28.0	2.6	704.8
2022	28.3	2.5	702.7
2023	27.1	2.2	699.2

दिव्यांगजनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय:

24.17 यद्यपि, राष्ट्रीय रोजगार सेवा के अंतर्गत रोजगार कार्यालय सामान्यतया दिव्यांगों के नियोजन के प्रति उत्तरदायी हैं, फिर भी उनके चयनित नियोजन हेतु विशेष रोजगार कार्यालयों की स्थापना भी की गई थी। ये रोजगार कार्यालय दिव्यांगों को उनकी बाकी शारीरिक एवं मानसिक संभाव्यताओं के सबसे अनुकूल रोजगार प्राप्त करने हेतु प्रयास करते हैं। जैसा कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रिपोर्ट किया गया है, दिव्यांगों हेतु 42 विशेष रोजगार कार्यालय है तथा रोजगार चाहने वाले दिव्यांगों से संबंधित 38 विशेष प्रकोष्ठ हैं।

24.18 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा केन्द्र सरकार से वित्तपोषित तथा सामान्य रोजगार कार्यालयों से संबद्ध एक विशेष नियोजन अधिकारी के साथ दिव्यांगों के लिए अब तक अड़तीस (38) विशेष प्रकोष्ठों की स्थापना की गई है। ये विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा रोजगार कार्यालयों में दिव्यांग आवेदकों के लिए खोले गए विशेष प्रकोष्ठों/एककों के अतिरिक्त हैं।

24.19 रोजगार चाहने वाले दिव्यांगजनों व्यक्तियों हेतु विशेष रोजगार कार्यालयों का कार्यनिष्पादन निम्न तालिका में दिया गया है:–

वर्ष	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
पंजीकर	2798	2488	2448	866	1659	902	556
नियोजन	71	184	175	102	145	103	81
चालू	93295	90665	90471	87431	90902	87185	61862

<u>महिलाएं</u>

24.20 रोजगार चाहने वाली महिलाओं के संबंध में रोजगार कार्यालयों का वर्ष–वार कार्य निष्पादन नीचे दिया गया है **(तालिका 24.2)**:

तालिका 24.2

(हजार में)

वर्ष	पंजीकरण	नियोजन	महिलाओं का चालू रजिस्टर	कुल चालू रजिस्टर	कुल चालू रजिस्टर की तुलना में महिलाओं के चालू रजिस्टर का %
2011	2122.6	85.7	13694.8	40171.6	34.1
2012	3511.0	67.8	15645.8	44790.1	34.9
2013	2233.2	58.8	16549.1	46802.5	35.4
2014	2189.4	60.8	17078.3	48261.1	35.4
2015	2532.7	59.9	15540.0	43502.7	35.7
2016	2256.8	59.7	15731.4	43376.1	36.3
2017	1548.5	85.1	15519.4	42444.9	36.6
2018	1437.0	58.2	15611.0	42122.3	37.1
2019	1375.2	55.2	15709.8	42405.1	37.0
2020	748.8	45.8	15873.2	42829.2	37.1
2021	1327.5	81.1	15829.7	44071.7	35.9
2022	1500.4	122.7	16297.3	45717.7	35.6
2023	2988.5	151.6	16681.2	44154.5	37.8

अल्पसंख्यक

24.21 राष्ट्रीय जनजीवन के सभी क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों की पूर्ण एकजुटता के लिए राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण और नामों की सूची भेजने के मामलों में अल्पसंख्यक समुदायों के साथ कोई भेदभाव न किया जाए। अल्पसंख्यकों के पंजीकरण तथा नियोजन के मामले में हुई प्रगति की निगरानी करने के लिए तथा अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में चल–रोजगार कार्यालय पंजीकरण कैम्पों को आयोजित करने के लिए रोजगार कार्यालयों को निदेश देने हेतु निगरानी प्रकोष्ठों का गठन करने के लिए भी राज्य सरकारों को सलाह दी गई है।

दिसंबर 2023 के अंत में अल्पसंख्यक समुदाय से संबधित रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर कुल 40.0 लाख रोजगार चाहने वाले थे। ये चालू रजिस्टर पर कुल रोजगार चाहने वालों का 11.0% हैं।

24.22 वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए रोजगार निदेशालय की योजनाओं के बजट अनुमानों का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

तालिका-24.17

क्र.सं.	रोजगार निदेशालय के तहत योजनाएं	वित्तीय वर्ष 2024-25	
	योजनाएं / कार्यक्रम	बजट अनुमान (करोड़)	व्यय (दिसम्बर, 2024 तक) करोड़
1	"कोचिंग, मार्गदर्शन एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के रोजगार चाहने वालों का कल्याण एवं विद्यमान अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति हेतु राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्रों (एनसीएससी) में नए पाठ्यक्रमों का आरंभ तथा अब तक शामिल न किए गए राज्यों में नए राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्रों की स्थापना।"	20.60	13.71
2	राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना	58.00	28.16
3	आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना	150.00	--

*****

अध्याय-25 लिंग आधारित बजट

25.1 लिंग आधारित बजट प्रकोष्ठ के प्रमुख मुख्य लेखा नियंत्रक (सीसीए) हैं, जिनकी सहायता लेखा नियंत्रक (सीए) करते हैं। विभिन्न योजनाओं के तहत महिलाओं और बच्चों पर किए गए व्यय को दर्शाने के लिए प्रत्येक वर्ष केंद्रीय बजट के साथ लिंग आधारित बजट (विवरणी 13) को जारी किया जाता है।

लिंग आधारित बजट विवरणी (विवरणी 13) निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

योजना का नाम	2023-2024 वास्तविक	2024-2025 बजट अनुमान	2024-2025 संशोधित अनुमान	2024-2025 बजट अनुमान
भाग ख: महिलाओं के लिए (प्रावधान का कम से कम 30%)				
मांग संख्या 64				
श्रम और रोजगार मंत्रालय				
1. श्रम कल्याण योजना	27.20	25.07	27.20	27.20
2. प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम)	98.02	81.53	146.41	147.19
3. ईपीएस 95 (न्यूनतम पेंशन)	672.00	749.00	690.00	700.00
4. असम में बागान कामगारों के लिए पारिवार पेंशन सह जीवन बीमा योजना	42.22	37.00	44.64	47.77
कुल:	**839.44**	**892.60**	**908.25**	**922.16**
भाग ख कुल:	**839.44**	**892.60**	**908.25**	**922.16**
भाग ग: महिलाओं के लिए (प्रावधान के 30% से कम)				
मांग संख्या 64				
श्रम और रोजगार मंत्रालय				
1. राष्ट्रीय करियर सेवा	9.85	...	10.09	15.39
भाग ग कुल:	**9.85**	**...**	**10.09**	**15.39**
कुल योग	**849.29**	**892.60**	**918.34**	**937.55**

अ..जा./अ.ज.जा. का कल्याण

25.2 अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति हेतु राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को आत्मविश्वास निर्माण, पूर्व–भर्ती और कंप्यूटर प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। यह योजना लिंग तटस्थ है। इन राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्रों द्वारा रोजगार मेलों और आउटरीच गतिविधियों का आयोजन भी किया जाता है।

(करोड़ रुपए में)

कार्यक्रम	अनुमानित परिणाम / उद्देश्य	कार्यक्रम / उप कार्यक्रम का लिंग-आधारित घटक	वित्तीय वर्ष (2024-25 दिसंबर 2024 तक) के लिए कुल सार्वजनिक व्यय (रु.)	वित्तीय वर्ष (2024-25 दिसंबर 2024 तक) के लिए महिलाओं पर कुल सार्वजनिक व्यय (रु.)	लिंग-आधारित अवर्गीकृत लाभार्थी (महिलाओं तक लाभों का विस्तार) (2024-25 दिसंबर 2024 तक) लक्ष्य एवं महिला लाभार्थियों की वस्तुपरक / वित्तीय/ अन्य की निष्पादन संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
"कोचिंग, मार्गदर्शन एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार तलाशने वाले अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लोगों के कल्याण तथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए मौजूदा राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्रों (एनसीएससी) में नए पाठ्यक्रमों की शुरुआत और अब तक शामिल न किए गए राज्यों में नए राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्रों की स्थापना।	कोचिंग, मार्गदर्शन एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के रोजगार चाहने वालों की रोजगार क्षमता में वृद्धि करना।	यह कार्यक्रम रोजगार तलाशने वाले बेरोजगार शिक्षित पुरुषों व महिलाओं दोनों के लिए है।	13.71	6.30	90399 (46%)	

*****

स्वस्थ कार्यबल

समृद्ध भारत

- **ईएसआईसी के तहत 28 परियोजनाओं** और **10 मेडिकल कॉलेजों** की शुरुआत की गई।
- **₹3,921 करोड़** का निवेश श्रमिक कल्याण और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए किया गया।

खुशहाल श्रमिक

सुरक्षित भविष्य!

- केंद्रीकृत पेंशन प्रणाली (CPPS) की शुरुआत की गई।
- क्लेम निपटान प्रक्रिया को सरल करने के लिए ऑटो क्लेम सीमा का विस्तार।
- ईपीएफओ सदस्यों के लिए निकासी अब ज्यादा प्रभावशाली और शीघ्र।

ई-श्रम

"वन-स्टॉप सॉल्यूशन"

- **30+ करोड़** असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण किया गया।
- राज्यों के साथ **डेटा साझाकरण** मार्गदर्शिका तैयार और साझा की गई।
- **12 सामाजिक सुरक्षा** एवं **कल्याण योजनाओं** को संघटित किया गया।

सत्यमेव जयते

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
भारत सरकार

श्रमेव जयते

www.labour.gov.in